खण्ड-277, अंक-4
शनिवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1891
(26 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०१
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०२
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (कार्यवाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०२
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०२
मनर महापालिका, इलाहाबाद चुंगी नियमावली, १९६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०२
श्री बांकेलाल द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०२–३०४
चिकित्सा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३०४–३०७
श्री बांकेलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३०७–३०८
सदन में राष्ट्रीय पताका का स्थान	३०८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों को पूर्वान्ह में लेने का सुझाव	३०९
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	३०९–३६६
सतिया हत्याकाण्ड से सम्बन्धित एफ० आई० आर० की प्रति की मांग ..	३६६
माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६६
बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त न करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३६७
सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स, बरेली की बन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६७
म्योर मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६७
मऊनाथभंजन में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना..	३६७
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	३६८
बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६९–३७२
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३७२–३८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २६ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १० . ३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुरहमान, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उबित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
बजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोह लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसालो देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर, (उर्फ़ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री

शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा-पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९†

उद्योग मन्त्री (श्री शान्ति प्रसन्न शर्मा)—

श्रीमन, मैं आप की आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०६४—टी/तीस—ख—५७—पी—६५, दिनांक १७ जून, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, १९६४ की धारा ३२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन, मैं आप की आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१ (१)—६५/१—ङ, दिनांक २१ अप्रैल, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (संशोधन) नियमावली, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तवारी)---

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३८७-बी/३३-१-५-आर-६२, दिनांक १ जुलाई, १९६९ द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६९†

नियोजन मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन, मैं आप की आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२११-बी/३३-१ (२२)-६७, दिनांक १५ मई, १९६९ द्वारा प्रख्यपित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६१४०-बी/३३-२-आर-६७, दिनांक, २२ मई ,१९६९ द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ को यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद चुंगी नियमावली, १९६८†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

श्रीमन, मैं आप की आज्ञा से नगरपालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५२५-बी/११-ग-१६७-६७, दिनांक २६ नवम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, इलाहाबाद चुंगी नियमावली, १९६८ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री बांकेलाल द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास माननीय बांके लाल जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है कि जब वह कृषि मंत्री जी के पास गये तो उन्होंने उनका अपमान किया। इसीलिये उन्होंने यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया है। मैंने इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है। यह जरूर कहा कि वह वाकया क्या हुआ मन्त्री जी से पूंछ लूंगा और उसकी जानकारी सदन को दे दूंगा। उनकी जो शिकायत है उसको मैं पढ़े देता हूं:

---

†छापी नहीं गई।

श्री बांकेलाल द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ३०३

"दिनांक २२ जुलाई को ३।। बजे सायंकाल में अपने क्षेत्र की जनता का काम लेकर श्री सीताराम, कृषि मंत्री के कमरे में गया और उनसे अपने क्षेत्र की जनता का काम निवेदन किया। इस पर वह बिगड़ गये और उन्होंने मेरे साथ अशोभनीय बरताव किया। मुझे डराया, धमकाया, और उन्होंने मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति कर्त्तव्य पालन करने में बाधा डाली। इस प्रकार से उन्होंने मेरा और आदरणीय सदन का अवमान किया है। अतः मैं उनके विरुद्ध बिशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।"

इसके जवाब में मैंने जो जानकारी हासिल की माननीय मन्त्री जी ने वह मुझे लिख कर दी। वह इस प्रकार है---

"महोदय,

कल दिनांक २४ जुलाई, १९६९ ई० को विधान सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था जिसकी आपने अनुमति नहीं दी। श्री बांकेलाल, सदस्य विधान सभा, ने अपने विशेषाधिकार के पत्र में यह लिखा है कि वह अपने क्षेत्र की जनता का काम लेकर के मेरे आफिस में गये और न करने पर मैंने उन्हें डरवाया, धमकाया और मैंने उन्हें अपने आफिस से निकाल दिया। इस सम्बन्ध में विवरण आपके सूचनार्थ निम्न प्रकार से प्रेषित है---

१---श्री बांकेलाल मेरे आफिस में कांग्रेस विधायक के हस्ताक्षर से एक आवेदन पत्र श्री विश्वनाथ लाल निवासी, ग्राम मुकुन्दपुर, पोस्ट गोठा, रसूलपुर, जिला बेवरिया, ट्रैक्टर दिलवाने के सम्बन्ध में लेकर आये। उस समय मेरे आफिस में करीब २० आदमी बैठे थे जिसमें से मुख्यतः श्री यादवेन्द्र सिंह, एम० एल० ए०, गोरखपुर, श्री अवधेश प्रताप मल्ल, एम० एल० ए०, देवरिया, श्री गंगा प्रसाद, एम० एल० ए० गोण्डा तथा श्री रामसूरत प्रसाद भूतपूर्व एम० एल० ए० गोरखपुर आदि उपस्थित थे। बाकी अन्य जनता थी। श्री बांकेलाल ने मुझ पर जोर दिया कि मैं उक्त आवेदन पत्र पर आदेश कर दूं कि ट्रैक्टर आवेदक श्री विश्वनाथ लाल को दे दिया जाय। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इस आवेदन पत्र पर मैं आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रैक्टर एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन श्री बी० डी० सनवाल, आई० सी० एस० देते हैं। यह कारपोरेशन एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एग्रो-इंडस्ट्रियल का चेयरमैन पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे लेकिन अबकी बार जब से कांग्रेस सरकार आई है मैंने मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध किया कि मुझे न बना कर किसी अन्य अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया जाय जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के इसका कार्य सुचारु रूप से चल सके। इस पर अन्य विधायकों ने जो मेरे यहां बैठे हुए थे, कहा कि इसे भेज दिया जाय। भेजने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने आशुलिपिक को बुलाया और डिक्टेशन दिया। वह टाइप करके लाया और मैंने आफिशियल तथा डुप्लीकेट प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर दिया। श्री बांकेलाल मेरे पी० ए० के कमरे में गये और मेरे आशुलिपिक के मना करने पर भी आफिस कापी जबरदस्ती उठा कर मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि आप आफिस कापी क्यों लिए? इस पर मैंने अपने आशुलिपिक को बुलाकर पूछा कि आफिस कापी इन्हें क्यों दी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे जबरदस्ती ले लिया। चूंकि यह एक देवरिया के विधायक हैं इसलिए मैंने इनसे कोई विशेष आपत्ति नहीं की। इस पर मैं चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। बाद में श्री बांकेलाल फिर कहने लगे कि ऐसा लिखने पर कुछ नहीं होगा। ऐसा आदेश दीजिये जिससे कि ट्रैक्टर मिल जाय। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि चूंकि कई विधायकों ने इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं इसलिए मैंने लिख दिया अन्यथा मैं लिखता भी नहीं। इस पर श्री बांकेलाल जोर जोर से चिल्ला कर मेरे लिए, गुप्ता जी के लिए तथा अन्य कांग्रेस मंत्रियों के लिये कहने लगे कि जब ये कांग्रसी मेरा काम नहीं कर रहे हैं तो जनता का क्या काम करेंगे। इनके इस अभद्र व्यवहार से वहां पर बैठे हुए विधायकों को तथा जनता को बहुत बुरा लगा। इसी बीच में यादवेन्द्र सिंह,

[श्री अध्यक्ष]

सदस्य, विधान सभा, गोरखपुर ने कहा कि इस आवेदन पत्र पर जो मेरा दस्तखत है वह फर्जी है। मैंने इस आवेदन पत्र पर कभी भी दस्तखत नहीं किये। जब श्री बांके लाल चिल्ला रहे थे, तो इन्होंने आफिस में इतना शोर मचाया कि मेरे आफिस में बैठे हुए विधायकगण तथा अन्य लोगों में इतनी उत्तेजना बढ़ने लगी, साथ ही साथ मेरे सरकारी कार्य के सम्पादन में रुकावट भी पड़ रही थी, इसलिए मैंने श्री बांकेलाल जी से कहा कि आप कृपया मेरे आफिस के बाहर चले जायं। अतः इनके प्रति किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार, डरवाने एवं धमकाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बांके लाल ने लिखा है कि वह अपने क्षेत्र की जनता का काम लेकर मेरे आफिस में आये। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जिस व्यक्ति को वह ट्रैक्टर दिलवाने आये थे वह गौरी बाजार क्षेत्र में है जहां से मैंने सन १९५२, १९५७ तथा १९६२ के आम चुनाव में चुनाव लड़ा था। अब उस क्षेत्र से श्री रामलाल चतुर्वेदी कांग्रेस के विधायक हैं। मैंने श्री चतुर्वेदी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि वह गांव उनके क्षेत्र में है। अतः श्री बांकेलाल का यह कथन कि वह अपने क्षेत्र की जनता का काम लेकर मेरे पास आये यह बिलकुल ही असत्य है।

२—श्री यादवेन्द्र सिंह, कांग्रेस विधायक ने वहीं सब के सामने आफिस में कहा कि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर उनका फर्जी बनाया गया है।

उपरोक्त सूचना अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।"

यह उत्तर है उनका।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी ने जो आपको सूचना भेजी है वह गलत है ...

श्री अध्यक्ष—

मैंने यहां पर उनके उत्तर की सूचना देने के लिये कहा था, मैंने जो उनका जवाब आया वह आपको सुना दिया। अब अगर कोई और बात है तो नियमों के अनुसार आप मुझे लिख कर भेज दें, मैं देखूंगा।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, हम और धनुषधारी पांडेय दोनों गये। जो एप्लीकेशन थी वह ट्रैक्टर के सबंध में थी। उसमें २२ कांग्रेसी विधायकों के दस्तखत थे। हमारे पास लोग आये और हस्ताक्षर किये। माननीय धनुषधारी पांडेय ने कहा कि चलो, चल कर कहें। हम उनके आफिस में गये। इनके आफिस के सेक्रेटरी ने इनको कुछ टाइप करके दिया। उसी समय मंत्री जी ने कहा कि आप कमरे से बाहर चले जाइए...

श्री अध्यक्ष —

इस पर इस समय चर्चा नहीं हो सकती, उनका जो जवाब था वह मैंने सदन को बता दिया। अब अगर कुछ कहना है आपको इस संबंध में तो आप कृपया मुझे लिख कर दें नियमों के अनुसार, तो मैं उसे देख लूंगा।

चिकित्सा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना।

श्री अध्यक्ष—

अब एक दूसरा है माननीय जायसवाल जी का। उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय कृष्णानन्द राय जी के खिलाफ उठाया है। उनका कहना है कि प्रश्न संख्या ४—५ के उत्तर में माननीय कृष्णानन्द राय जी ने गलत उत्तर दिया। एक प्रश्न के उत्तर में

उन्होंने कहा कि किसी की जमानत नहीं हुई, जब कि माननीय जायसवाल जी के अनुसार एक की जमानत हुई है। प्रश्न माननीय हिम्मतसिंह जी ने यह किया था कि "क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो ११ आदमी मारे गये, इस केस में कितने आदमियों का चालान हुआ और कितने आदमियों की जमानत हो गयी ?" इसके उत्तर में माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा था कि "इसमें जमानत किसी की नहीं हुई है"। आप कहते हैं कि इस उत्तर के पहले एक की जमानत हो चुकी है। मैंने इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का तो प्रश्न स्वीकार नहीं किया है, किन्तु आप (श्री कृष्णानन्द राय से) स्पष्टीकरण दे दें कि क्या बात है।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

यह पहली मई को मेरे पास आई थी और उसकी रिपोर्ट अदालत से मांगी गई थी। यहां १४ मई की रिपोर्ट आई थी एस० पी० की, श्रीमन्। जो रिपोर्ट आई थी उस फाइल में यह था, जितने भी अभियुक्त थे सब लोग गिरफ्तार होकर जेल में बन्द कर दिये गये थे और किसी की जमानत नहीं हुई थी। श्रीमन्, १० जुलाई को फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी और उसमें उन्होंने यह लिखा था कि इन सारे अभियुक्तों को चार्जशीट लगाई गई थी ९ जुलाई को, और वे अदालत में भेज दिये गये थे और उसमें जमानत की चर्चा नहीं थी और श्रीमन्, जो जायसवाल जी सूचना दे रहे हैं उनकी सूचना सही हो सकती है। हम यह नहीं कहते कि वह गलत सूचना है। जहां तक मेरा संबंध था जो उस पत्रावली में था उसी के आधार पर मैंने यहां पर सूचना दी थी। मेरी यह हरगिज मंशा नहीं थी कि कोई चीज पत्रावली में रहे उसको मैं छिपाऊं। श्रीमन्, प्रिविलेज का प्रश्न तब होता है जब जानबूझ कर...

श्री अध्यक्ष—

मैं तो केवल आपसे जानकारी चाहता था...

श्री कृष्णानन्द राय—

क्योंकि पत्रावली में कोई चीज नहीं थी इसलिये उसको ही उत्तर मान लिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, सवाल यह नहीं है कि मंत्री जी की पत्रावली में क्या था और क्या नहीं था। सवाल यह पूछा गया कि २४ तारीख को और उस वक्त जो स्थिति थी उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिये। अगर इनके पास जानकारी मुकम्मिल नहीं थी जो जैसाकि कायदा है, ये कह सकते थे कि सूचना की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने ऐसा न करके जानबूझ कर इस सदन को झूठी सूचना दी, गलत सूचना दी और इस तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने सदन को गुमराह करके उसका अवमान किया है और आज भी वह कहते हैं। आप समझिए कि वे दुःख प्रकट करने के लिये भी तैयार नहीं हैं। कम से कम उनसे यह तो कहा जाय कि वे इस सदन से क्षमा मांगें कि इस तरह की त्रुटि वे आइन्दा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मेरा अनुभव यह है कि जब उनके पास जवाब आ जाता है तो उसी के बेसिस पर वे जवाब देते हैं यह मान लिया जाता है। आपके प्रश्न में यह है कि और कितने आदमियों की जमानत हो गई है। आपने भी कई आदमियों के बारे में शंका की है और आपको एक ही आदमी के बारे में जमानत पर छूटना मालूम था। सवाल यह है कि आपने इस तरह का प्रश्न किया। उनका यह जवाब था कि दो दफे जिले से पूछ लिया था। दोनों रिपोर्टों में जमानत पर किसी के छूटने का जिक्र नहीं है। वह कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ कर गलत उत्तर नहीं दिया। अगर वे कहते हैं कि हमने जानबूझ कर गलत उत्तर नहीं दिया तो मान लिया जाना चाहिये कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। आप कहते हैं कि मुझे जो जानकारी थी वह मैंने दी। आपने भी अपने जानकारी दी। उन्होंने मान लिया कि आपने अपनी जानकारी के आधार पर कहा।

[श्री अध्यक्ष]

आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं यह कहना सदन की प्रथा नहीं है। हम इस सदन में यह मानते हैं या समझते हैं कि सब सदस्य अपनी जानकारी के अनुसार कहते हैं। हो सकता है कि वाकयात में फर्क हो। क्या बात सही है जिले से माननीय मंत्री पूछ लें और पूछ करके आपको सूचना दे सकते हैं, लेकिन इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता तब तक जब तक यह आप निश्चित न कर लें कि उन्होंने जानबूझ कर असत्य सूचना दी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, उस दिन सदन में जो माहौल था तो यह बताना चाहिये था सरकारी पक्ष की तरफ से कि इस मामले में बहुत ही सतर्कता से और कड़ाई से कार्यवाही हो रही है। उसी की यह पृष्ठभूमि है। उसी के बाद से सारे के सारे मुलजिमान जेल में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जानकारी नहीं थी तो जानकारी करके ही जवाब देना चाहिये था और मैं यह समझता हूं कि इस सदन में वाणी स्वातन्त्र्य की बहुत छूट है लेकिन उसके साथ यह भी जुड़ा है कि कोई आदमी गलत बयानी नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—

जानबूझकर नहीं करेगा, धोखा देकर नहीं करेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मंत्री को जो जानकारी थी उसको जानकारी वे सदन को करा सकते थे उसकी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको मालूम था कि एक व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ है? तो आपने तत्काल क्यों नहीं कहा कि मेरी जानकारी है कि एक आदमी छूटा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा यह सवाल नहीं था। उनको जानकारी थी तो भी....

श्री अध्यक्ष—

जब आपको पता नहीं था तो हो सकता है कि उनको भी पता न हो।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह मान भी लिया जाय कि मंत्री जी ने सदन को जानबूझ कर मिसलीड नहीं किया है, लेकिन यह जरूर है कि वहां के अधिकारियों ने मंत्री जी को जानबूझकर मिसलीड किया है। कम से कम मंत्री जी उनके विरुद्ध तो कार्यवाही करने के आदेश दें।

श्री अध्यक्ष—

वे तो कहते हैं कि १० मई को उन्होंने पूछा और १० मई को उन्हें बताया गया कि सभी बन्द हैं। अब किस तारीख को उनको जमानत पर छोड़ा गया, यह पता नहीं है। यह आदेश अदालत से दिये गये होंगे, किसी और के कहने से नहीं छोड़ा गया होगा वह कौन सी तारीख थी जब तक यह बात मालूम न हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी। उनके पास तो उस वक्त की सूचना है जिस वक्त उनसे पूछा गया था। इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मामले में मंत्रिगण को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनको अपने उत्तर में यह कहना चाहिये कि अब तक मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह सूचना दे रहा हूं। फिर उसमें किसी को धोखा नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी ने यह जरूर कहा कि जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। इससे स्पष्टीकरण हो जाता है और सभी मंत्रियों को इसका अनुकरण करना चाहिये, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) –

माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया, उसमें जान बूझकर बात को छिपाया गया था। उनको जमानत की सूचना पहले ही हो गई थी। उनको यही कहना चाहिये था कि १० तारीख को जो उनको सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर कह रहा हूं, उस समय उनकी जमानत नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया और जानबूझ कर बात को छिपाया गया तथा आज भी छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष––

यह उन्होंने कहा था कि उन्होंने १० तारीख को पूछा था और १० तारीख को उनके पास यह सूचना है।

श्री त्रिवेणी सहाय––

जायसवाल साहब ने जब यह पूछा कि १० तारीख को किस की जमानत हुई तो जवाब दिया गया कि किसी की जमानत नहीं हुई। बीच में हो गयी होगी, यह कहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष––

यही तो मैं उनसे कह रहा हूं कि वे अपने उत्तर में यही कह दिया करें कि जो सूचना मुझे मिली है उनके अनुसार मैं ऐसा उत्तर दे रहा हूं।

श्री बांकेलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष––

श्री गंगा प्रसाद जी ने मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है वह बांके लाल जी के खिलाफ है। उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है वह इस प्रकार है––

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय बांकेलाल जी ने दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को सदन में जो यह कहा है कि कांग्रेस दल के सदस्यगण सदैव मंत्रियों की चापलूसी करते हैं और जी हुजूरी में लगे रहते हैं, यह सदन के कांग्रेस दल के सदस्यों तथा सदन का अवमान है। इसलिये इनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं।"

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, मैंने जो २४ तारीख को सदन में कहा था जरा उसको भी पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

आप नियमों की पाबन्दी पर जोर देते हैं, लेकिन स्वयं नियमों का पालन नहीं करते। मैं स्वयं ही उसको पढ़ कर सुना रहा हूं।

उन्होंने उस दिन यह कहा था कि "कांग्रेस के सदस्य, मान लीजिये वह उनकी जी हुजूरी करते हैं"।

उन्होंने जो यह शब्द कहे यह अनुचित जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। आपको उस समय टोकना चाहिये था। अगर आप ऐसा करते तो मैं कह देता कि आप अनुचित शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि मैं इसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं, लेकिन आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तीन चार बार कहा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप बोल तो रहे थे। उस समय शोर बहुत मच रहा था, इसलिये आपके शब्दों को मैंने सुना नहीं। दूसरी बात यह है कि आपन २४ की शाम को लिख कर भेजा है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, परसों मैंने म्योर मिल के मजदूरों के ब रे में लिख कर दिया था। वहां मजदूर अनशन कर रहे हैं और सरकार ने जो वहां कंट्रोलर बिठाया है वह सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और मजदूर हड़ताल के लिये मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं लिया गया है.....

श्री अध्यक्ष--

वह साढ़े ४ बजे के लिये है, अभी तो यह विशेषाधिकार के प्रश्नों का समय है। आप अभी बैठ जायं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

कानपुर के मजदूरों का सवाल है, अभी मैं नहीं बैठूंगा, मैंने यह परसों ही लिखकर दिया था, मजदूर वहां भूख-हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी पर विचार के लिये मैंने २ घंटे का समय मांगा था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आप से कहा कि इसको साढ़े ४ बजे लिया जायगा, अभी तो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों का समय है, यह सुबह लिये जाते हैं। अभी आप बैठ जायं और मेरी बात सुन ल।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने म्योर मिल के बारे में जो सूचना दी थी उस पर आप अभी क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें तो पहले, चाहे आप किसी नियम में भी उठायें, लेकिन उसके बाद आपको यहां के जो समय निर्धारण के अनुसार नियम हैं उनका तो पालन करना ही होगा। मैंने कहा कि यह जो नियम ५१-५२ के विषय हैं यह शाम को साढ़े ४ बजे लिये जाते हैं, इस समय विशेषाधिकार के प्रश्न आते हैं। यह निर्णय भी सदन का ही है। आपका जो है उसके बारे में भी निर्णय किया हुआ है उसको मैं साढ़े ४ बजे सुनाऊंगा, केवल वही नहीं है और भी उस समय के लिये मेरे पास प्रश्न हैं, मैंने समय दे दिया है, वह समय कब होगा यह मैं शाम को बता दूंगा।

सदन में राष्ट्रीय पताका का स्थान

श्री अध्यक्ष--

झंडे के बारे में कल सवाल उठाया गया था, मैंने पता लगाया यह झंडा यहां पर सन् ४७ से लगा हुआ है।

"At a meeting the National Flag Can not be hoisted for decoration."

यह नियम तो पब्लिक मीटिंग के बारे में है, असेम्बली के बारे में नहीं है, किसी मीटिंग का स्पीकर दूसरा होता है, उसमें विधान सभा के अध्यक्ष का जिक्र नहीं है इसलिये यहां या लोक सभा में कहीं भी झंडा लगे इसका जिक्र नहीं है। जो भी यहां के लिये नियम होगा वह सब की सलाह से होगा। अगर जरूरत समझी जायगी तो आपके चाहने पर मैं एक कमेटी २-१ माननीय सदस्यों की दोनों ओर से इधर और उधर से लेकर बना दूंगा और जो निर्णय झंडे के स्थान के बारे में देंगे कि अमुक स्थान पर ठीक रहेगा, वही सदन की राय से हो जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों को पूर्वाह्न में लेने का सुझाव

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

कार्यक्रम में श्रीमन्, नं० १२ पर कार्यस्थगन प्रस्ताव है वह इसी समय लेना चाहिये, शाम को लेने से क्या होगा, जबकि सदन ही स्वयं स्थगित हो जायगा ....

श्री अध्यक्ष --

आप बैठें, अभी तो बजट पर विचार होगा और कार्य-स्थगन और नियम ५१-५२ के सब शाम को साढ़े ४ बजे लिये जायेंगे।

श्री रामकरन--

कार्य स्थगन प्रस्ताव का महत्व क्या होता है, साढ़े ५ बजे सदन उठ जायेगा तो फिर स्थगित क्या होगा, उस का फिर महत्व ही क्या रह जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

कल यह तय हो गया था कि नये नियमों के अनुसार साढ़े ४ बजे बजट पर विचार खत्म करके कार्य-स्थगन का प्रस्ताव और नियम ५१-५२ की ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें ली जायेंगी। उसके बाद यदि साढ़े ५ बजे से पहले समय बचेगा तो बजट पर विचार साढ़े ५ बजे तक के लिये पुनः शुरू हो जायेगा ।

श्री रामकरन--

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में कुछ तय नहीं हुआ, वह नियम ५१-५२ के बारे में था।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम देख लें । आप नियम ३१५ देख लें। उसके सब पैराज में २५ से २८ में दिया हुआ है "मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार, उस दिन के अन्य सामान्य कार्य और सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा।' यह शाम को होगा और पहले से होता आया है।

१९६९-७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, कल मैं कह रहा था कि हमारे प्रदेश की सरकार ने ३९ १/२ करोड़ के घाटे का बजट जो तैयार किया है वह एक सामान्य बजट नहीं होगा। यह जनता का बजट न होकर पूंजीपतियों का बजट है, समाजवाद की ओर न ले जाकर पूंजीवाद की ओर ले जाता है।

जहां तक इस बजट में शिक्षा का सवाल है, हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, जोकि सारे प्रदेश के स्कूलों की हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाएं लेता है, अब की बार वहां पर बहुत से स्कूलों की कापियां ही गायब हो गयीं, वहां पर न कोई ठीक इन्तजाम है, न कोई ठीक प्रबन्ध ही है। मैं चाहूंगा कि इसमें आमूल परिवर्तन किया जाय। भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक कोठारी आयोग बैठाया था, लेकिन उस कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि उस कमीशन की जो भी सिफारिशें हैं, हमारी प्रदेशीय सरकार उन्हें तुरन्त लागू करे। अगर हमारी सरकार उन बच्चों के भविष्य को ऊंचा उठाना चाहती है जोकि हमारे देश और प्रदेश के होने वाले नागरिक हैं, जिनके हाथ में भविष्य में बागडोर होने वाली है, तो आवश्यक है कि शिक्षा

---

†२५ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोह लाल]

की पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाय । अन्यथा हमारे प्रदेश में जितने विद्यालय हैं, उनको विद्यालय न कह कर अनाथालय कहा जाय तो बहुत अच्छा होगा । विद्यालयों में आज हालत यह है कि जो गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महापालिका, नगरपालिका के स्कूलों में या जिला बोर्ड के स्कूलों में भेजते हैं तो वे वहां पर पढ़ाई न होने के कारण उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है । मैं कानपुर की हालत जानता हूं क्योंकि मुझे वहां की महापालिका का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वहां किस प्रकार उनके स्कूलों की शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । हालांकि मैं एक इन्टरमीडिएट कालिज का प्रबन्धक हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय । अगर प्रजातंत्र में प्रदेश और देश की तरक्की करना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में सुधार किया जाय । अगर ऐसा नहीं होगा तो देश से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आप नहीं मिटा सकते हैं । जब तक समाज, प्रदेश और देश में शिक्षा का अभाव रहेगा हम चाहे जितने आदर्श यहां पर बतायें, लेकिन कुछ भी तरक्की करने में असफल ही रहेंगे । प्रजातंत्र में जो सरकार होती है वह जनता की होती है, जनता के लिये होती है और जनता द्वारा होती है, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि सरकार और आम जनता के बीच में गड्ढा या खाई रहे जो कभी पाटी न जा सके । अंग्रेजों के जमाने में जितने अधिकारी लोग थे वे अपने घरों में बैठकर दफ्तर किया करते थे । उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई उन पर हमला न कर दे, बम न फेंक दे । लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है । २२ साल हमको आजादी प्राप्त हुए हो चुके हैं लेकिन हालत वही है कि आज भी जिलाधीश घरों में दफ्तर लगाये हुए हैं । किस तरह से आम जनता उनसे संबंध बनाये रख सकती है ? प्रान्तीय सरकार इस प्रकार के आदेश दे कि कोई भी जिलाधीश हो, वह अपना दफ्तर घर में न बना कर अदालत में बनायेगा जोकि सबके लिये खुली हुई है ।

आप देखें कि अदालतों में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है । गरीब काश्तकार अपने मुकदमों की पैरवी के लिये आते हैं, दिन भर परेशानी में बैठे रहते हैं अपनी तारीख पर आते हैं, लेकिन शाम के ५ बजे उनको बतलाया जाता है कि तुम्हारी तारीख बढ़ गयी है । अगर पेशकार को ५, १० रुपये दे दिये होते तो सुबह ही बतला दिया जाता कि तुम्हारी तारीख बढ़ गयी है । लिहाजा अदालतों में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसे रोका जाय ।

उत्तर प्रदेश की जनप्रिय सरकार की उपलब्धियां नामक पुस्तिका बांटी गयी है । आप देखें कि श्रम के अन्दर शान्ति नहीं, अशान्ति ही बढ़ी है । कानपुर में ३२ टेनरियां जाजमऊ में हैं जिसमें हरिजन लोग काम करते हैं और उनको ३० रु० से ५० रु० तक वेतन मिलता है । उनको न महंगाई भत्ता मिलता है, न अच्छा वेतन मिलता है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें । पुराने जमाने में जिस प्रकार सामन्तशाही में काम लिया जाता था आज उसी तरह से उनसे काम लिया जाता है और उनको दबाया जाता है । म्योर मिल का मामला है । १ माह से अनशन और भूख-हड़ताल चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है । सरकार इस औद्योगिक अशान्ति में सुधार करे ।

कानपुर एक औद्योगिक नगर है । पहले जहां पर एक मिल थी आज वहां उस पर ४ मिलें हैं लेकिन छोटे उद्योग धन्धों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । पहले जो दरियां बना करती थीं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता था । लेकिन जब से उन दरियों पर बिक्री-कर लग गया है तब से मिलों की बनी हुई दरियों के मुकाबले में उनकी कीमत बहुत बढ़ गयी है जिस से जो यह कुटीर उद्योग धन्धा है वह गिरता जा रहा है । लिहाजा दरियों पर लगा हुआ बिक्री-कर खत्म किया जाय ताकि कुटीर उद्योग धन्धे पनप सके । साढ़े ३९ करोड़ के घाटे का जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है मेरा निवेदन है कि इसे कतई पास न किया जाय और इसमें एक पैसा भी मंजूर न किया जाय ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) –

अध्यक्ष महोदय, १९६९-७० के बजट में जो आज चर्चा हो रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। जब इस बजट पर चर्चा प्रारम्भ हुई तो चौधरी चरणसिंह पहली बार नेता विरोधी दल की हैसियत से हमारे सामने अपने सुझाव देंगे, ऐसी मेरी जिज्ञासा थी। उनको बहुत बड़ा अनुभव है। २० वर्ष से लगातार वे कांग्रेस मंत्रि मंडल में वरिष्ठ मन्त्री रहे हैं। पिछले वर्ष इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, और आज विरोधी दल में सब से बड़े दल के नेता हैं। पारसाल भी जब मैं विरोधी दल में बैठा था तो यह सोचता था कि मैं उनसे कुछ सीख सकूंगा और अब जब वे विरोधी दल के नेता हैं तो मैं यह सोच रहा था कि थोड़ा सा उनसे सीखने का प्रयास करूंगा क्योंकि वे अनुभवी बुजुर्ग हैं, और उनके बताये हुए मार्ग पर चल कर राज्य में नए विधायक अपना मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। मैं एक घंटे तक उनका भाषण सुनता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो इतिश्री हो रही है, मैं चला गया। लेकिन जब मैं दोबारा लौट कर आया तो देखा कि चौधरी साहब फ़िर भी बोल रहे थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि विरोधी दल के नेता को कितना समय मिला है। बाद में पता चला कि वह जितना चाहें बोलते जायं। वह लगातार पांच घंटे तक बोले। लेकिन उनके भाषण के प्रति जो सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया रही, केवल माननीय सदस्यों की नहीं, वह यह कि चौधरी साहब बहुत ही ज्यादा खफ़ा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा खीझपन, उनको है। पूरे पांच घंटे तक उनका भाषण माननीय गुप्ता जी के प्रति रहा, न जाने कैसा व्यक्तिगत झगड़ा उनका उनसे है। न तो कांग्रेस की नीति के बारे में और न इस बजट के बारे में उन्होंने कोई प्रकाश अपने पांच घंटे के भाषण में किया। उनको जो भी गुस्सा और नाराजगी है वह सब गुप्ता जी पर ही छायी रहती है। (शोर) मुझे इसका दुःख नहीं है।

मैं तो जब चौधरी साहब को और उनके दल को देखता हूं तो सचमुच कहता हूं कि उनके प्रति एक बन्धुत्व की भावना मेरे दिल में रहती है। आखिर हैं तो हमारे ही। अगर चौधरी साहब कांग्रेस और गुप्ता जी की नीतियों की आलोचना करते हैं तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं उनसे लेकिन मैंने सुना है कि चौधरी साहब की कभी किसी भी मुख्य मंत्री से नहीं पटी, चाहे वह पंत जी रहे हों, चाहे सम्पूर्णानन्द जी रहे हों, चाहे सुचेता जी रही हों, और चाहे गुप्ता जी रहे हों। उनका सबसे विरोध रहा और हमेशा अपनी बात को वह आगे रखना चाहते थे। हमारी तरफ़ देहात में एक कहावत है कि "अपनी अक्ल और दूसरे की दौलत" हमेशा बड़ी मालूम पड़ती है। अर्थात् मैं जो समझता हूं दुनिया में वही सही है और दूसरे जो कह रहे हैं वह बिलकुल गलत है। माननीय चौधरी साहब को सौभाग्य से विरोधी दल के नेता का पद मिला है। उन्होंने जनतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिये एक स्वस्थ परम्परा रखते हुये शासन को ऐसा सुझाव दें जिस से प्रदेश के पिछड़ेपन की जो बार बार दुहाई वह दिया करते हैं वह दूर हो सके। लेकिन इस प्रदेश के पिछड़ेपन में चौधरी साहब का भी हाथ है। माना कि साल भर से वह अलग हो गये, लेकिन लगातार २० साल तक वह इस प्रदेश के शासन के कार्यकलाप में एक प्रमुख भाग लेते रहे। इसलिये आज जो प्रदेश पिछड़ गया है उसकी जिम्मेदारी शासन की ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक चौधरी साहब पर भी है। गुप्ता जी से उन के संबंध अच्छे नहीं रहे केवल इसलिये कि मंत्रि-मंडल का गठन किस प्रकार हो और केवल इसी एक झगड़े के कारण आप कांग्रेस से अलग हो गये और आज आपने जिस दल को बनाया है उसके बारे में सुना है कि आप ही के कारण बी० के० डी० के संस्थापक महामाया बाबू से आपकी नहीं पटी और उनको भी दल छोड़ना पड़ा। तो एक डिक्टेटर की हैसियत से कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, दूसरों का सोचना सही नहीं है इस तरह से माननीय चौधरी साहब आप चल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके उनको न ऐड्रेस कीजिये, मुझे ऐड्रेस कीजिये।

श्री धर्मवीर—

मैं आपको ही ऐड्रेस कर रहा हूं। आपके जरिये उनसे कह रहा हूं। माननीय चौधरी साहब की देश-भक्ति में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति आपकी जो सेवायें हैं उसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन जिस मार्ग को आपने अपनाया है उस पर पुनः विचार करें और गम्भीरता के साथ देश की स्थिति को देखते हुये, प्रदेश की स्थिति को देखते हुये पुनः उनको कांग्रेस में वापस आना चाहिये और समाजवाद के सिद्धान्त को लेकर जिसको कांग्रेस ने अपना लिया है, आपको हमें सहयोग देना चाहिये। हम आपके मार्ग पर चलने के लिये तैयार हैं शर्ते कि आप कांग्रेस की नीति का अनुसरण करने के लिये तैयार हों।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या बजट पर भाषण दे रहे हैं।

श्री धर्मवीर—

माननीय चौधरी साहब ने तो अपने ५ घंटे के भाषण में सिवाय बी० के० डी० के प्रचार के और गुप्ता जी के ऊपर आक्षेप करने के और कुछ नहीं कहा। अगर गुप्ता जी से उनकी पर्सनल लड़ाई है तो आपस में बात कर लीजिये और समझौता कर लीजिये। लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर जो उन्होंने ५ घंटे सदन का समय लिया, वह कहां तक उचित है ?

अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में केवल एक, दो बातें ही कहीं। एक तो ट्रांसफ़र्स के मामले में आपने कहा कि जैसे ही गुप्ता जी चीफ़ मिनिस्टर हुये, वैसे ही उन्होंने तमाम लोगों के ट्रांसफर कर दिये और ऐसे किये हैं कि आपकी भावना कहती है कि वे जाति के नाम पर या बिरादरी के नाम पर या जो चौधरी साहब के सपोर्टर थे उनके ट्रांसफ़र किये गये।

नेता विरोधी दल की तरफ़ से कर्मचारियों की हिमायत की गई। लेकिन मैंने उनके चुनाव भाषणों को सुना है, जिनमें आपने कर्मचारियों को कंडेम किया है और कहा है कि वे शासन में अच्छा हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहां उनकी हिमायत करना शोभा नहीं देता है। जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो जो उन्होंने कर दिया उसके खिलाफ़ कभी हमने किसी अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने अधिकारियों से यही कहा कि जो मुख्य मंत्री करते हैं वह सही करते हैं। लेकिन जब गुप्ता जी ने मुख्य मंत्री के पद को संभाला तो फ़िर ऐसा क्यों है ? जो कांड हुये हैं उनकी मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं। फ़िर कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के ट्रांसफ़र्स के बारे में कहना कहां तक उचित है, आपने भी ऐसा किया है। जब आपने मुख्य मंत्री के पद को संभाला तो इस कदर ट्रांसफ़र्स हुये कि तमाम सूबे में तहलका मच गया। आपने भाषण दिया कि मैं प्रशासन को शुद्ध करना चाहता हूं और भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल रहा हूं। मेरे नालेज में एक भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है जिसको आपने निलम्बित किया हो या निकाल दिया हो वह आपके ही शासन काल में रिइंस्टेट न हुआ हो। वह आपके ही शासन काल में रिइंस्टेट हुआ। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने मुझ से कहा कि आप जायसवाल साहब से कह दीजिये कि वह मेरी बात सुन लें तो बड़ा अच्छा हो। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जो अच्छा समझते हैं वही करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं दिल्ली गया तो वही इंजीनियर साहब मुझे मिले जो बड़े खुश थे। पूछने पर उन्होंने कहा कि उसके दो महीने बाद ही मैं रिइंस्टेट हो गया। मैं ही नहीं ६-६ इंजीनियर हो गये हैं। इस तरह से प्रशासन को शुद्ध बनाने की दुहाई देने वालों के जमाने में ऐसी बातें हुई हैं। तो फ़िर इस तरह की बातें करना कहां तक उचित है।

आप प्रदेश की स्थिति को देखते हुये सोचें कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है। आज पश्चिमी जिलों को देख लीजिये, पूर्वी जिलों को देख लीजिये लेकिन पश्चिमी जिलों की क्या हालत है और पूर्वी जिलों की क्या हालत है। बीस साल तक चौधरी साहब के शासन में रहते हुये जो भी उन्नति हो सकी पश्चिमी प्रदेश की हो सकी, पूर्वी अंचल का पिछड़ापन दूर करने

के लिये उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया. (व्यवधान) मुझे बड़े दु ख के साथ कहना पड़ता है कि आपने चौधरी साहब को अपना नेता माना है। वह हमारे भी नेता थे और हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि २० साल तक वह यह न समझ पाये कि किस दल के साथ रहना चाहिये। २० साल के बाद जब मिनिस्ट्री नहीं मिली तब पता चला कि यह दल खराब है। जिस दल में आज वह हैं पता नहीं कितने साल के बाद उनको यह अनुभव होगा कि यह दल भी खराब है, तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

देखिए, राजनीतिक चर्चा न हो। बजट पर आ जाइये।

श्री धर्मवीर—

आपने चौधरी साहब को पूरा समय दिया। उन्होंने सिवाय बी० के० डी० के प्रचार के कुछ नहीं कहा।

आपने जहां प्रशासन की बात कही है, मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं—इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय आप कुर्सी पर बैठते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि प्रशासन की गड़बड़ी क्या आपके शासन काल में नहीं हुई। पूरे देश के अन्दर ही नहीं, पूरे विश्व के अन्दर ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा कि आपके ही मिनिस्टरों ने दफ़ा १४४ को दिल्ली में जाकर तोड़ा और यहां उसी दफ़ा १४४ के अन्दर रायबरेली में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया। जब यहां सवाल आया कि आपके मंत्रियों ने आपका कानून तोड़ा है तो आपने एक शब्द नहीं कहा आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि यह कह सकें कि हां यह गलत है। आप जानते थे कि यह गलत है लेकिन यह साहस आपको नहीं हो सका कि यह कह सकें कि यह गलत है। दूसरों पर आरोप लगाना आसान है लेकिन जब आप खुद कुर्सी पर बैठते हैं तब पता चलता है कि प्रशासन में क्या कठिनाइयां आती हैं। मुझे बड़ा ही प्रेम है चौधरी साहब आप से। बड़े आदर से आपको देखता हूं। लेकिन प्रदेश को आगे बढ ने के लिये आप कदम उठायें। विरोधी दल के क्या कार्य होते हैं देश के अन्दर इसका आप नेतृत्व करें। इसमें आपको सफ़लता मिलेगी। बजट के बारे में संक्षेप में।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह कांग्रेस बनाम बी० के० डी० बहस हो रही है या बजट पर बहस हो रही है ?

श्री धर्मवीर—

मैं चौधरी साहब पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मानना चाहिये कि यह जो बजट १९६९–७० का है इस बजट के अन्दर, इतने बड़े प्रदेश का ऐसा बजट जिसके अन्दर कोई टैक्सेशन की बात नहीं की गयी हो, पहली बार आपके सामने आया है। आपने अपने प्रशासन काल में टैक्सेशन बढ़ाया था। लेकिन इस बजट में किसी प्रकार से जनता के ऊपर कोई टैक्स लगाने की बात नहीं कही गयी है। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हो रहा है उसके अन्दर जिस प्रकार से हमें कमी होगी उस प्रकार से पूरा करेंगे, किसी प्रकार से जनता पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा। इस बजट में साढ़े ९ करोड़ रुपये एक मुश्त निकाल कर अध्यापकों को दिया गया। बड़ा श्रेय लेना चाहा था आपने, मध्यावधि चुनाव में कि हमने अध्यापक के बारे में यह निर्णय किया लेकिन जो निर्णय किया उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाया। एक किताब निकली है आपने पढ़ा होगा "जनप्रिय सरकार की उपलब्धियां" आप तुलना कर सकते हैं। साल भर की अपने शासन की उपलब्धियां देख लीजिये और इस पांच महीने की उपलब्धियां देख लीजिये। साल भर के अन्दर आपके प्रशासन में यह प्रदेश कई साल पीछे चला गया है और पांच महीने के अन्दर इस प्रदेश ने, जिसे आप दोषी बताते हैं, कितनी उन्नति इस प्रदेश ने करा ली है उसे आप इस में पढ़ कर देख लीजिये।

[श्री धर्मवीर]

इस बजट के अन्दर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिये एक नई स्कीम शुरू की गई है—इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्शियल सेल की। इसके द्वारा आपको मालूम होना चाहिये कि १०० करोड़ रुपये की शक्ति के साधन हमें मिलेंगे, जिस से यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह धन प्रदेश की उन्नति में सहायक होगा। धन की कमी प्रदेश के विकास में बाधक रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी नीतियों के साथ कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं, जो कि प्रदेश और देश को समाजवाद की ओर ले जाने में पूर्ण सहायक होंगी। पहली प्राथमिकता है ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके अन्दर सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जिसको पीने के पानी की तकलीफ हो। दूसरी प्राथमिकता सिंचाई के बारे में दी गई है और तीसरी प्राथमिकता पावर सप्लाई को दी गई है। इन तीन प्राथमिकताओं को तय करने के बाद में यह बजट बनाया गया है। आप देखेंगे कि यह सरकार ५ साल तक यदि चलती है तो एक साल के अन्दर जो प्रशासन में रुकावटें आई हैं वे दूर होंगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस बजट को आप पढ़ने की कोशिश करें। आप व्यक्तिगत रूप से गुप्ता जी से नाराज होकर उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन इस सदन में और इस बजट के अवसर पर इस प्रकार की बातें करना चौधरी साहब के लिये उचित नहीं है। यह कम्पलीट सोशलिस्टिक सिद्धान्तों पर आधारित बजट है, इसमें कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है। आप तथा कथित सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारों को देखें। बंगाल के अन्दर जो सरकार है उसने ३ से ५ एकड़ तक हंड्रेड परसेन्ट रेवेन्यू बढ़ाया है, १० से २० एकड़ पर २०० परसेन्ट और २०० एकड़ से ऊपर ४०० परसेन्ट लैंड रेवेन्यू बढ़ाया है। यह तो आपकी बंगाल और केरल की सरकारें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पैसा भी किसानों के ऊपर नहीं बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो चुका है, समाप्त करें। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी

श्री धर्मवीर—

लेकिन इस सरकार ने इसके अलावा किसानों को छूट दी है और सिंचाई के साधन दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। (श्री अध्यक्ष बार-बार माननीय सदस्य को रोकते रहे किन्तु माननीय सदस्य बोलते रहे)। (व्यवधान)।

श्री धर्मवीर—

मैं, अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और चाहता था, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि यह सदन यह बजट पास कर दे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय सदस्य (धर्मवीर) को आदेश दिया कि वह अपना भाषण समाप्त कर दें, लेकिन आपकी व्यवस्था के पश्चात् उन्होंने जो भाषण दिया है वह क्या प्रोसीडिंग्स में शामिल होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि मैं इतनी सख्ती नहीं कर रहा हूं। लोग बोलते चले जा रहे हैं, मैं किसको रोकूं। उन्हें नहीं करना चाहिये, यह ठीक है। वह अनुशासन के अन्दर हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था। लेकिन एक आध मिनट वह बोल गये। मैं ज्यादा सख्ती अभी नहीं कर रहा हूं। धीरे-धीरे सख्ती होगी, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि काफी नये-नये लोग भी आये हैं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बजट पर परसों से चर्चा चल रही है। नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं समझता हूं कि मदों पर चर्चा करना अनावश्यक है इस वक्त। एक अवसर आयेगा जब कि अनेक मदों की अनुदानों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसलिये मैं मदों पर चर्चा नहीं करूंगा। इसलिये मेरी इच्छा है कि सैद्धान्तिक बातों पर कुछ चर्चा करके अपना आसन मैं ग्रहण कर लूं। जहां आवश्यक है नीतियों का वहां पर प्रशासन का स्पर्श करूंगा। जब यह बजट आपके सामने प्रस्तुत किया गया तो मैंने यह आपत्ति की थी कि दूसरा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आज मैंने पढ़ा कि कौंसिल हाउस में उस पर चर्चा करने के लिये ऐडवोकेट जनरल बुलाये गये थे। वोट आन एकाउन्ट मांगा गया पांच महीने का, पांच महीने का खर्चा हुआ उन्होंने ले लिया जिस पर चर्चा नहीं हुई। यह अमूमन हुआ करता है जब चुनाव का वर्ष होता है। तो मेरा एक सुझाव है कि वोट आन एकाउन्ट लेने का अवसर नहीं आयेगा और सही प्राक्कलन आय और व्यय का बन सकेगा इसलिये वित्तीय वर्ष में परिवर्तन होना चाहिये। वित्तीय वर्ष अंग्रेजी विचार धारा पर चला आ रहा है। हमने उसको परिवर्तन नहीं किया है। हमें भारतीय विचारों को सामने रखना चाहिये और उसको हमने अपने सामने रखा नहीं है। प्रतिवर्ष अक्तूबर का महीना ऐसा है जब रबी और खरीफ दोनों की फसलें कट चुकी होती हैं और मानसून के प्रकोप और उदारता को देखकर ऐसा अनुभव हो सकता है कि इस प्रदेश की आय क्या होगी और फिर हम अपने खर्चों को भी उसी के अनुरूप रख सकते हैं। अगर हम यह नीति अपनावें तो आगे चलकर जो प्राक्कलनों में भारी भेद दिखलाई पड़ता है वह न हो। मुझे स्मरण है कि श्री के० टी० शाह साहब ने बहुत पहले यह सुझाव रखा था कि फाइनेंशियल ईयर अर्थात् वित्तीय वर्ष को बदला जाय और सन् १९५८ की लोक सभा की ऐस्टीमेट्स कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी कि ऐसा वित्तीय वर्ष निश्चित किया जाय जो यहां की स्थिति को सूट करता हो। तो इसलिये मेरा सुझाव यह है कि वित्तीय वर्ष में परिवर्तन लाया जाय और यदि इसके लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना हो तो हमारी प्रान्तीय सरकार को इस विषय में केन्द्रीय सरकार से भी सिफारिश करनी चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि मुझे बड़ा दुख है और पब्लिक एकाउन्ट कमेटी का चेयरमैन व सदस्य होने के नाते मैंने कुछ बजट फ्रेमिंग के बारे में बड़ी खामियां देखीं कि बहुत से विभाग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते इसलिये कि जो फाइनेन्शियल रूल्स बने हुये हैं जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उसका परिवर्तन करना हमारे जैसे विकासशील प्रदेश के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम उन फाइनेन्शियल रूल्स में परिवर्तन करें। आज होता क्या है कि हम अनुदानों का विनियोजन कर देते हैं और विनियोजन हो जाने के बाद विभागों के अध्यक्षों को मालूम होता है कि इतना रुपया हमको मिला लेकिन कार्यान्वयन करते समय ४ चपरासी या २ चपरासी भी नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो उसे फाइनेंस सेक्रेटरी की अनुमति लेनी पड़ती है। नतीजा यह है कि ६, ६ महीने तक फाइलें पड़ी रहती हैं और काम रुका रहता है। मुझे ऐसे अवसर देखने में आये हैं जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमति नहीं मिल पायी। हमारी योजनायें इस तरह से पड़ी रह जाती हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता कि जो विभागाध्यक्ष हैं उनके सुपुर्द इस बात की जिम्मेदारी की जाय और अगर कोई गड़बड़ी हो तो उनको सजा दी जाय। आखिर क्या वे वित्त सचिव से कुछ कम जिम्मेदार हैं? वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं और अगर वह जिम्मेदारी को ठीक से न निभायें तो आप उनको उसी के मुताबिक सजा भी दे सकते हैं।

यह दो बातें तो मैंने बजट फ्रेमिंग के नियमों के बारे में कहीं। एक बात और कहना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हूं। अब बजट के संबंध में कुछ कहता हूं। बजट में कुछ नीतियों का प्रतिपादन होता है। मेरे विचार से जो मैं कहना चाहता हूं अगर उन नीतियों का बजट में प्रतिपादन किया गया होता तो ज्यादा अच्छा था। यह कैपिटलिस्ट ओरियेन्टेड बजट है, लेबर ओरियेंटेड नहीं, श्रम प्रधान बजट नहीं है। अगर वह किया गया होता तो हमारी सारी समस्या हल हो जाती। एक तो उससे बहुत से लोगों को काम मिल जाता और बेकारी का जो प्रश्न है वह भी दूर हो जाता।

दूसरी बात श्रीमन्, हमारा ध्यान आर्गनाइजेशन की तरफ ज्यादा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ नहीं गया है। इनकी स्कीमों से पता चलता है कि इसकी मौलिक गलती यही है कि ग्रामों को इकाई मान कर नहीं चले हैं। अगर ग्रामों को इकाई मानकर चलते तो यह बात नहीं होती।

तीसरी बात यह कि इनको चाहिये था कि बड़े बड़े उद्योग-धंधों को कायम न करके छोटे-छोटे उद्योग धंधों का जाल बिछाते। इस से चारों तरफ उद्योग बढ़ते। किसानों का भी पेट भरता और उसकी जमीन पर बोझ भी कम होता। उसको खाने पीने का साधन भी मिलता।

चौथी बात यह है कि कहते तो यह हैं कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। बात सही है। लेकिन बहुत दिनों के बाद उनको सपने में यह बात आयी कि सारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था का आधार ही कृषि है। यदि कृषि की उपज अच्छी होगी तो हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी। हमारी कामयाबी आयेगी और हम धनधान्य से पूर्ण होंगे और भोजन वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस बजट को बनाते समय इस चीज को दुर्लक्ष्य किया गया। अब मैं इस बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बजट तो सचमुच, जैसा कि कल विरोधी दल के नेता ने आपत्ति की कि इसमें एक अजीब जादूगरी है और यह अच्छा रहा होता यदि हमारे वित्त सचिव समझा दिये होते, परन्तु हमारा प्रस्ताव वे नहीं मान सके। इस चीज को मैं उलझाना नहीं चाहता और इन तमाम चीजों के विवरण में जाने में अपने को असमर्थ समझता हूं लेकिन फिर भी जो हम समझ सके हैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि बजट प्लानिंग के पहले अच्छा था कि हमारी सरकार जिन दो चीजों पर आपत्ति की गई है उसके क्या कारण हैं इन पर विचार करती। पहली चीज तो यह कि प्राक्कलन गलत होता है और संसदीय नियंत्रण जो रहना चाहिये वह आज इस सदन में नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोक लेखा समिति किस लिये कायम की, हमारी प्राक्कलन समिति किस लिये कायम की? उनके द्वारा जितने भी काम होते हैं उनको सरकार एक अजीब आंख मिचौनी की तरह से देखती है। हमारी पब्लिक एकाउन्ट कमेटी ने जो भी सिफारिशें की उसकी रिपोर्ट को इस सदन के सामने नहीं रखा गया। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की सिफारिश के बिना अनुमानित बजट गलत बनता है और सदन द्वारा दिया हुआ पूरा रुपया विभागाध्यक्षों द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। विभागाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली इस तरह की गड़बड़ियां सदन के सामने नहीं आतीं और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के ऊपर भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका क्या कारण है? हर जगह बजट के लिये पार्लियामेंटरी कंट्रोल रहता है लेकिन यहां संसदीय नियंत्रण को नहीं मानते। अगर ऐसा वे करते तो जिन त्रुटियों को दूर करने की सिफारिश की गयी है उसको दूर करने के बाद फिर उसके अनुरूप वे अपनी पालिसी व नीति को बनाते। मान्यवर, इस संबंध में सरकार से मेरी प्रार्थना और मेरा सुझाव भी है कि कभी भी बजट पहले न बनाया जाय जब तक कि पब्लिक एकाउन्ट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आवे और उस पर पूरी चर्चा न हो जाय। एकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट का आखिरी तात्पर्य क्या है? पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार इसको जानती भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक भी सिफारिश को जो पब्लिक एकाउन्ट कमेटी के अध्यक्ष ने की विभागाध्यक्षों ने नहीं माना। वे सनमते हैं कि हमारी सरकार ही कुछ नहीं सनमती तो हम इसको क्या सनमतें हैं।

तीसरा सुझाव—बजट के बारे में मैं एक ही चीज और कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि हमने टैक्स नहीं लगाया है। इस संबंध में मैं एक ही चीज की चर्चा कर दूं कि सरकार को अपने खर्च और आमदनी तक का सही ज्ञान भी नहीं है। मान्यवर, प्रमाण-स्वरूप में एक बात कहता हूं—दो वर्ष के बजट में एक्चुअल और अनुमानित प्राक्कलन की अन्तर शि में काफी बड़ा अन्तर है। पहले जहां घाटा दिखलाया गया है वहां अन्त में बचत दिखलायी गयी है। इसका कारण यही है कि या तो सही आकलन नहीं हो पाया या विभागाध्यक्षों की अयोग्यता है कि जिनको पैसा दिया गया उसे वे साल के अन्दर खर्च नहीं कर पाये। प्राक्कलन कितना गलत होता है इसका एक उदाहरण यह है कि भू-राजस्व में १९६७-६८ में ३३ करोड़ ३५ लाख रुपये की आमदनी दिखलायी गयी और १९६९-७० में २२ करोड़ ३३ लाख ५७ हजार रुपये की आमदनी दिखलायी गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? क्योंकि सारी जमीन तो जोत के अन्दर है इसलिये भू-राजस्व में कमी तो हो नहीं सकती। आपने और जंगलात तोड़े हैं, तमाम परती जमीन तोड़ी है, बंजर जमीन तोड़ी है, फिर भू-राजस्व में कैसे कमी होगी? यह तो आंख में धूल झोंकने की बात है कि हमारी आमदनी कम हो गई। इसलिये मैं कहता हूं कि प्राक्कलन भी गलत बनता है। इस तरह से सेल्स टैक्स में भी कमी दिखलायी गयी है जबकि सेल्स टैक्स संबंधी तमाम कर आपने बढ़ा दिये हैं, फिर आमदनी कम होने का सवाल कैसे उठता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इससे साफ मालूम होता है कि ब्यूरोक्रेसी ने आंख मींचकर इस बजट को आपके सामने रखा है और उसमें मस्तिष्क का सही उपयोग नहीं किया है। हमारा विश्वास है यदि आपने मेरे सुझाव को माना होता तो यह गलती न होती। जो गलती आज दिखाई पड़ती है वह आज न होती।

दूसरी बात बजट के संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पेश करने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बार फरमाया था कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे। आपने बड़ी जादूगरी दिखाई। बिक्री कर आपने बढ़ाया और ३ करोड़ ५७ लाख अभी तक ले लिया और १ करोड़ ९ लाख रुपये की वृद्धि और करेंगे। यह कर सामान्य जनता के ऊपर लगाया गया है। बड़े आदमियों पर नहीं लगाया गया है। आप कहते हैं कि योजनाओं के लिये यदि रुपये की आवश्यकता हुई तो बड़े आदमियों पर कर लगायेंगे।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं नेता जनसंघ से पूछना चाहता हूं कि पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहां कहा है कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अभी तक जो स्पीच हुई है उसमें कहा गया है कि यदि आवश्यक होगा तो लगाया जायगा। अपने को समाजवादी कहने वाली यह सरकार है। अभी तक तो इसने गरीब जनता से उस टैक्स को वसूल कर लिया है और आगे के लिये कहते हैं कि बड़े आदमियों पर टैक्स लगायेंगे। जरूरत पड़ेगी तो लगाया जायगा। लेकिन हमारा यह निश्चित मत है कि आमदनी ज्यादा होगी और बड़े आदमियों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिये यह सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं सुझाव देता हूं कि अगर किसी समय भी कर लगाने की नौबत आवश्यक जान पड़े तो सरकार को चाहिये कि वह रूरल और अरबन दोनों की आमदनी एक साथ रखे और उसी हिसाब से टैक्स लगाये। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की यह सिफारिश है कि दोनों का हिसाब सामने रहना चाहिये। आज हालत यह है कि एक आदमी एक लाख रुपया पैदा करके घर में बैठ जाता है। मामूली सी खेती करता है। उसको टैक्स से बचत हो जाती है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अरबन और रूरल दोनों की आमदनी को लेकर आगे कोई जनता पर टैक्स लगाना चाहिये।

दूसरी बात मैं बजट के संबंध में सिद्धान्तरूप से यह कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक ऐक्सपेंडीचर बढ़ा है। अगर हमारा यह खर्चा बढ़ता है तो इसी हिसाब से हमको विकास भी करना चाहिये। यदि कैपिटल ऐक्सपेन्डीचर बढ़ता है तो विकास भी उसके अनुरूप ही होना

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

चाहिये। लेकिन उसकी रूह से हमारा विकास नहीं हो पाया है। तो देखना यह है कि हम आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि बजट के हर पहलू को स्पर्श नहीं कर सकता। परन्तु एक बात निश्चित है कि जो आपकी नीति है उस नीति के अनुसार आपके बजट का फार्मेशन नहीं हुआ। हमने माना कि आपका बजट सही है परन्तु इस बात को देख लिया जाय कि बजट के लिये कौन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी बात को ध्यान में रख कर बजट की आलोचना करनी चाहिये। इसकी राजस्व प्राप्ति, कर्जा और केन्द्र से सहायता। इनको करने के लिये एफिशियेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। जो नये ढांचे में ढला हो उस ऐडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। उस ऐडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है जिसने प्रगतिशील युग को देखा ही नहीं है। आपका शासन पुराना शासन है। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि आज जो राजस्व प्राप्ति है उनकी स्थिति क्या है और जो ऋण लिये जाते हैं उनकी स्थिति क्या है। उस धनराशि का दुरुपयोग होता है। जितनी धनराशि प्राप्त की जाती है उतना उसका कार्यान्वियन नहीं होता है और न वह धनराशि उस कार्य के लिये प्रयोग में आती है जिसके लिये वह धनराशि ली गई है। मैं एक दो उदाहरण को लेता हूं। यही कारण है कि आपके ऊपर इतना कर्जा है। १८ वर्ष से यहां पर योजनायें चल रही हैं लेकिन प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन नीचे चली जा रही है। कर्ज का जहां तक संबंध है, कर्ज में हमारा प्रदेश सबसे ऊपर चला गया है और उन्नति में नीचे तल पर चला गया है। १९६४–६५ में इंजीनियरिंग विभाग जो निर्माण विभाग से संबंध रखता है उसका ओपनिंग बैलेंस ९.१७ लाख था। क्लोजिंग बैलेंस १२.४८ हजार है। जो बीच में लिया और खर्चा किया उसका जिक्र नहीं करता। सन् ६६–६७ में पी० डब्लू० डी० में दो करोड़ से अधिक रुपया पड़ा रह गया। पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। सन् ६७–६८ में २०.१८ लाख पड़ा रह गया। इसका वेरिफिकेशन हुआ और इनके लिये जो सीमा निर्धारित है उससे कम माल खरीदा और इतना कैपिटल लाक्ड-अप पड़ा रहा। कर की आवश्यकता पड़ेगी तो कर लगायेंगे लेकिन कभी भी इन्होंने पी० ए०सी० की रिपोर्ट या एकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट से सबक नहीं लिया। क्यों नहीं ऐसे आफिसर्स को पनिश किया जो पी० ए० सी० और एकाउन्टेन्ट जनरल की रिकमेंडेशन के खिलाफ वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं? क्यों इतना भंडार अपने पास रखे रहे, गरीब जनता का धन?

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि केन्द्रीय पोषित योजनायें सब विभागों के खर्चे के आधार पर हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि संचित निधि से रुपया निकाल लेते हैं। फाइनेन्शियल ईयर में खत्म नहीं कर पायेंगे तो संचित निधि से रुपया निकाल कर दूसरी मद में जमा कर देते हैं और केन्द्रीय सरकार से रुपया ले लेते हैं। पी०ए० सी० की रिपोर्ट है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन केन्द्र से रुपया ले लिया और वह लाक्ड-अप रहा। खास तौर से हरिजन कल्याण विभाग में तो यह धांधली हुई कि उस विभाग का रुपया खर्च नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पर्सनल लेजर में जमा कर दिया, कितना ही रुपया जमाकर दिया जिसका आज तक पता नहीं है। करदाता तो एक है, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो। यह क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों उस पर कर का भार बढ़ाते जा रहे हैं? केवल अपनी असावधानी और लापरवाही के कारण। दूसरी बात यह कि इन्होंने कर्जा लिया, केन्द्रीय सरकार से सहायता ली और ९६ लाख रुपया १९६४–६५ में अपने पास में बिला प्रयोग के रखा रहा और उस पर जो इंटरेस्ट भी देते रहे वह अलग। इतना नहीं समझा कि जितना हम खर्चा कर सकते हैं उतना ही लें। कर्जा लेने में ये बड़े निपुण हैं। ये इस प्रकार से कर्जा लेते हैं जैसे कोई मनुष्य हो जो जानता है कि हमें घर में रहना नहीं है, हमें तो जाना है, अब जितना चाहे उतना कर्जा ले लो। उसी पालिसी का अनुसरण करते हैं। इनकी हालत है, मोटी बात बताता हूं कि ३१–३–६८ को ९३४ करोड़ १० लाख रुपया और अब ९ अरब ३९ करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है।

एक बात और बताता हूं कि संसदीय प्रणाली और संविधान की अवहेलना ये कैसे करते हैं।

संविधान के आर्टिकिल २९३ में दिया गया है कि पहले लेजिस्लेचर से प्रमाण लो तब कर्जा लो, लेकिन इस मामले में सरकार ने कभी इस आर्टिकिल का पालन नहीं किया, यह मैं पिछले ९-१० वर्षों से देख रहा हूं। यह कितनी बड़ी गलती है ? कितनी ही चीजों में मनमानी करेंगे और करते आये हैं, क्योंकि आजतक इनकी ब्रूट मेजारिटी रही है। आज नहीं है, फिर भी इनको यह खयाल नहीं है कि हम आगे चलकर जनता को क्या जवाब देंगे कि हमने संविधान का और संसदीय प्रणाली का पालन नहीं किया। मैं मानता हूं कि कर्ज बहुत आवश्यक है एक विकासशील देश के लिये, लेकिन जो स्थिति है उससे हमें घोर असंतोष है। संतोष तब होता जब उन्होंने कोई तरक्की की बात बतायी होती।

मैं दो ही पहलुओं को छुऊंगा। एक कृषि को जिसके बारे में कहते हैं कि हमने उसे टाप-प्रायोरिटी दी है। सभी फसलों की दिशा में १९५५ में आल इंडिया फिगर कृषि की ३.५ थी और यू० पी० की १.६ थी। और सन् ६४-६५ में वह १.६ से घट कर १.२ रह गयी। ये अवेलेबिल फिगर्स हैं और यह उत्पादन क्षमता है जब कि १८ वर्ष से निरन्तर टाप प्रायोरिटी देते रहे हैं। उत्पादन क्षमता के हिसाब से यू० पी० का १५ प्रदेशों में चौदहवां नम्बर है। आंकड़ों के झमेले में नहीं जाता। उद्योग की प्रगति में भी यह सबसे पीछे है। मुझे विश्वास है कि महामहिम राज्यपाल रेड्डी साहब के भाषण में आपने पढ़ा होगा कि यह कितना पीछे है।

आज उद्योगों की हालत यह है कि उद्योगपति मालदार होते जा रहे हैं और छोटे उद्योग मिटते जा रहे हैं। जो आपकी लोन पालिसी है वह भी पार्टी के आधार पर तथा सिफारिशों के आधार पर चलती है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि जिसको लोन दिया जा रहा है उसमें उसको देने की क्षमता है भी कि नहीं। यह भी नहीं देखा जाता कि जिस काम के लिये उसको लोन दिया जा रहा है उस काम को वह करता भी है या नहीं। उसमें उस उद्योग को चलाने की क्षमता भी है या नहीं।

जहां तक ट्रांसपोर्ट का संबंध है, श्रीमन्, अभी हमारे ट्रांसपोर्ट के मंत्री महोदय माननीय शर्मा जी ने कहा कि यह विभाग प्राफिट पर चल रहा है। उसकी जो मोटी-मोटी मदें हैं उन्हीं को आप देखें, जो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसी को आप देखें तो आपको उसमें घाटा ही दिखायी देगा। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय शर्मा जी कैसे कहते हैं कि वह मुनाफे पर चल रहा है।

अब मैं इर्रीगेशन के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग, इन दोनों से, मान्यवर, मैं बहुत दुखी हूं। मान्यवर, नानक सागर बांध बह गया, हजारों व्यक्तियों की जाने चली गयीं, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, मगर उन इंजीनियरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रदेश की साधारण जनता के जीवन के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ खेला है, भविष्य में वे एसा न करें, इसका उन्हें कैसे सबक मिलेगा जब आप दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेंगे नहीं ? वे वैसी गलतियों को दोबारा न दोहरायें ऐसा वे कभी सोच ही नहीं सकते।

मान्यवर, आपकी गंडक योजना चल रही है। २९ लाख की वह योजना थी, पर करोड़ों रुपयों पर वह योजना पहुंच गयी है और सारा प्रदेश बह गया, यह है आपके खर्चे की हालत। इस तरफ आप ध्यान दें कि आपके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं। आपका सरजू प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि वह ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसी सूचनायें अवश्य मिली हैं कि उसमें भी बड़ी गड़बड़ी चल रही है।

मान्यवर, मैं कभी किसी की कोई सिफारिश नहीं करता। इस विभाग के एक इंजीनियर सी० ई० के० पी० ए० को मैंने एक बार टेलीफोन किया और केवल मान्यवर, इतना कहा कि "आपके डिपार्टमेंट की फाइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, आप कृपया अपने विभाग को देख लें।" बस इतना ही मैंने टेलीफोन पर उनसे कहा था। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप सारे एम० एल० एज० लोग बेईमान हैं, "बेईमान" शब्द तो नहीं कहा मगर उसका मतलब यही

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी

था। उन्होंने यह कहा था कि यह जितनी गड़बड़ी होती है उसका कारण आप एम०एल० एज० हैं, आप प्रशासन को चलने नहीं देते"। मैंने कई बार सोचा कि मैं सिंचाई मंत्री से यह सब कहूं पर मैंने नहीं कहा। मेरे जी में उस वक्त आया मैं टेलीफोन उस समय रख दूं और उनसे बात न करूं, पर मैंने रखा नहीं और उनकी सारी बात सुनता गया। मान्यवर, इनका सिंचाई विभाग किसी की सुनता नहीं।

स्वास्थ्य के बारे में देखिये, आज तक यह डाक्टरों की कमी को पूरा नहीं कर पाये। आज भी ४-५ सौ अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि एक लाख पर यहां १३.७ डाक्टर हैं जब कि आल इंडिया की फीगर १७.२ है। हमारे यहां २०,४०३ पर एक नर्स है, जब कि आल इंडिया बेसिस पर ६,५५५ पर एक नर्स है। हमारे यहां फी मरीज पर साल में एक आना खर्च होता है। इस प्रकार भोजन में उन्नति नहीं, उद्योग में उन्नति नहीं, हेल्थ में उन्नति नहीं, फिर आप जा रहे हैं?

माननीय वित्त मंत्री जी को, मान्यवर, आप जरा उदारता पर विचार करें। सेल्स टैक्स की आय इस वर्ष आपके अनुसार ३८ करोड़ ४९ लाख होगी। आपने घोषणा की है कि ९ करोड़ का टैक्स माफ कर दिया जायेगा।

यह क्या गरीबों को माफ किया जा रहा है जो ब्लैकिंग एजेंसी है, महाजन जिसको ९ करोड़ रुपया हाथ में रखकर भाग जाने की अनुमति दे दी है, आज वे माफी पा रहे हैं। लेकिन बीस करोड़ रुपया ये काश्तकारों से वसूल करते हैं। जिन्होंने मैटीरियल्स लिये वह कैसे मैटीरियल्स हैं जिसके लिये सरकारी पी० डी० ओ० और उनके महकमे से कहा कि अमुक से खरीदो, सड़ी-गली चीज को खरीदो। मेरे जिले में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि हजारों ऐसे पंपिंग सेट्स हैं जो काम में नहीं आते। उनके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाये। ये ९ करोड़ रुपया माफ करेंगे। एक प्रेम नारायण टण्डन थे। उनसे मैटीरियल खरीदा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उनसे माल खरीदा तो क्यों नहीं काट लिया गया रुपया। मैं गलती पर हूंगा अगर मैं यह निष्कर्ष निकालूं कि यह सब रुपया कांग्रेस इलेक्शन फण्ड में आता कहां से है? दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आपने पचास लाख रुपया पर्चेज टैक्स का भी माफ कर दिया। दूसरी बात यह कि ये कार्यान्वयन करने वाले कौन लोग हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं 'आई टेल यू, देयर इज क्राइसिस इन दि एडमिनिस्ट्रेशन" वहीं गड़बड़ है। आज ए०आर० सी० की रिपोर्ट हुई मगर यह नहीं करते हैं। ये कुछ करने वाले नहीं हैं। गरीब का रुपया जा रहा है, छोड़ो मत क्योंकि आज मालिक यहां हैं। ये मंत्री नहीं हैं। ये अगर मंत्री कह देते, तो सदन में मैं नाम लेता। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव के साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं? आज एफीशियेन्सी का भी क्या हाल है। हर जगह पोलिटिकल अप्वाइन्टमेंट्स होते हैं। आज कैसे कोई आदमी एफीशियेन्सी के आधार पर नौकरी पा सकता है। प्रोमोशन भी इसी के आधार पर होते हैं। किसी बड़े अफसर की चापलूसी कर दो तो काम हो जायेगा। श्रीमन्, पर आपने तो चापलूसी का बड़ा अपमान किया परन्तु मैं उसका बड़ा मान करता हूं। आप कहते हैं कि चापलूस त्याज्य होता है, पर मैं कहता हूं कि इस युग में चापलूसी के बिना काम ही नहीं चल सकता। यह मंत्रियों को भी मोहित कर देती है। ये अफसरों की चापलूसी से खुश होते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आजकल तो परमात्मा भी चापलूसी से खुश होता है। (हंसी)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं अब करप्शन की बात कहता हूं। नान-करप्ट और क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन देने का आपने वायदा किया। मगर कांग्रेस सरकार क्या वैसा शासन दे सकती है? एक अठारह वर्षों तक देख लिया। जिसको वह पराई सरकार कहती थी जो कुछ दिनों के लिये आई...

(साढ़े एक बजे होने पर)

मुझे केवल तीस मिनट ही हुए हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह तय हो चुका था कि जो प्रमुख विरोधी दल हैं उनके नेता कम से कम ४५ मिनट तक बोलेंगे और उनको इन्टरप्ट नहीं किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

समय केवल आध घंटा रक्खा गया है। ज्यादा समय देने के लिये अनुमति आवश्यक है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे पन्द्रह मिनट और दे दीजिए ।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की। यह क्या संकेत करता है। क्या यह सत्य प्रशासन है ? इसके अलावा आपने जो ट्रांसफ़र्स किये हैं, किसी ने शिकायत कर दी कि अमुक व्यक्ति आपके विरुद्ध है उसी आधार पर ये ट्रांसफ़र्स कर दिये जाते हैं। यह कांग्रेस सरकार किस के लिये है, कांग्रेस पोषक अधिकारियों के लिये है, दूसरों के लिये नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं पी०ए०सी० में ए०जी० ने बताया कि एक वर्ष में ३९ करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं हुआ। दुरुपयोग होना दूसरी बात है, उपयोग ही नहीं हुआ। लेकिन कर्जा आपको चाहिये और आपकी फ़ारेन पालिसी की हालत यह है कि लेना आप सबसे चाहते हैं। लेकिन बाजार में आज आपकी साख रही नहीं है। बड़े-बड़ों से तो आपकी चलती नहीं है। आप कलेक्टर आदि के जरिये से गरीब किसानों से रुपया वसूल करते हैं। गरीब से लेकर इकट्ठा करते हैं और जो बच जाता है, वह शायद कांग्रेस के फण्ड में चला जाता होगा ।

आपके यहां एम्प्लायमेंट की हालत यह है कि आप आज तक उसको हल कर नहीं पाये हैं। आपकी श्रम प्रधान एक भी योजना नहीं बनी। आपके यहां के टेक्नीशियन्स रो रहे हैं। आपने बड़ी डींग हांकी कि हमने इंजीनियरिंग कालेजेज खोल दिये हैं। हालत यह है कि इंजीनियर बिना काम के हैं और काम पर इंजीनियर नहीं हैं। जैसे डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं और डाक्टरों को काम नहीं है। अनएम्प्लाएड की काफी बड़ी तादाद यू० पी० में है।

आपके राज्य में हिंदी की भी बड़ी दुर्गति हो रही है। जब से चीफ़ सेक्रेटरी का शासन आया है तब से अंग्रेजी का बोल बाला है। संविद ने जो हिंदी के लिये दरवाजे खोले थे, बन्द कर दिये गये हैं। मुझे आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के इस व्यवहार पर बहुत दुख होता है। जिलों में मैंने देखा कि वहां सारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है।

ला एन्ड आर्डर की बात तो माननीय नेता विरोधीदल ने बतायी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको स्पष्ट किया। किसी भी विकासशील देश के लिये और किसी भी देश के विकास के लिये ला एन्ड आर्डर का ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है। आन्तरिक दृष्टि से अगर देखा जाय तो कहीं नेक्सेलाइट की आवा : आ रही है और कहीं गुरिल्ला वारफेयर की बात कही जाती है, लेकिन सरकार उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देती है। कत्ल, डकैती, और हत्यायें तो यहां नित्य ही होती हैं, चाहे वह उन्नाव हो चाहे सीतापुर हो, आप नित्य ही देखते हैं। कल के वाक्य को सुन कर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैं तो इस राय का हूं कि कोई भी बात हो लेकिन उसमें व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिये। मेरे पास कल कुछ हरिजन माननीय सदस्य आये और उन्होंने कहा कि यह तो हरिजनों की समस्या है, हरिजन लोग इसमें आन्दोलन

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—]

करेंगे। मुझे उससे बड़ी खुशी हुई और इससे भी खुशी हुई जब माननीय त्रिपाठी जी ने यह ऐलान किया कि इस संबंध में सरकार चाहे तो जुडीशियल इंक्वायरी भी करा ले, हम निर्दोष हैं। हम चाहते हैं कि उनकी निर्दोषिता साबित हो और सही मुल्जिम मालूम पड़ जाय।

इसके बाद साम्प्रदायिकता के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस साम्प्रदायिकता के दो पहलू हैं। एक जातिवाद है उसका पहलू। यह हमारे प्रदेश और देश में बहुत जोरों से है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस वाले अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि उन्होंने सारे प्रदेश में किसी एक उम्मीदवार को भी इस नाते खड़ा किया कि वह योग्य है? क्या उन्होंने जातीयता के आधार पर ही उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया? वे तो हमारा पथ-प्रदर्शन करने वाले हैं। समाज के सामने उनको एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये था। इतने दिन चुनावों को होते हुए हो गये, क्या उन्होंने कहीं एक स्थान पर ऐसा कोई उम्मीदवार खड़ा किया कि इस क्षेत्र से हम मुसलमान को खड़ा नहीं करेंगे, क्यों कि उसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और अमुक क्षेत्र से हिन्दू को खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हिन्दुओं की ज्यादा आबादी है? लेकिन सभी जानते हैं कि उन्होंने सारी जगहों पर जातिवाद के आधार पर ही अपने कैंडीडेट्स को खड़ा किया। उसके बाद हर पार्टी को सोचना पड़ा कि वे क्या करें। इसमें पहली जिम्मेदारी मैं कांग्रेस की समझता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं वहां भी ऐसा ही हुआ। मुझे इसका दुख है। इसमें कुछ अपनी प्रशंसा आ जाती है कि मेरे क्षेत्र में छोटे वर्गों की तादाद अधिक है। इस प्रकार से सारे स्थानों पर उन्हीं उम्मीदवारों को कांग्रेस की ओर से खड़ा किया गया है जिनका वर्ग उस भाग में ज्यादा है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों को वहीं खड़ा किया जहां उन का बहुमत था, यह कहां का आदर्श है, कहां का न्याय है और क्या यह चीज उनकी तरफ से जातीयता को बढ़ावा देने वाली नहीं है? कहते वह यह हैं कि साम्प्रदायिकता बड़ा भारी दोष है लेकिन वह करते क्या हैं? वह हमेशा अपना पोलिटिकल कैपिटल बनाने के चक्कर में रहते हैं और इसी कारण से आज यह विष दूर तक फैलता जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, वह जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की है और उसकी इस सरकार की है। आप कांग्रेस के इतिहास को देखें, आप तो श्रीमन्, कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं, पता नहीं आपने उससे इस्तीफा दिया या नहीं...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे लिये कह रहे हैं। मैंने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आप सब ने मिलकर मुझे चुना है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ठीक है श्रीमन्, मैं उसे वापस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कांग्रेस का ज्यादा ज्ञान है, आप उसमें रह चुके हैं। यह हिन्दू-मुसलमान के तमाम झगड़ों की, शिया-सुन्नी के झगड़ों की जिम्मेदारी किसकी है, यह जिम्मेदारी कांग्रेस की है और उसका मूल कारण यही है कि यह हर चीज में अपना पोलिटिकल कैपिटल बनाना चाहती है। चाहे जाति बिरादरी की बात हो या कुछ भी हो, उनके सामने एक ही लक्ष्य है और अगर यह लक्ष्य न होता तो देश का बटवारा कांग्रेस ने जातीय आधार पर मंजूर न किया होता। चुनावों के नतीजों को देखकर और अनेक घटनाओं के समय यह लोग गलत पार्टी और सेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। चाहे शिया-सुन्नी का झगड़ा हो, चाहे हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा हो इनका यही दृष्टिकोण रहता है कि हमारा राजनैतिक उद्देश्य कैसे पूरा होता है। इसी नगर में अभी कुछ दिन पहले शिया-सुन्नी झगड़ा चला, आदमी मारे गये और यह सब इस सरकार के सीने के नीचे यहां होता रहा। मैंने यहां के शिया-सुन्नी संघर्ष के सारे इतिहास को देखा और इस संबंध में पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं। इसके बावजूद कि पब्लिक में किसी को मर्सियाहवा या तबर्रा पढ़ने की इजाजत नहीं है लेकिन शिया लोगों ने ऐसा नहीं किया। सरकार की नाक के नीचे यह सब हुआ लेकिन सरकार अपना पोलिटिकल कैपिटल बनाने में रहती है, किसने उसको वोट दिया किस

ने नहीं दिया, जिसने नहीं दिया यह उसी का कसूर निकालेंगे। यह बड़े दुख की बात है। इसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत कुछ इस संबंध में कहा होगा और मैं फिर दोहराये देता हूं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी दल का हो और जब हम एक प्रजातांत्रिक सरकार बनाकर यहां बैठ हैं तो जहां तक प्रशासन का संबंध है, न्याय का संबंध है, सुविधा देने का संबंध है वह हर पक्ष के व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिये। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस प्रदेश में वह दिन कब आयगा। सरकार का एक इविन हैंड सबके लिये होना चाहिये। मोटिव्ज के साथ अपने लोगों के कहने पर गरीब बेगुनाहों को सजा दी जाय अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये यह उचित नहीं है।

यह सब तो जनरल बातें मैंने कहीं। थोड़ी-सी बात मुझे अब अपनी बस्ती जिले के बारे में भी कहना है। हमारा बस्ती जिला उन पूर्वी जिलों में से है जिसके बारे में रिपोर्ट है कि वहां पर ९८ प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लेविल रहते हैं। सूखे और बाढ़ दोनों से वहां के लोग सताये जाते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि १८ साल से बराबर उस के प्रति दुर्लक्ष्य किया गया है। पटेल आयोग का कहना था कि यहां दुर्भिक्ष और भुखमरी रहती है। ट्रांस राप्ती क्षेत्र तो ऐसा है कि जहां के लोग ६ मास तक एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा सकते, पानी पीने के कुंए नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं। लेकिन दुख है कि आजतक इस सरकार ने कोई चिंता इस क्षेत्र की नहीं की है। हो सकता है कि मैं जीतकर आ गया था इसलिये पिछली बार वहां सुविधायें न दी गई हों। उस क्षेत्र के लिये ही कछुए की चाल क्यों है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि नौगढ़ क्षेत्र में तो सुविधा दी जाती है लेकिन इस क्षेत्र में नहीं दी जाती। मैं अगर किसी क्षेत्र से चुन गया तो वहां के लोगों ने कोई कसूर तो नहीं कर दिया है? इस समय देश में सब से ज्यादा गरीब जिला बस्ती है। हमारे प्रदेश के ५८ जिलों में से आज २२ जिले गरीब हैं और यह सब कांग्रेस की महती कृपा से ही है क्योंकि इतने दिन के शासन में उसने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया है।

यह उनकी प्लानिंग का असर है। आज बस्ती जिले की इन्डस्ट्रीज मिट गयी हैं, केवल कुछ शुगर इन्डस्ट्रीज हैं जिसमें आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे आदमी लाभ उठा सकते हैं। वहां पर जब गर्मी होती है तो पीने के लिये कुंए भी नहीं, सिंचाई के लिये नहरें नहीं हैं, वहां पर न कोई उद्योग है और न कोई साधन ही है। इस प्रकार से बस्ती जिले की दुर्लक्षित किया इस सरकार ने। मैं प्रार्थना करूंगा अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे जनजीवन की आवश्यकता को देखते हुए बस्ती जिले का सर्वे करा लें और वहां पर पीने और सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध करा दें। वहां पर छोटे बड़े उद्योग धन्धे स्थापित हो सकें इस बात पर भी विचार कर लें। आज वहां के लोग जड़हन लगा लगा कर अपना पेट पालते हैं क्योंकि वे कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं।

सिंचाई विभाग की धांधली के बारे में मैंने एक शिकायती-पत्र माननीय सिंचाई मंत्री जी को दिया था लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला कि उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की। आज हालत यह है कि सिंचाई विभाग में कामर्शियल ऐटीट्यूड है, परताल करने वाले परताल कर लेते हैं और उनके संबंधित कर्मचारियों को अगर २–३ बोरे चावल दे दिये जाते हैं तो वे शायद कम भी कर देते हैं। यह सब क्यों होता है? उनको मौका दिया जाता है उस प्रकार से करने का। अगर सिंचाई का प्रबन्ध भी कर दिया जाय और विभाग में कर्मशियल ऐटीट्यूड रहे तो सिवाय इसके कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जाय और कुछ होने वाला नहीं है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निश्चित मत है कि हमें इस बजट को रिजेक्ट कर देना चाहिये और मुझे कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम सरकार को इसमें एक भी रुपया दें।

श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने यह बजट पेश किया है, उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मौके पर इसका स्वागत करने की और भी इच्छा होती है जब हम इसका मुकाबला १९६७–६८ के बजट से करते हैं।

[श्री हरी दत्त काण्डपाल---]

अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि डेमोक्रेसी में विरोधी दल का बड़ा महत्व होता है और नेता बिरोधी दल जो बातें कहते हैं, उनका बड़ा वजन होता है। जब इस बजट पर यह बाद विवाद आरंभ हुआ और इसकी शुरुआत माननीय नेता विरोधी दल ने की और इतना लंबा भाषण दिया, जो शायद इस सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ और जिसने पिछले तमाम रिकार्ड तोड़ दिये हैं क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इतना लंबा लैक्चर कभी पहले हुआ हो, तो मुझे बड़ी निराशा हुई और मुझे ही निराशा नहीं हुई बल्कि जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, उनको भी निराशा हुई है, इस लम्बे भाषण को सुनने के बाद। माननीय नेता विरोधी दल के भाषण में जो जोर था वह एक ही बात पर था कि भारतीय-क्रांतिदल के साथ बदले की भावना से काम किया गया और जिलों की एक लम्बी चौड़ी लिस्ट प्रस्तुत की कि इसका ट्रांसफर कर दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। मैं समझता हूं कि उनके पास जो शिकायतें आयी होंगी वे उनकी पूरी तह में गये भी न होंगे। मैं समझता हूं कि उनकी चेष्टा यह थी, वह कोई मोटिव एट्रिब्यूट करना चाहते थे गुप्ता जी पर कि वह बी० के० डी० को अथवा उस जनता को जिसने बी० के० डी० का समर्थन किया है पेनलाइज करना चाहते हैं। श्री चन्द्रभानु गुप्त जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये हैं वहां पर उनकी सीधी टक्कर बी० के० डी० के कैंडीडेट से थी। वहां पर अगर एक भी उदाहरण इस प्रकार के उत्पीड़न का वह देते तो बात समझ में भी आती जहां पर कि मुख्य मंत्री की सीधी टक्कर चुनाव में बी० के० डी० के प्रतिनिधि से थी। लेकिन अगर वहां कोई घटना नहीं घटी वरन प्रदेश के दूर-दूर जिलों में यह बात हुई है यह संभव नहीं मालूम होता और न माननीय नेता विरोधी दल की उन बातों का फिर एतबार ही किया जा सकता है।

माननीय नेता विरोधी दल को एक शिकायत है भ्रष्टाचार की। वह शिकायत हम सबको भी है और उसे मिटना भी चाहिये। वह एक ऐसा घुन समाज में लग गया है कि उसे खत्म होना चाहिये वरना हमारी खैरियत है नहीं। लेकिन एक बात मैं अवश्य उनसे जानना चाहूंगा। उन्होंने राजनीतिक बागडोर ६७ में अपने हाथ में ली थी। उन्होंने उस समय पब्लिक मैन इंक्वायरी कमेटी बिठाना चाहा जिसका गुप्ता जी तथा कांग्रेस पार्टी ने आदर नहीं किया, उसे बेकार समझा। लेकिन भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है उसमें करप्शन की डेफिनीशन का तात्पर्य केवल रुपये से ही है या दूसरे तरह के करप्शन से भी है? मैं समझता हूं कि माननीय चरण सिंह जी का तात्पर्य करप्शन से यही था कि करप्शन बारीकी से ढूंढा जाय। मैं भी इसी बात का हामी हूं कि जब तक रोग की जड़ में डाक्टर नहीं जाता है तब तक रोग दूर नहीं हो सकता है। अब अगर करप्शन की जड़ में कोई जाय तो देखेगा कि दो ही कारण होते हैं---एक लालच, दूसरा डर। अगर कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह लालच के वशीभूत होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसे मुख से भ्रष्टाचार की आवाज उठाई जाय तो उसका क्या असर होगा इसको समझने में मैं असमर्थ हूं। क्या चौधरी साहब की परिभाषा में यह करप्शन नहीं है कोई कांग्रेस पार्टी केवल इसलिये छोड़ दे कि उसके सामन एक पद का लालच हो चीफ मिनिस्टर बनने के लिये अथवा १०, ५ आदमी मिनिस्टर बनने के लिये दूसरी जगह जा बैठें जब कि वे कांग्रस के टिकट से कांग्रेस के मेनिफस्टो पर चुन कर आए हों तो क्या यह करप्शन नहीं है?

चौधरी साहब ने पर्वतीय विकास परिषद् की भी चर्चा की। कोई भी व्यक्ति जो वहां के हालात को जानता होगा वह कोई दूसरा विचार रख नहीं सकता। पर्वतीय विकास परिषद् बनाने के पीछे हमारी प्ली इस आधार पर नहीं है कि हम पिछड़े हुए हैं। लगातार पिछड़ेपन का नारा देना मैं अच्छा भी नहीं समझता। हम अपने परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ेंगे। हम विकास परिषद् की स्थापना किसी जाति या भाषा के नाम पर नहीं करना चाहते। जिन चौधरी साहब की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग थी उनको इस बात की भी चिन्ता थी कि इससे विघटन बड़े तेजी से होगा, नहीं करना चाहिये? पर्वतीय विकास परिषद् के पीछे एक इतिहास है। केवल इसी से काम चलने वाला नहीं है। कहीं उसको प्रशासनिक अधिकार

भी न दे दें, चौधरी साहब को इस बात का भी खतरा नजर आया। मैं समझता हूं कि इसको प्रशासनिक अधिकार देने ही चाहिये क्योंकि अगर वहां का प्रशासन ठीक तरह से चलना है और जनहितकारी योजनाओं को सफल होना है तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसका सबूत है। अंग्रेज ने जब पर्वतीय इलाके पर कब्जा किया था तो उसके सामने वहां के और प्लेन्स के हालात का भेद स्पष्ट हो गया था और उसने फौरन शेडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के मातहत वहां का प्रशासन और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट जो प्लेन्स में लागू था उसको वहां कभी नहीं लाग किया। यह चौधरी साहब के जिम्मे ही जायेगा जो आज वह इस तरह से सोचते हैं कि एक यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये। मैं आपको बताऊं, १९५८ में जब चौधरी साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुमायूं जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के नाम से यहां प्रस्ताव रखा जो पास हो गया। हम लोगों का तब भी ख्याल था कि यह बिल्कुल व्यर्थ है, इससे काम्पलीकेशन्स पैदा होंगे। आज आप वहां के जिलाधिकारियों से पूछिये कि वहां कम्पेन्सशन का एक एमाउन्ट वर्क आउट करने में उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। वहां छोटी-छोटी होल्डिंग्स के कारण कंपेन्सेशन की रकम ४ आने, ८ आने और १ रुपया आती है और उसके लिये अमीन और पटवारी रखे जायं तो जितनी आमदनी होगी उससे ज्यादा खर्च होगा।

इसी प्रकार वहां की रोड्स का कल जिक्र किया गया कि वह तो बड़ा अच्छा इलाका है, वहां बहुत काफी सड़कें बन गयी हैं, और बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शायद वह भूल गये कि ये सड़कें तो वहां की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को देखते हुये बनायी गयी हैं। जो विकास वाली सड़कें बनेंगी वह तो इस खयाल से बनेंगी कि उद्योगों को उनसे क्या फायदा हो। जो सड़कें बनी हैं उनका ताल्लुक वहां के विकास से कतई नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सामरिक महत्व से है। जैसे चीन के बार्डर तक सड़क इसी खयाल से बनाई गई। अगर सड़कों की लम्बाई के हिसाब से टारगेट पूरा करने की बात होगी तो ठीक नहीं होगा। इसलिये अच्छे इरादे से भी अगर इसको लागू किया जायेगा तो भी इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। लिहाजा यह लाचारी है। पवतीय विकास बोर्ड बने और उसको प्रशासनिक अधिकार न हो तो वह बेकार है। यह तो माननीय गुप्ता जी न बाया मीडिया निकाला है अन्यथा पर्वतीय इलाके के लोगों की यह मांग थी कि अलग से स्टेट बनाई जाय। वहां के प्रशासन में, रहन-सहन में, बड़ा अन्तर है। इसलिये वहां की भौगोलिक स्थिति को भी देखते हुये इसमें दूसरा कुछ नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि इसका अलग से प्रशासनिक ढांचा बनाया जाय। इस बात को हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी ने भी कबूल किया है। यह बात १९६६ में उठाई गई थी और १९६७ में गवर्नर महोदय के भाषण में भी इसका जिक्र आया था कि पर्वतीय विकास बोर्ड बनाया जायेगा। उसमें यही भावना काम करती थी। लेकिन इसके बाद हुकूमत की बागडोर चौधरी साहब के हाथ में आ गई। उन्होंने इसके साथ सिवाय खिलवाड़ करने के और कुछ नहीं किया। उन्होंने विकास बोर्ड को कायम तो रखा, लेकिन उससे ऐसा काम लिया कि इसको आर्नामेंटल रखा और उससे संविद सरकार को टिकाने में मदद ली। आज चौधरी साहब को पर्वतीय विकास बोर्ड से बड़ी भारी शिकायत है कि यह न बने और इसम उनको बड़ा खतरा मालूम हो रहा है कि इसको प्रशासनिक अधिकार दिये जायं। बिना प्रशासनिक अधिकार के यह विकास बोर्ड व्यर्थ है।

चौधरी साहब के शासन काल में जंगल नीति के कारण जंगलों के नजदीक रहने वालों को मुर्दा जलाने तक के लिये लकड़ी नहीं मिलती थी। इन सब बातों को देख कर विकास बोर्ड के बनाने की बात की गई थी। आज मेरी मांग यह है कि इस बोर्ड को ऐसा बनाया जाय कि इसको पूरे प्रशासनिक अधिकार हों और इस मामले को इस हिसाब से न सोचें कि पहाड़ी लोगों की तरफदारी की जा रही है या गुप्ता जी वहां से चुन कर आते हैं इसलिये उनके साथ मेहरबानी की जा रही है बल्कि लाचारी है। इसके बिना हमारे यहां समस्या हमेशा बनी रहेगी।

(श्री रामचन्द्र विकल का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहूंगा कि क्या वही लोग बोल सकते हैं जिनका आप को नाम मालूम है ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, उन्हें जल्दी जाना है इसलिये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें जल्दी बुलवा दिया जाय ।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें इलाहाबाद जाना है इसलिये उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय देने की कृपा की है । पेश्तर इसके कि इस बजट के सम्बन्ध में कुछ कहूं, आज सुबह माननीय मुख्य मन्त्री से भेंट हुई थी । उन्होंने बहुत मार्मिक शब्दों में एक बात कही । हम तो बूढ़े हो चुके इस जनतन्त्रों को बचाना है या नहीं यह जवान पीढ़ी का काम है । यह बात अपनी जगह पर सही है । मेरे जैसे आदमी पर इसका गहरा असर भी हुआ है । लेकिन आज मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से, सत्ता दल वालों से और विरोधी दल के नेता नहीं हैं, लेकिन उनसे भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अभी नेता विरोधी दल का भाषण सभी लोगों ने सुना । उन्होंने प्रदेश की कुछ घटनाओं की चर्चा की है तथ्यों के साथ । जवाब तो बहुत लोग जैसे दे रहे हैं मगर विरोधी पक्षों के लोगों से मिलने के बाद और स्वयं प्रदेश की कुछ घटनाओं के बारे में जानने के बाद मैं यह कहने को तैयार हूं कि प्रदेश में अब की बार जब से वे शासनारूढ़ हैं तब से अपराध बहुत तादाद में बढ़े हैं, अपने प्रकार के अपराध बढ़े हैं । मैं व्यक्तिगत बातों में जाता नहीं । माननीय चौधरी चरण सिंह को विरोधी पक्ष में आये हुए थोड़े दिन हुए हैं । मैं तो कांग्रेस के अन्दर जब था तब भी कुछ बात कहने का आदी रहा हूं सच्चाई से इस सदन में । उस समय से लेकर आज तक जितनी बातें विरोध के लोगों पर हो सकती हैं उनको सहन करता रहा हूं कांग्रेस के अन्दर और आज भी कुछ बातों का शिकार हूं । मैं सिर्फ यह कहता हूं—तीर आजमा हम जिगर आजमाएं । विरोधी दल के नेता होते तो मैं उनसे भी कुछ कहता । आज हिम्मत के साथ मुकाबला करना होगा उन चीजों का जो केवल इस लिए की जा रही हैं कि ये लोग विरोधी पक्ष में बैठते हैं । बदले की भावना से जनतंत्र नहीं चल सकता । मैं माननीय मुख्य मन्त्री से एक बात कहना चाहता हूं और उनकी इस बात से प्रभावित होकर कहना चाहता हूं कि मैं जनतन्त्र का हामी रहा हूं । जब कांग्रेस में था तो मैं बार बार जनतंत्र की हिमायत में कहता था कि पहले इन चीजों को पार्टी मतय कर लो । कांग्रेस के बाहर सरकार में रहा हूं, कोई उदाहरण नहीं बता सकते जब जनतन्त्र की बात न की हो । मैं इस बात का हिमायती हूं कि इस देश में जनतन्त्र टूट रहा है, अगर बचता है तो सब मिल कर बचा सकते हैं । अकेली कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि वह अकेले जनतन्त्र को बचा सकती है । जनतन्त्र को उदारता से बचाया जा सकता है, समझदारी से बचाया जा सकता है, जनतन्त्र बदले की भावना को छोड़ कर बचाया जा सकता है । इस बात को याद रखना होगा, जफर का एक शेर है "जफर आदमी उसको न जानिएगा चाहे होवे कितना ही फहिम व जक़ा, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे" । मैं यह माननीय मुख्य मन्त्री और सत्तारूढ़ लोगों से कहना चाहता हूं । फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं "हमें नाज है अपनी मासूमियत पर, हुकूमत और दौलत का तुमको नशा है" । हमारी हिमायत लो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मन्त्री मगर यह तो गजब हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

जनतन्त्र की जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की भी है, इस जिम्मेदारी को उसको निभाना पड़ेगा, मगर जो सत्ता में बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है इसलिए कि सहयोग लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। सहयोग के आदान प्रदान से जनतन्त्र इस देश में रह सकता है। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में कबड्डी का खेल होता है—आधे इधर और आधे उधर रहते हैं। एक पाली की हार हो जाती है वह खुशी से उधर चला जाता है। दूसरे पाली की जीत हो जाती है, वह खुशी से उधर चला जाता है। यह तो लगा ही रहता है। हार जीत का तमाशा हम सब इधर और उधर के बैठने वाले देख चुके हैं। इधर से उधर और उधर से इधर जाने की बात कोई देर की बात नहीं हो सकती है। पहली अप्रैल का दिन आप सब को याद होगा। आप उधर से इधर आ गये थे यह सब लगा ही रहता है लेकिन उधर जाने पर आप में अहंकार नहीं आना चाहिये। यह अहंकार हर जगह पर दुखदायी है।

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, नेता विरोधी दल ने बजट को वित्त सचिव द्वारा समझाने की जो बात कही है उस पर गौर होना चाहिए। मैं तो अध्यक्ष महोदय, उनसे कम पढ़ा लिखा हूं और सरकार में भी ११ महीने रहा लेकिन मेरी समझ में बजट नहीं आया होगा। २।३ बातें जो मेरी समझ में नहीं आई उनके बारे में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। वह बहुत दक्ष वकील हैं, वह फौजदारी के मथुरा में अच्छे वकील हैं। फौजदारी के वकील अपराधी को भी कभी-कभी अपनी बहस और कुशलता से बचा लेते हैं। उसी प्रकार की प्रवृत्ति आपने अपने बजट में दिखाई है। माधव प्रसाद जी त्रिपाठी कह रहे थे कि इसमें शायद टैक्स बढ़ने की बात नहीं है। लेकिन आप टैक्स बढ़ायेंगे, तो प्रश्न यह है कि आप किस पर टैक्स बढ़ायेंगे। अभी मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई कि हम जुलाई से बच्चों पर फीस बढ़ायेंगे, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसे वापस ले लिया। अब फिर इसके बाद आप टैक्स किस पर लगायेंगे। बजट पुस्तिका में आपने लिखा है पृष्ठ २० पर 'राजस्व संसाधनों को बढ़ने के लिये कतिपय उपायों के संबंध में जो निर्णय लिया जा जुका है उससे १९६९–७० के दौरान लगभग ३ करोड़ ९६ लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके कारण इस वर्ष के बजट अनुमानों में २ करोड़ ८७ लाख रुपये की वृद्धि परिलक्षित होती है। इसमें बिक्री-कर के अभिनवीकरण, मोटर गाड़ियों और यात्री-गाड़ियों आदि पर कर में वृद्धि, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि, मोटर स्प्रिट पर बिक्री-कर से सम्बन्धित प्रस्तावों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं यह जरा उनकी होशियारी है कि यह चीजें भी गिना दी कि यह चीजें शामिल नहीं हैं। तो टैक्स किस पर लगाया यह स्पष्ट नहीं है, आखिर टैक्स का बोझ किस पर आने वाला है? मुझको संदेह भी है कि अब आप की निगाह किसान मजदूरों के ही तरफ होनी चाहिये, आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन आब याद रखें, विद्यार्थियों के भय से आपने फीस नहीं बढ़ाई, किसानों (मजदूरों के अन्दर ऊपर यदि बिना औचित्य समझे आपने टैक्स बढ़ाया तो उनका भी बहुत बड़ा प्रबल आन्दोलन होगा। मुख्य मन्त्री ने अभी कहा है, अखबारों में आया है उसे आप देखें जिसमें बह है कि सेल्स टैक्स का बकाया इस सरकार में ९ करोड़ से बढ़ कर २० करोड़ पर पहुंच गया है। यह उनका भाषण है जो मैं पढ़ता हूं यदि गलत हो तो यह संशोधित कर दें। "जिससे कर वंचकों को पकड़ा जा सके। संप्रति सरकार की एक संयुक्त मशीनरी ऐसे लापता फर्मों का पता लगा रही है। यदि, उसे सफलता न मिल पायी तो ९ करोड़ रुपयों को बट्टे खाते में डालना होगा।"

एक तरफ आप टैक्स बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी धनराशि को बट्टे खाते में डाल रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। आपने संविद सरकार की बहुत आलोचना की, हो सकता है उसमें कुछ सही हो, हर सरकार से गल्ती हो सकती है। लेकिन इस बकाया टैक्सों की वसूली में २० वर्षों में और इन ५, ६ महीनों में जब से आप बैठ हैं जो कुछ आपने किया है उससे कहां ज्यादा टैक्सों की वसूली संविद के वक्त में हुई है। अपने

[श्री रामचन्द्र विकल—]

जमाने में आप जानबूझ कर कैपिटलिस्टों को बचाना चाहते हैं क्योंकि इस ९ करोड़ में केवल २ करोड़ रुपया अकेले कानपुर का है। एक तरफ तो आप उनको रियायत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ संविद की शिकायत करते हैं। संविद से हर तरह का मिलों का, सेल्स टैक्स का, इंडस्ट्रियल इजेशन का चाहे जसा भी बकाया रहा हो टैक्सों का उनकी वसूली संविद् सरकार के जमाने में आपसे कहीं ज्यादा हुई है पुराने वक्तों की और आपकी आज की वसूली दोनों से कहीं ज्यादा हुई है। लेकिन एक होशियार वकील की तरह उन्होंने अपनी बात बड़ी सफाई से कही है।

उन्होंने श्रीमन्, मुझे भी ललचा दिया। मेरे जिले का नाम भी उसमें आया और कहा कि नरौरा में अटौमिक पावर हाउस लगेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से भाषण दिया है। आखिर में यही कह दिया है कि अभी केन्द्रीय सरकार से मंजूरी नहीं आयी है और आप उसमें अपना योगदान दें। हमने अध्यक्ष महोदय, अखबारों में पढ़ा था कि नरौरा म वह लगने जा रहा है। बजट भाषण में चर्चा कर दी गयी लेकिन अन्त में आपने कह दिया कि केन्द्रीय सरकार को हमें बाध्य करना पड़ेगा। मैं सचाई के साथ कहता हूं कि जिस तरह का सहयोग आचार्य जो हमसे चाहें, दिल्ली चलने की कहें अपने साथ, हम वहां चलेंगे और जो भी प्रयत्न आप कर सकत हैं नरौरा पावर हाउस को लान के लिये उन सब प्रस्तावों में आप के साथ हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं।

आचार्य जी ने टैक्सेशन की चर्चा की है मगर यह चर्चा नहीं की है कि प्रदेश पर कर्जा कितना है, केन्द्रीय सरकार का और मारकेट लोन कितना है। अभी कुछ आंकड़े निकले हैं अखबारों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में दक्ष नहीं हूं, अगर गलत हों तो आचार्य जी कृपा करके ठीक कर देंगे। मेरे पास जो आंकड़ा है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार का और मारकेट का कर्जा हम पर ९ अरब २९ करोड़ २९ लाख ३६ हजार रुपयों के करीब है। हम कर्जा लेते चले जा रहे है लेकिन उसका उपयोग हमने क्या किया ? उसकी अदायगी का हमने क्या इंतजाम किया ? इसका कोई संकेत तक नहीं है कि हम किस तरीके से इस कर्जे को घटायेंगे। हमने क्या कभी यह सोचा कि यह जो कर्जा ले ले कर हम योजनाओं पर लगा रहे है उन योजनाओं का परिणाम क्या होगा। इस पर सरकार की निगाह नहीं ह और वह निगाह अगर हो तो हम कर्जा लेते न चले जाते। कोई वह फर्म जो कर्जा लेती चली जाती है बिना उसकी अदायगी का इन्तजाम किये हुये उसो तरह से हमारी सरकार भी बिना उसकी अदायगी का इन्तजाम किये हुये कर्जा लेती चली जा रही है। हो सकता है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार और दूसरों से मुआहिदा किया हो कि आखिर में जाकर उनको माफ करना पड़ेगा। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है उसके बारे में कुछ भी चित्र हमारे बजट में नजर नहीं आता।

यही नहीं, बजट जो आपने पेश किया है उसमें ५२ से लेकर ७० तक जो कुछ हुआ है उसकी बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की गयी है। ५२ से लेकर ७० तक क्या क्या हुआ है, वह सब बजट के अन्दर बता दिया गया है कि हमने किया। इस बात में तो हमारे जैसी छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि धुधंली हो जाती है। आचार्य जी को हक है कि वे जब से हम नंगे थे और आज जब चन्द्रमा पर पहुंच गये है उस समय तक की सारी मानव जाति की उन्नति को लेकर यह गिना दें कि यह तो हमारे ही कारण हुआ है लेकिन वह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती।

इस बजट में यह भी चर्चा की गयी है कि हम पहाड़ों पर नहीं जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने भी भाषण दिया था और आचार्य जी ने तो इस बजट भाषण में लिख भी दिया। मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में माननीय वित्त मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से और माननीय उप मुख्य मंत्री जी से जो इस समय उपस्थित हैं कहना चाहता हूं कि यह एक हीन भाव की बात है। क्यों नहीं जायेंगे ? उस क्षेत्र में जायेंगे नहीं तो वहां के लोगों की बात समझेंगे कैसे ? कभी तो आप कहते है कि चीन

के लोग वहां पहुंच गये, कभी कहते हैं कि वहां नक्सलवादी पहुंच गये और अब वहां पहाड़ी राज्य की मांग है और फिर भी आप कहते हैं कि हम पहाड़ पर नहीं जायेंगे। अगर आप पहाड़ पर नहीं जायेंगे तो फिर वहां की जनता से आपका सम्पर्क कैसे हो सकेगा ? आप अपनी बात तो कहेंगे लेकिन जनता के दिल की बात कहने का उसे मौका नहीं देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो चुनाव लड़ने के लिये वहां तीन-तीन दफा जायेंगे लेकिन इस तरह से नहीं जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह वहां की जनता के साथ अन्याय है। आज जो पहाड़ी राज्य की मांग की जा रही है, यह वहां की जनता की उपेक्षा होने की वजह से ही है। देश में जहां जहां भी इस तरह की मांग उठी है वह वहां की जनता की उपेक्षा का ही परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी क्षेत्र के लिये यूनिवर्सिटी की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र की उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। उनकी यह मांग बहुत पुरानी है और जनतंत्र में जनता की भावनाओं का आदर करते हुये वहां यूनिवर्सिटी खोली जाय तो यह कोई गलत बात नहीं है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

संक्षेप में एक बात मैं आपके माध्यम से पश्चिमी जिलों के बारे में कहना चाहता हूं। इसको और किसी दृष्टि से न सोचा जाय लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि हमारे पश्चिमी जिले बहुत बड़े अन्याय के शिकार हैं। कल भी मैंने एक सवाल किया था लेकिन उसका जबाव नहीं आया। मेरठ और बुलन्दशहर जिले में क्रीम और खोआ बनाने पर भी पाबन्दी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगा दी गयी है जिसकी वजह से वहां की जनता शादी विवाह के मौके पर भी खोये की मिठाई न खा सकी। सहकारिता मंत्री जी जब नहीं मिले तो दिल्ली में उप मुख्य मंत्री जी को मैंने लिख कर दिया, नियोजन मंत्री को भी लिख कर दिया कि इन दो जिलों की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्यों है ? पहले तो बतलाया गया कि हमें इसका पता ही नहीं है, बाद में यह जबाव मिला कि केन्द्रीय सरकार ने हमसे इजाजत ले ली है। इसी तरह से गाजियाबाद की जमीन दिल्ली के लोगों को बेची जा रही है जिससे वहां की आबादी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश के गांव पिछड़े हुये हैं और वह इसलिये कि केन्द्रीय सरकार के ऊपर हमारी सरकार जोर नहीं डाल सकती। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुजफ्फर साहब जब थे तब दिल्ली से एक आर्डर निकला कि हमारी यू० पी० की बसों का दिल्ली आना बन्द हो जायेगा अगर डी० टी० यू० की बसें गाजियाबाद तक नहीं जाने दी जातीं। फिर क्या था, हमारी यू० पी० सरकार ने धोती खोल दी और दिल्ली की बसें गाजियाबाद तक आनी शुरू हो गयीं। हमारी मांग यह है कि यदि कोई चीज प्रदेश के लिये गलत मालूम पड़े तो केन्द्रीय सरकार से उसे कहने का आपमें साहस होना चाहिये। कहने के लिये तो बहुत सारी बातें थी लेकिन और न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीबों को छोड़ कर जिस पर भी आप चाहें टैक्स लगावें।

विदेशी शराब पर आपने थोड़ा सा कर बढ़ाया है, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि उसे नीलाम करके आप करोड़ों रुपये की आमदनी कर सकते हैं। तेंदू की पत्ती के राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी जिससे हमारे बुन्देलखंड की गरीब जनता उसका लाभ उठा सके, बनिस्पत बड़े-बड़े व्यापारी लोगों के लेकिन उनका खयाल नहीं किया गया। विरोधी दल के नेता ने मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात भी कही। अन्त में मेरा सुझाव है कि गरीबों पर टैक्स न लगाया जाय।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया है बजट को सपोर्ट करने के लिये। चौधरी साहब का भाषण भी मैंने सुना वे मेरे दिल की बात कह रहे थे कि हमारे बजट की लैंग्वेज इतनी कठिन थी कि वे समझ नहीं पाये।

मुमकिन है सरकार उनकी रिक्वेस्ट पर कुछ खयाल करे। चूंकि सरकारी कर्मचारी उनको समझाने के लिए जाते थे लेकिन वह तब भी समझ नहीं पाते थे क्योंकि वह कोई खास

[श्री एस० सी० माइस---]

हिन्दी नहीं जानते हैं। मैं यह देखता हूं कि जितने डिपार्टमेंट के अन्दर हिन्दी बढ़ती चली जा रही है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। रोज बरोज इस तरह के सरकुलर निकलते ह जो हिन्दी में होते हैं लेकिन उस हिन्दी को वह लिखने वाले भी समझ नहीं पाते हैं। हमारे एजेन्डे की इस तरह की हिन्दी है कि हमारे पास एम० एस-सी० आते हैं। उनसे हम पढ़ने के लिए कहते हैं कि बताओ इसमें क्या लिखा है लेकिन वह कहते हैं कि हमारी तो समझ में नहीं आता है। इस माफिक आज यह हिन्दी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जिसको कोई समझ नहीं पाता है। सरकार क्या कहती है यह भी तो सबको मालूम होना चाहिये लेकिन सरकार के भाषण जो हिन्दी में होते हैं वह इस तरह की भाषा है जिसको समझते नहीं हैं। इस तरह की हिन्दी यह सरकार क्यों इस्तेमाल करती है जिसको कोई समझता नहीं है। इसी वजह से यह हिन्दुस्तान के बटवारे की बात बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हिन्दी के साथ भी यह इन्साफ नहीं हो रहा है। जब थ्री लैंगवेज मामूले को मान लिया गया है तो अंग्रेजी में क्यों नहीं बजट हमको दिया जाता है। जो सेक्रेटरीज हैं या आउट साइडर हैं, उन सबको इस हिन्दी के पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। उनको बजट अंग्रेजी में नहीं मिलता है तो वह सारी बातें नहीं जान पाते हैं। अगर यह अंग्रजी में हो जाय तो हमारे चौधरी साहब को भी कोई तकलीफ न होती। उनको किसी से भी इन्टरप्रेट कराने की जरूरत न महसूस हो।

हमारे कालेजेज में हिन्दी हो गई है मगर जो लड़के वहां पर पढ़ते हैं वे न हिन्दी जानते हैं और न अंग्रेजी ही जान पाते हैं। १० हजार बच्चे या ज्यादा जितने भी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वह किसी लायक नहीं होते हैं। आप उनसे हिन्दी में एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखा सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन भी वह लिखने बैठें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें ५० मिस्टेक करेंगे। अंग्रेजी में भी वह नहीं लिख पाते हैं। यह सरकार के लिये देखने की जरूरी बात है कि आज हमारी शिक्षा कहां जा रही है। इस बात को कोई सोच नहीं पाता है। परसों सवाल शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बुक्स का हिन्दी में ट्रांसलेट करायेंगें। जब उन बुक्स को कोई पढ़ नहीं पायेगा और समझेगा नहीं तो उनको ट्रांसलेट कराने से क्या फायदा हासिल होगा। इसी वजह से हमारा यह यू० पी० इतना पीछे चला गया है और इस पालिसी के तहत यह स्टेट और भी पीछे चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक जजमेंट दिया है कि वहां पर जो जजमेंट होगा वह अंग्रेजी में होगा। तो फिर इस तरह से हिन्दी को यूनिवर्सिटी के अन्दर चलाना कोई फायदे की बात नहीं है। हमारे यहां यू० पी० में यूनिवर्सिटीज से कहा गया है कि वहां पर "मीडियम आफ इंसट्रक्शन बिल बि इन हिन्दी" यह बिलकुल खिलाफ बात है। इसको फोर्स नहीं करना चाहिये। यू० पी० के अन्दर ७० हजार स्टुडेंट्स हमारे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनमें दो हजार स्टुडेंट्स हर साल पास होते हैं। अगर सब जगह हिन्दी हो जायगी तो वह हमारे स्टुडेंटस कहां जायेंगे और किस कालेज में जाकर एजुकेशन पायेंगे। मैंने इस पर गवर्नर साहब से भी कहा कि इस पर गौर करने की जरूरत है। इस वजह से जो बुक्स आउट आफ डेट हैं उनको हिन्दी में ट्रांसलेट करनें से कोई फायदा नहीं है। बाहर स्टेट का कोई आदमी उन बुक्स को पढ़ेगा नहीं और वह हिन्दी का ट्रासलेशन सब युजलस हो जायगा। हाई स्कूल में भी एजुकेशन अंग्रेजी में ही होना चाहिये। अब की बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन के इम्तहान में क्या हुआ। कम्पलीट कोर्स ही इस दफा हुआ है। जितनी भी ऐप्लीकेशंस करेक्शंस के लिए दी गयीं वह किसी किसी के पास पहुंच भी नहीं पायीं, यह मुझे आथारिटेटिवली मालूम है। तो फिर कैसे मार्क्स दे दिये गये ? यह हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है। वह इतना ओवरलोड हो गया है, इतना वीक हो गया है कि उसके लिए फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या होना है। मैं आपको वार्न करता हूं कि अगर ये जोन बनाये गये, नार्थ जोन, साउथ जोन और बेरियस हाई स्कूल बोर्ड बन जायेंगे अगर आपस में कम्पेटीशन हो जायगा कि क्यों इतने फर्स्ट क्लास साउथ जोन में हुए, ईस्ट जोन में कम क्यों हुए। मेरा सुझाव यह है कि....

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की भाषा हिन्दी है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। ऐसा लगता है कि हिन्दी से अधिक वे अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

वह हिन्दी में बोल रहे हैं, यह बात साफ है। आप उनकी दिक्कत भी देखिये कि उनकी मदर टंग अंग्रेजी है। जितना बोल रहे हैं वह काफी बोल रहे हैं। आप जारी रखिये।

श्री ए० सी० ग्राइस––

मुझे अफसोस है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी दिलचस्पी है हिन्दी की कि हिन्दुस्तान का बटवारा करके वह एक छोटे से पहाड़ पर खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि यही हमारा हिन्दुस्तान है जिसकी भाषा हिन्दी है, यह उनको मंजूर है। चाहे देश कहीं भी जाय। तो हाई स्कूल बोर्ड कीबाबत मैं कह रहा था कि इसके पूरे रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। कालिजेज में क्या हो रहा है, हाई स्कूल बोर्ड से अबके इतने लड़के पास हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम कालिजेज काफी नहीं हैं कि जितने फर्स्ट क्लास पास हुए हैं उनको ही अपने यहां जगह दे सकें, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास को तो छोड़ दीजिये। कालिज में आर्डिनरी कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बाइलाजी वगैरह पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, पूरे यू० पी० में सब गवर्नमेंट कालजेज में मेरा आना-जाना है, मैं मैनेजिंग कमेटी में हूं। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है। इस सब की वजह यह है कि आपकी एजूकेशन अकार्डिंग टु जाब ओरिएंटेशन नहीं है। मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब गांधी जी ने कहा था कि बेसिक एजूकेशन हो, अगर वह कहते कि जाब ओरिएंटेड एजूकेशन हो तो मामला बन जाता। लेकिन बेसिक एजूकेशन करने में सब कन्फ्यूजन हो गया। आज जितनी भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और टेक्निकल एजूकेशंस जितनी भी हैं सब में एजूकेशन के रिओरिएंटेशन की सख्त जरूरत है वरना ५ साल के अन्दर इतना कनफ्यूजन हो जायगा कि ब्रिटिश टाइम की एजूकेशन तो आप नहीं चला रहे हैं, आपके लड़के बाबूगीरी के अलावा और किसी लायक रहेंगे नहीं।

एक चीज और कहना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी में फीस की बाबत बहुत काफी चर्चा हो चुकी है। सरकार ने कहा था कि हम बढ़ायेंगे। क्योंकि फीस पहले बढ़ी थी १९४९-५० में। उसके बाद कोई फीस नहीं बढ़ी है। आज यूनिवर्सिटी में १५-१८ रुपया फीस है। वह कह रहे हैं कि टीचरों का, लेक्चरर्स का भत्ता बढ़ गया, इतनी मंहगाई है, दाल ३ रुपया किलो और वह चीज ५ रुपया किलो है। तो वह रह नहीं सकते हैं। फीस की तरफ आप नजर डालिये। जो फीस का स्ट्रक्चर १९४८-४९ में या १९५२ में था वही आज तक चला आ रहा है। साइंस इक्वीपमेंट्स की कीमत आज बेतहाशा बढ़ गयी है। स्पोर्ट्स के सामान की कीमत बढ़ गयी है, टीचर्स की पे बढ़ गयी है, मगर जब फीस बढाने की बात कही जाती है तो शोर मचाया जाता है। यह क्या बात है। ओवर ड्राफ्ट की इजाजत नहीं है। फिर कैसे खर्च चलाया जाय।

अस्पतालों की हालत आज यह है कि बिना सिफारिश के या बिना रुपया पैसा दिये काम नहीं चलता है। मैं आन्ध्र प्रदेश गया था। वहां पर मुझे मालूम हुआ कि सरकारी डाक्टरों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है। जब मैं यहां पर आया तो मैंने यहां मालूम किया कि यहां पर भी नान प्रेक्टिसिंग अलाउन्स दिया जाता है। मगर उसके बाद भी डाक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो कहने लगे हम नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स जरूर लेते हैं, मगर उससे काम हमारा नहीं चलता, इसलिये हम प्रैक्टिस भी करते हैं। यह क्या है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां लखनऊ, आगरा, कानपुर इलाहाबाद, जहां पर भी मेडिकल कालिज हैं, कहीं पर भी गरीब की नहीं सुनी जाती। जब कम्पाउन्डर को या डाक्टर को १० रुपया ५० रुपया या १०० रुपया दे दिया जाता है तभी उसका कुछ खयाल किया जाता है।

[श्री ए० सी० ग्राइस---]

एक बात मैं आखिर में बैंक नैशनालाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यह बड़ी अच्छी बात है कि उनका नेशनालाइजेशन हुआ। मगर वहां पर कहीं एल० आई० सी० वाली बात न होने लगे और यहां के कर्मचारी भी वैसा ही न करने लगें, यह न सोचने लगे कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, और फिर काम ठीक तरह से न हो पाये। इस तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जनाब सदर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। जब वित्त मंत्री महोदय का भाषण होने वाला था, तो उससे पहले दिल में बड़ी ही खुशी थी, सोच रहा था कि बजट आयेगा, उसमें उत्तर प्रदेश के अवाम के लिये फायदे की कुछ चीजें होंगी, गरीबों को कुछ फायदा मिलेगा। जैसे हमारे मंत्री जी मथुरा जिले के रहने वाले हैं और मथुरा जिले का पेड़ा बड़ा मशहूर है। उसी तरह से मैं यह समझता था कि गरीबों को भी पेड़ा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बजट को देखा, बजट की रीति-नीति को, तो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उसमें बड़े ऊंचे आदर्श दिये हैं। समाजवाद की बड़ी गाथा गायी है गरीबी दूर करने की बड़ी लम्बी डींग हांकी है। और इस सदन में हमारे बहुत से साथी जो बोल गये उन्होंने भी गरीबी दूर करने की बहुत बड़ी बात कही। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि श्रीमन्, आपके द्वारा कि जरा आप बतायें। मैं कल के बजट में एक सुझाव देना चाहता था और जानना चाहता था वित्त मंत्री के जरिये से और इस सरकार के जरिये से कि आपने दाम नीति में क्या फ़र्क रक्खा है। जो आप समाजवाद का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, गरीबी दूर करने की बात करते ह, आप उत्तर प्रदेश में लगातार बीस साल से समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं आपको पिछले सदन की कार्यवाही की याद दिलाना चाहता हूं श्रीमन्, कि इसी सदन में हमारे माननीय आचार्य नरेंद्र देव जी ने भी समाजवाद का सवाल उठाया था और इसीलिये उनको कांग्रेस को छोड़कर अलग जाना पड़ा और सोशलिस्ट पार्टी बनाकर एक मुकाबिला किया। कांग्रेस में उस वक्त एक सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी रही और वह रहे लेकिन जब उन्होंने समाजवाद की बात की तो आपके साथी श्री गुप्त जी जो आज समाजवाद का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं उनकी मुखालिफत की और कुछ दिनों के बाद आप भी समाजवाद की बात करने लगे लेकिन समाजवाद के रास्ते पर नहीं आये, समाजवाद की बात तो रचनात्मक ढंग से भी आज करने को वे तैयार नहीं हैं। मैं यह बड़े दावे और फख्र के साथ कह सकता हूं कि समाजवाद का ढिंढोरा यह सरकार खूब पीटती है और समाजवाद के ढिंढोरे में लोगों को भुलावा दे रही है।

मैं वित्त मंत्री का और कांग्रेस वालों का खयाल उस तरफ़ दिलाना चाहता हूं जब अभी चुनाव हुए थे तो श्रीमन्, आपका यह घोषणा-पत्र है, जरा आप पढ़िये। आपने कहा था कि मैं सवा छः एकड़ तक का लगान माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे मैंने मथुरा के पेड़े का नाम बताया, हमारे मंत्री जी का दिल था, दिमाग था कि सवा छः एकड़ तक का लगान माफ़ कर दिया जाय लेकिन आज हमारे वित्त मंत्री गुप्ता जी के चंगुल में इतने दबे हुए और घिरे हुए हैं कि गुप्ता जी आज देश में समाजवाद नहीं लाने देना चाहते। आज गुप्ता जी उत्तर प्रदेश से गरीबी को दूर करना नहीं चाहते। गुप्ता जी चन्द चापलूसों, खुशामदियों एवं चन्द लोगों को मुट्ठी में लेकर अपनी नादिरशाही और हुकूमत कायम रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि यहां समाजवाद आये और गरीबी दूर हो। अगर आप वह जोत जो सवा छः एकड़ के लिए कही गई थी कि मैं भी सवा छः एकड़ का लगान माफ़ करूंगा, वह आज माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वे इस चीज को बजट में लाये होते तो मैं समझता कि वे भी समाजवाद लाना चाहते हैं। इनका चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ा कि लड़कों की फ़ीस माफ़ करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गुप्ता जी ने कहा कि मैं तो

विद्यार्थियों की फ़ीस बढ़ाऊंगा क्योंकि गुप्ता जी के पैर लड़खड़ाये हुए हैं, उनके अन्दर कमी आई हुई है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले गुप्ता जी बड़े जोरों से ऐलान कर रहे थे लेकिन जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यह ऐलान किया कि अगर विद्यार्थियों की फ़ीस बढ़ाई जायगी तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे, हम एजीटेशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, घेरा डालो आन्दोलन करेंगे। तब उनके पैर लड़खड़ा गये। शिक्षा मंत्री जी जब इलाहाबाद गये थे तो उनको घेरा भी गया था। श्री जनेश्वर मिश्र, श्री सालिगराम जायसवाल बहुत से विधायक तथा विद्यार्थियों ने उनको वहां घेरा। उनका बयान भी आपको देखने को मिला होगा। अब गुप्ता जी बेकाबू हो गये और समझ गये कि अब उनकी नादिरशाही नहीं चलेगी, अब इन्कलाब होने ही वाला है, इसलिये उनको ऐलान करना पड़ा कि फ़ीस नहीं बढ़ेगी।

आपने इस बात को भी कहा था कि विद्यार्थियों की फ़ीस को कम करेंगे लेकिन आपने वह नहीं किया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य को आप देखें तो आपको वहां पर ऐजूकेशन फ्री ही मिलेगी। प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है लेकिन श्रीमन्, इस बजट में प्राइमरी पाठशालाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज आप गांवों में चल कर देखें, वहां की क्या हालत है।

मैं एक मामूली किसान का बेटा हूं। मैं भी सन् ४२ में आपके साथ ही आजादी की लड़ाई का एक सिपाही रहा हूं। मैं हंडिया का रहने वाला हूं। यह हंडिया उत्तर प्रदेश का ही नहीं सारे हिन्दुस्तांन एक ऐसा स्थान है जो "बारडोली" का मुकाबला करता है। वहां पर लोग गोलियों के शिकार हुए, लोगों के घर जला दिये गये। मुझे फ़ख्र है कि मैं इलाहाबाद जिले के उस स्थान का रहने वाला हूं जहां के किसानों ने सब से ज्यादा आजादी की लड़ाई में भाग लिया। अब तो कांग्रेस में बहुत से नये-नये लोग भर आये हैं। राजा और नवाब भर आये हैं, ये क्या समाजवाद लायेंगे। जो लोग गरीबों से २–२ पैसे पर बेगारी कराते रहे वे भला क्या समाजवाद लायेंगे। सही समाजवाद तो किसान का बेटा ही ला सकता है। जब यहां पर गरीब का बेटा बैठेगा वही समाजवाद लायेगा।

मैं मंत्री जी का इस्तकबाल करता हूं कि वे इस बजट में फ़ैमिली प्लानिंग की कोई बात नहीं लाये क्योंकि उनके दिल-दिमाग दुरुस्त हैं, नौजवान आदमी ह। उससे हमारे भिखमंगों को बड़ा आराम मिला है, सड़कों पर चलने वाले साधुओं को उससे बड़ा आराम मिला है, सड़कों पर चलने वाले गरीबों को आराम मिला है, जिनको वी० एल० डब्ल्यू० आदि जबरदस्ती पकड़ कर नसबन्दी करा देते थे और इस प्रकार से वी० एल० डब्ल्यू० की नौकरी भी बच गयी जिसको वह कराना ही पड़ता था। इसके लिये मैं मंत्री जी का इस्तकबाल करता हूं। यह जरूर है कि थोड़ी गरीबी बढ़ी है लेकिन गरीबी को दूर करने के और साधन हो सकते हैं।

इसके अलावा हमारे साथ बड़ा अन्याय है, मैं अपने जिले की तरफ़ ध्यान दिलाऊंगा। माननीय धर्मवीर जी जो कि हरिजन पासी, एम० एल० ए० हैं लेकिन शहर में रहते हैं इसलिये उन्हें पासियों की और चमरौटी की बात मालूम नहीं है। वह आज २२ साल के शासन के बाद वहां के गांवों में जाकर उनकी दशा को देखें। आप उनकी बस्ती में रहना पसन्द नहीं करेंगे, रह नहीं सकते। मैं चुनौती देता हूं इस सदन में गुप्ता जी की सरकार को कि आज भी कोई एक क्षण भी उन की बस्ती में रहना पसन्द नहीं करेगा। यों तो हरिजनों को आपने बड़े अनुदान दिये हैं लेकिन आज भी जिस तरह से हरिजन वहां रहते हैं शायद सूअर और जानवर भी ऐसी जगह में नहीं रहते होंगे। २० साल में जो विकास का ढिंढोरा कांग्रेस की तरफ़ से पीटा जाता है और हरिजनों के नाम पर अनुदान दिये जाते हैं और नियम हैं कि वह पैसा गांव में हरिजनों पर व्यय हो, लेकिन जहां पर कांग्रेस के एम० एल० ए० का बहुमत है वहां पर गरीब लोगों को वह अनुदान नहीं मिलता और वह पैसा उन लोगों

[श्री राजितराम पाण्डेय---]

की जेब में जाता है जो कांग्रेस के दलाल है और वही सब खा जाते हैं । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि गांव के रहने वाले गरीबों को किस तरह से बहकाया जाता है । हमारे धर्मवीर जी को तो अब गरीबी भूल गई उनको गांवों की दुर्दशा का कोई खयाल नहीं रहा है, वह नहीं समझ पाते हैं कि हरिजनों के साथ आज किस तरह से अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठें ।

श्री राजितराम पांडेय---

हरिजनों की बहू बेटियों का सतीत्व लूटा जा रहा है । (शेम शेम) आज उनको अपने पुराने दिन भूल गये, आज वह गुप्ता जी के नाम पर डींग हांकते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राजितराम पांडेय---

थोड़ा समय मुझे और दिया जाय । बिजली विभाग में बड़ा अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार व्याप्त है । ५ मिनट और दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप ३ मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री राजितराम पांडेय---

मैं चाहता हूं कि श्रृंगवेरपुर में लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई जाय ताकि वहां के किसानों का लाभ हो । मैं सिंचाई मंत्री-श्री कमला पति जी से कहूंगा कि इलाहाबाद में सिंचाई विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहां की सारी नहरें एवं नलकूप खराब पड़े हुए हैं । गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता । साथ ही साथ जो आप के कर्मचारी हैं, जिलेदार और आपरेटर सब यहां तक कि इंजीनियर तक गरीबों से पैसा लेते हैं जो जबरदस्त और लठैत लोग हैं वह तो बच जाते हैं लेकिन गरीब लुट रहे हैं । तमाम नलकूपों की नालियां खराब हो गई हैं कोई सुनवाई नहीं है । बिजली विभाग में एक मासूम अली इंजीनियर हैं और एक सहायक इंजीनियर हैं वह तो बिना २--४ सौ रुपया लिए काम ही नहीं करते.....

श्री अध्यक्ष---

आप किसी का नाम न लें जो यहां नहीं हैं ।

श्री राजितराम पांडेय---

बिना ३०० रुपये लिये हुए किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाता । मैंने कलक्टर से और कमिश्नर से भी कहा लेकिन वह भी परेशान हैं । आजतक इन अफ़सरों की नादिरशाही समाप्त नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष---

अब तो आप के ३ मिनट समाप्त हो गये, अब आप बैठें ।

श्री राजितराम पांडेय---

अन्त में मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि इन बगुला भक्तों से होशियार रहिये क्योंकि इनकी भ्रष्ट सरकार चलने वाली नहीं है ।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

आपका आभारी हूं। मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को पढ़ा और बजट साहित्य को भी समझने की कोशिश की। वास्तव में अगर हम इस बजट को देखें तो यह वास्तविक यू० पी० का बजट है। हमारे प्रदेश में आज कृषि कितनी पिछड़ गयी है, आज गंगा और यमुना का मैदान इतना क्यों पिछड़ गया है। हमारे उद्योग कितने पिछड़े गये हैं। इन सब बातों और शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। इस बजट में न तो पूंजीवाद और न साम्यवाद ही परिलक्षित होता है बल्कि वास्तव में यह एक यथार्थवादी बजट है, जिसकी आवश्यकता इस प्रांत को थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक दल इस विधान सभा में आने से पूर्व जनता के पास जाता है और उनके सामने अपने दल की नीतियों की घोषणा करता है और उसके उपरान्त उसको अवसर मिलता है सरकार बनाने का। देखने की बात यह है कि हमारे कांग्रेस दल ने जिन बातों की घोषणा की थी क्या उन सब बातों का समावेश इस बजट में है, या नहीं। जहां तक मैं देख पाया हूं यह बजट सब से पहला बजट है जो जनता की आवश्यकता को पूरा करता है। हमें इस के दो पहलुओं को देखना चाहिये। एक तो हमें बजट में आय को देखना चाहिये और व्यय को भी देखना चाहिये ताकि जिस चीज की जरूरत हो उस पर वह व्यय होना चाहिये। इस बजट में सबसे ज्यादा कृषि पर जोर दिया गया है। सारे बजट का ५३ प्रतिशत कृषि पर खर्च होगा। इस प्रांत के अधिकतर निवासी गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। बजट का आधे से ज्यादा भाग उन पर खर्च हो रहा है। दूसरी आवश्यक चीज जो है वह है हमारे उद्योग। यह कहना उचित नहीं है कि बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिये। जहां पर बड़े उद्योगों की आवश्यकता है वहां पर बड़े उद्योग लगने चाहिये ताकि यहां के निवासियों को रोजी रोटी मिल सके। इस ओर भी बजट में ध्यान दिया गया है।

पिछड़े हुए पर्वतीय जिलों और पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये भी इस बजट में काफ़ी पैसा रखा गया है और इसके लिये एक पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल को यह बताना चाहता हूं कि चूंकि पहाड़ की समस्या, मैदान की समस्या से अलग है इसलिए पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी है। इसकी परम आवश्यकता थी और यह समय की जरूरत थी। यह कार्य इस कांग्रेस के मंत्रिमंडल और इस दल ने किया है और इनको इसका श्रेय मिलना चाहिए। आज आपका हिमालय काश्मीर से पूर्व तक फैला हुआ है। हिमालय का मध्य भाग ही उत्तर प्रदेश में है जिसमें शांति है और उस शांति का मुख्य कारण इस कांग्रेस दल के लोगों का प्रयास है जोकि उनकी समस्याओं को समझती है और समझने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है और पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक अलग से परिषद् की स्थापना की है। इसके बाद हम लोगों के सामने भूमिहीनों की समस्या है जिसके लिये इस बजट में उनको बसाने के लिये ५ करोड़ रुपया रखा गया है। चाहे उनको जमीन मिलेगी अथवा दूसरे ढंग से बसाया जायगा।

एक दूसरी चीज क्रान्तिकारी इस बजट में यह है कि गांवों में लोगों को जो ऋण दिया जाता था वह हैसियत के मुताबिक दिया जाता था लेकिन अब वह ऋण किसान की जरूरत के मुताबिक दिया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणी—]

नेता विरोधी दल को २० साल का कांग्रेस का अनुभव है, १० महीने का संविद का अनुभव है। मेरा खयाल था कि वह सुझाव इस प्रकार से रखेंगे जिनसे हम सब लाभान्वित होंगे लेकिन उनके साढ़े ५ घंटे के भाषण के बाद एक ही बात अनुभव हुई कि उन्होंने गुप्ता जी पर आरोप लगाने की कोशिश की। उनको बड़े बड़े लोगों का हामी बतलाया और अपने को किसानों का हमदर्द बतलाया। लेकिन जब संविद की सरकार थी तो पहाड़ वालों को २५ ग्राम चीनी दी जाती थी जो दो दफा के लिये काफी हो सकती थी। एक तरफ तो वह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो लेकिन जब भ्रष्टाचारी को बदला जाता है तो इस विधान सभा में वह उसकी वकालत करते हैं। इस प्रकार का विरोध न्यायसंगत अथवा उचित नहीं है।

एक बात उन्होंने यह कही कि पर्वतीय जिलों में विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाह ा हूं कि जब आगरा, कानपुर, इलाहाबाद तथा बनारस में विश्वविद्यालय थे तो उनको फिर मेरठ में क्यों विश्वविद्यालय की आवश्यकता पड़ी ? अगर यह सरकार रचनात्मक कार्य भी करती है तो भी उधर से विरोध किया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि गढ़वाल कमिश्नरी नहीं होनी चाहिये। मेरा तो यह सुझाव है कि सारे कमिश्नर खत्म होने चाहिये लेकिन सब कमिश्नर रहें और गढ़वाल की कमिश्नरी खत्म हो, यह गलत है। कुमायूं और गढ़वाल इतना बड़ा क्षेत्र है कि नैनीताल से उत्तरकाशी तक एक कमिश्नर उसे नहीं संभाल सकता। अगर कमिश्नरों को रखना है तो फिर गढ़वाल कमिश्नर भी रहे वर्ना सब को खत्म कर दिया जाय और जिलाधीशों को अधिक अधिकार दे दिये जायं। मेरठ पहाड़ से नजदीक है इस नाते हम चरण सिंह जी से ज्यादा उम्मीद करते थे लेकिन उनका रुख देख कर बड़ा अफसोस होता है। इस तरह के नेता उत्तर प्रदेश की भी वही हालत बना देना चाहते हैं जो तेलंगाना में है।

जनसंघ के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष जब संविद सरकार थी और जो लोग सरकारी बैंचेज पर बैठे थे वे चाहे किसी भी दल के रहें हों उन्होंने अखबारों में एक ही खबर देखी होगी कि जनसंघियों ने अपने को ही सब स्थानों पर रखा है और दूसरे दलों को नहीं पूछा है। तो दस महीने के राज्य में आपने तो कमाया ही यह है। इसलिये एक दल को अकेले यह बात कहना कोई न्याय संगत नहीं है।

अन्त में एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल उत्तर प्रदेश के २२ जिलों में से सब से गरीब जिला है। इसकी प्रति व्यक्ति आमदनी १२९ रुपये है। इसलिये मेरा सदन के सभी सदस्यों से निवेदन है कि इसकी ओर वे विशेष ध्यान दें। जहां तक विरोधी दल का संबंध है, एक पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में नक्सलाइट कार्यवाही ज्यादा हो रही है कांग्रेस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। दूसरी ओर साम्यवादी दल ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार ने हमको जमीन नहीं दी तो हम जबरदस्ती जमीन को हड़प लेंगे। तो जो लोग स्वयं विरोधी दल में रह कर विरोध की बात करते हैं वे किस प्रकार सरकार चलायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता।

अन्त में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है अपने उन साथियों से जो समाजवाद का नारा लगाते हैं कि वे इस बजट को पूर्ण रूप से समर्थन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)––

व्यवस्था का प्रश्न। जब बी० के० डी० के आधे से ज्यादा विरोध में हैं तो कम से कम दो, तीन घंटे बाद उनका नम्बर आना चाहिये। आज सवेरे से इस दल का कोई आदमी नहीं बोला। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से यह व्यवस्था चल रही है ताकि हम बेकार उठक बैठक न कर के उस हिसाब से खड़े हों ?

श्री उपाध्यक्ष––

आज तक प्रजा समाजवादी दल के किसी सदस्य ने नहीं बोला ('अभी बोल चुके हैं' की आवाजें) हो सकता है कि आप सही कह रहें हों लेकिन हमारे सामने रियासत हुसेन साहब पड़े....

श्री दीपनारायण मणि––

हम लोग भी खड़े थे।

श्री उपाध्यक्ष––

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं। यह जो हमारे पास आपकी चिट्ठियां वगैरह आ जाती हैं उनका व्यवस्था से संबंध नहीं है बल्कि एक परम्परा से है। व्यवस्था तो यही है कि अध्यक्ष की आंख जिसके ऊपर पड़े और उस समय मेरे सामने रियासत हुसेन साहब पड़े इसलिये मैंने उनको पुकारा।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

इस सदन की व्यवस्था बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कार्यक्रम बनाया यदि आप उसका पालन करेंगे तो हम लोग पूरा सहयोग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बहुत ठीक कह रहे हैं। जो प्रक्रिया आपने बनायी है उससे भिन्न मेरा कोई विनिश्चय नहीं हुआ। जैसे आपने अपने दल की ओर से कहा वैसे ही दूसरे दल के लोगों की ओर से भी मेरे पास नाम आये हैं। दो नाम प्रजा समाजवादी दल की ओर से आये। तो एक बोल चुके होंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

श्रीमन्, सदन में पार्टियों के स्ट्रेन्थ की बात है और उसी के अनुसार समय मिलता है। इस लिये आप इस तरह से समय का बंटवारा कीजिये जिससे प्रत्येक को न्याय मिल सके। मान लीजिये पी० एस० पी० के तीन बन्धु हैं और उनमें से दो बोल चुके हैं तो फिर कैसे न्याय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं चाहता हूं कि आप बात कर लीजिये और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा लेकिन अगर आप कहेंगे कि संख्या के ऊपर हुआ है तो इधर के दल के लोगों को और उधर के दल के लोगों को जो समय दिया गया है वह आपकी सहमति और अनुमति से ही हुआ है। सदन की परम्परा और कार्य सुचारु रूप से चले इसके लिये किसी भी अध्यक्ष को प्रसन्नता की बात होगी। इसलिये मैं तो हमेशा आपके हाथ में हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति बनी और उसने कुछ निर्णय लिये। यदि उनके बारे में आपने कह दिया कि वह कमरे के बाहर लिये गये हैं इसलिये हम पाबन्द नहीं हैं तो बड़ी कठिनाई होगी।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई भी विनिश्चय नहीं हुआ है जिसके विपरीत कोई भी काम यहां पर हुआ हो।

श्री दीपनारायण मणि—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १०—३० बजे से सदन बैठा और आध घंटे के बाद से बजट पर भाषण होने शुरू हो गये और अब पौने दो बज रहें हैं एक भी बी० के० डी० के सदस्य को बोलने का मौ ा नहीं मिला है। इसलिये आपकी दृष्टि सामने ही नहीं पड़नी चाहिये बल्कि इधर भी पड़नी चाहिये ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं अपने मित्रों को सूचना देना चाहता हूं कि जितना समय बी० के० डी० ने लिया है उतना अन्य दलों ने नहीं लिया। माननीय नेता विरोधी दल ने पूरा दिन ले लिया तो अन्य दलों को तरजीह मिलनी चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मेरे नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यों को आपत्ति हुई। तीन दिनों में अभी तक कोई भी हमारे दल का आदमी नहीं बोला। यह मेरी पहली स्पीच है। वित्त मंत्री जी जो सदन में नहीं हैं, ने ए क लम्बा-चौड़ा बजट पेश कर दिया है। वह ढोल के समान है जो देखने में लम्बा-चौड़ा होता है लेकिन अन्दर से खोखला होता है। मैं समझता था कि जैसी मथुरा की परम्परा है कि वहां के लोग अपने मेहमानों का चौखट पर ही स्वागत करते हैं। उसी तरह से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक्स का नेशनालाइजेशन कर दिया है उसी तरह से शुगर इंडस्ट्रीज को नेशनेलाइज कर देंगे। लेकिन पूरे बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रोग्रेसिव हो।

दूसरी बात यह समझ में नहीं आई कि यह परम्परा पड़ती ली जा रही है कि आज से चार महीने पहले वोट आन एकाउन्ट्स पर ढाई सौ करोड़ रुपये ले लेना और अब बजट पेश करना। इस में ५/६ जराये ऐसे दिखाई देते हैं जो नये टक्सेशन की शक्ल में आमदनी के जराये हैं। मैं समझता था कि यह बजट की सीक्रेसी का लीक आउट होना है। इसलिये यह किया जा रहा है कि जनता आदी हो जाय और नये टैक्सेशन का विरोध न हो सके। यह जो पालिसी अडाप्ट की जा रही है यह बिलकुल गलत है। इस बजट की सीक्रेसी लीक आउट हो गयी है। चाहे गवर्नर के आदेश के अन्तर्गत या किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से कुछ टैक्सेज पहले से लागू कर दिये गये जैसे रोड टैक्स, दस गुना से बीस गुना जनता से वसूल हो रहा है यह बजट प्रस्तुत होने से पहले नहीं होना चाहिये। बदकिस्मती से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उपमुख्य मंत्री भी नहीं है। मैं तीन चीजों के मुताल्लिक, इस प्रदेश के बहुत बड़े आदमी के विचारों को प्रकट करना चाहता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभानु गुप्त से शायद कोई बड़ा आदमी नहीं है। श्री चन्द्रभानु गुप्त ने २६ जुलाई, १९६७ को जो इस सदन में अपोजीशन बेंचेज पर बैठ कर कहा है उसमें से दो तीन बातें पढ़ कर सुनान चाहता हूं। चौधरी साहब ने आफिसर्स के ट्रांसफर्स के सिलसिले में बहुत तफसील के साथ बतलाया क्योंकि वह ट्रांस्फर्स माननीय मुख्य मंत्री या उनके साथ बैठने वाले आदमियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के फायदों को देख कर किये गये हैं। इसलिये उनका जिक्र किया गया। लेकिन ट्रांसफर के सिलसिले में माननीय चन्द्रभानु गुप्त का क्या विचार है वह पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। २६ जुलाई को उन्होंने यह कहा है—"सरकार के लिए अधिकार रहता है कि वह समय-समय पर ट्रांस्फर करेगी इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर कहीं अधिक समय तक रहता हो तो अवश्य तबादला उसका किया जाय लेकिन रोजमर्रा में सुनता रहा हूं कि आज तबादला हुआ कलकत्त और बदला। सरकारी कर्मचारी जानता ही नहीं है कि उस पर क्या-क्या विपदा आने वाली है। मुझे जो जानकारी मिली है वह विदित करती है कि कहां से आदेश निकलते हैं। ऐसी परिस्थितियां शक पैदा करती हैं। एक खास लाइन सुन लीजिये—"आदेश देने वाले की क्या सेहत या दिमाग ठीक है, कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है।" यह माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने कहा ट्रांस्फर कैंसिल करने वाले आदेश देने वाले को कि कहीं कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है। एक मिनट में एक आर्डर और दूसरे मिनट में दूसरा आर्डर। यह कभी भी नहीं हुआ। यह उन्होंने

ट्रांस्फर के बारे में कहा। आज जब उनकी सरकार है और सारे विभाग एक-एक दिन में तीन तीन बार ट्रांस्फर कर रहे हैं जैसी कि बहुत सी मिसालें आयीं, तमाम मंत्री लोग अपने से सोचेंगे कि उनके नेता के द्वारा कहने के अनुसार किसक दिमाग म खराबी ह, इधर स ह या उधर से।

दूसरी बात इस बजट के अन्दर बेरोजगारी के सिलसिले में बहुत काफी कही गई है कि बहुत से आदमियों को काम इम्प्लायमेंट वगैरह में दिया और बहुत से कारखाने खुल रहे हैं। इस बारे में मैं सरकार का ध्यान दिल ना चाहता हूं। गुप्ता जी ने रिट्रेंचमेंट के बारे में इसी सदन में बात को है, उसे भी सुन लीजिये—"मैं मानता हूं कि जहां आवश्यक हो वहां रिट्रेंचमेंट ह ना च हिये, लेकिन रिट्रेंच्ड व्यक्तियों को दूसरा जाब मिलना चाहिये। समाजवाद के युग म किसी का एम्प्लाएमेंट नहीं छीना जाना चाहिये। अगर छीना जाता है तो उस व्यक्ति और समाज के साथ अन्याय किया जाता है, क्योंकि हमारा प्रयास अपने बी से बेरोजगारी दूर करने का है न कि उसको बढ़ावा देने का।" तो यहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं ह, मैं डाक्टर सीताराम जी के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगले साल २५ हजार आदमी जो कंसालिडेशन वर्क में लगे हुये हैं वे बेकार होने जा रहे हैं। रिट्रेंचमेंट नोटिस मिलना उनको शुरू हो गया है। समाज के अन्दर करप्शन का यह बहुत बड़ा कारण बन गया है। जब व्यक्ति समझता है कि अगले साल हमारी नौकरी खत्म होने जा रही है इसलिये एक साल के अन्दर जितना पैसा खींच सको, खींच लो। इस बारे में मैंने माल मंत्री और मुख्य मंत्री को भी लिखा है। अभी से सरकार को सोचना चाहिये कि वह उन्हें कहां नौकरी में लगाने जा रही है, जिससे उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके और वह बेकार न होने पावें।

तीसरी चीज जो इसमें है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भाषा के बारे में १० लाख रुपया उर्दू के लिए रखा गया है। यह पहला मौका है जो १० लाख रुपया रखा गया है। यह ५ पैसा फी कस कम से कम पड़ता है, जो कि आपने उनके लिये रखा है। हालांकि अगर आप देहातों में जाकर देखें कि आज भी जो बच्चे अपना दाखिला छठे दर्जे में उर्दू में लेना चाहते हैं यह पहले दर्जे में लेना चाहते हैं, चूंकि वहां पर मास्टरों की व्यवस्था नहीं है, उनको दाखिला नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि हम विवश हैं हम उर्दू नहीं पढ़ा सकते हैं। आपके आदेश हैं लेकिन उस पर कितनी जिला परिषदें ध्यान दे रही हैं यह देखने की बात है। उर्दू के बारे में मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसे आप सुन लीजिये– "जो भी आज उर्दू को पढ़ना चाहता है, हमारा कर्तव्य है कि उनको सन्तुष्ट करें। मेरा ख्याल है कि हम पिछले २० सालों से उन्हें सन्तोष नहीं दे पाये। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सन्तोष दें। उसी पुरानी प्रथा को लौटाया जाए जिसके अन्तर्गत हिन्दी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। मेरी पीढ़ी के लोगों ने जब ८वें व ९वें दर्जे में पढ़ते थे, दूसरे और चौथे में पढ़ते थे, तो हिन्दी तो पढ़ाई ही जाती थी और लकिन साथ ही सेकेन्ड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, फिर वही व्यवस्था क्यों नहीं प्रारम्भ की जाती। यह मैं माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त के वादे के बारे में कहता हूं। मैं आशा करता हूं और मांग करता हूं कि इस बात पर वह कायम रहेंगे और उस अपने वचन को जो उन्होंने इधर से बैठकर दिया था, पूरा करेंगे।

मैं सबसे पहले ऐग्रीकल्चर के बारेमें कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर (लाल बत्ती होने पर) माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा टाइम २० मिनट है उसमें भी अभी ५ मिनट बाकी है। ध्यान रखिये। यह कहा गया है कि लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ५ साल के अन्दर और यह ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्लान १९६९ है इसमें है कि हमारा ग्रान्ड टोटल खरीफ और रबी की पैदाव र का पांच साल के प्लान में जाकर १७ हजार ७ सौ करोड़ हो जायगा। १९६५–६६ में यह था एक हजार ८ सौ ४८ करोड़ १९६६–६७ में यह हो गया ५ हजार ६ सौ ६७ करोड़, १९६८–६९ में यह हुआ ९ हजार ६३ सौ करोड़ और इस तरह से यह दुगुना चौगुना तो इन सालों में हो गया और इसी हिसाब को देखा जाय तो ९०६३ करोड़ का १८ हजार करोड़ होना चाहिये ६९–७० में, लेकिन वह रहेगा ९४२० करोड़। प्रगति कितनी हुई ? सिर्फ ४ सौ करोड़ और उम्मीद करते हैं कि अगले ४ सालों में इससे दुगुना हो जायगा। मान्यवर, यह गैर मुमकिन है, इसलिये कि डबल क्राप का हाई ईल्ड वेराइटी चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो वह जितना इरीगेटेड एरिया था किसान

[श्री रियासत हुसैन---]

उस पर डबल क्राप करने लगे। इस वक्त आपके यहां २७ परसेंट जमीन अन्डर इरीगेशन है। कोई सूरत नहीं है कि ४ साल के अन्दर उसको आप बढ़ाकर ६० परसेंट कर दें। मैं आपसे कहता हूं कि ५०-५१ में हमारा टोटल इरीगेटेड लैंड २५ परसेंट था और ६६, ६७ में य नी १५ साल के अन्दर ३ प्लान पूरा होने पर भी वह ३ परसेंट बढ़कर २८ परसेंट हो गया। यह बात आपके द्वारा ही जारी करदा 'बुलेटिन आफ ऐग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स इन उत्तर प्रदेश, १९६६-६७" में लिखा है सफा ४५ के ऊपर। जब इतनी प्रगति की है १५ साल में तो कोई जादू का चिराग आपके पास नहीं आ गया है जिसको रगड़ कर आप २८ से ६० फीसदी बना देंगे। यह बोगस फिगर्स हैं और नामुमकिन है।

ला ऐंड आर्डर की हालत देखिये। आप कहते हैं बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है यह तो उधम कई दिन से मच रहा है। अब तो हालत यह है कि आप हमारी या जनता की क्या रक्षा करेंगे। जिसके बल पर यह कांग्रेसी हुकूमत अपनी रक्षा करती है उनकी रक्षा करने में कासिर है। शाम को ६ बजे सहसवान के बाजार में हेड कांस्टेबिल गोली से मारा गया और आज तक उसके कातिल को पकड़ा नहीं गया हम लोगों को तो छोड़ दीजिये। तो यह तो आपकी हालत ला ऐंड आर्डर की है।

नैनीताल के अन्दर यूकलिपटस के पेड़ हैं। उसका ठेका किसको दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड को और वह किस भाव में दिया गया, जरा गौर कीजिये २२ रुपये टन। यूकिलिप्टस के पेड़ों का ठेका किसको दिया गया है १० साल के लिये बिड़ला ब्रादर्स-प्राइवेट लिमिटेड को। किस भाव पर दिया गया—२२ रुपये टन पर यानी १२ आने मन हुआ जब कि बाजार के अन्दर आम की लड़की की कीमत है १०० रुपये टन। परसों ही असेम्बली में मेरे सवाल का जवाब दिया गया था। इस तरह की कोई फैक्टरी पब्लिक सेक्टर में न खोल कर सब की सब प्राइवेट सेक्टर में ही खोली गयी हैं। कहा गया कि बरेली में फैक्टरी खोल रहे हैं, सीमेंट फैक्टरी खोल रहे हैं और वे सब प्राइवेट सेक्टर में हैं। जब एकीकरण की बात हो रही है, खेद की बात है कि जब बैंक के नेशनलाइजेशन सम्बन्धी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो हाउस के अन्दर न तो मुरार जी भाई थे, न पाटिल साहब थे, न कामराज जी थे। जब यह हालत सेंटर की है तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई प्रोग्रेसिव कदम नहीं उठा सकती। इससे गलत बात और क्या होगी कि आज आप कोई भी नयी फैक्टरी पब्लिक सेक्टर में खोलने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरे यहां दलपतपुर में कोआपरेटिव सेक्टर में एक बेबी पाउडर्ड मिल्क फैक्टरी खोलने के लिये किसानों की ६० एकड़ जमीन ली गयी। दो साल हो गये इमारत भी बन गयी, मशीनें भी फिट हो गयीं लेकिन किसानों का मुआवजा आज तक अदा नहीं किया गया। इसका क्या मतलब लगाया जाय ? सदस्यों को मालूम है कि जब इस तरह की कोई फैक्टरी लगायी जाती है तो उसका इस तरह से विरोध किया जाता है कि वह फेल हो जाय ताकि लोगों को कहने के लिये हो जाय कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर ही यह फैक्टरी चल सकती है। वहां के किसानों ने आन्दोलन कर दिया है कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जायेगा फैक्टरी को चलने ही नहीं देंगे। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

प्राइवेट सेक्टर कितना तरक्की कर रहा है, इसे भी आप देख लें। बिड़ला का नाम तो बराबर रोज सुनते ही हैं लेकिन हमारे यू० पी० में भी एक बिड़ला हैं जिनके इस वक्त २० कारखाने चल रहे हैं और कहां चल रहे हैं ? आप यह न समझें कि केवल यू० पी० के अन्दर ही सब कारखाने चल रहे हैं। बम्बई सांभर (राजस्थान), फिर बम्बई, फिर सांभर, फिर बम्बई—इस तरह से २० कारखाने हैं और ४० लाख रुपया उनके ऊपर सरकार का कर्जा है। वे कौंसिल के मेम्बर भी हैं, मेरा इशारा श्रीकृष्ण गोयल की तरफ है और वह शायद बढ़ने वाली कैबिनेट के उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने न कोई वेल्थ टैक्स दिया है और न

डेथ टैक्स दिया। मैं तो कहता हूं कि अखलाकी तौर पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये, इसलिये कि सन् १९३७ में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें तो किसानों के नुमाइन्दे रहे, उसके बाद वाले में भी किसानों के नुमाइन्दे रहे जैसे श्री चरण सिंह, श्री फूल सिंह, श्री गेंदा सिंह श्री शिवराजसिंह वगैरह। श्री फूल सिंह तो आये ही नहीं, और लोग विरोध में चले गये और पता नहीं क्यों श्री गेंदासिंह इस कैबिनेट में नहीं लिये गये, यह तो उन के अन्दर की बातें हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि उत्तर प्रदेश की ८२ प्रतिशत जनता जो किसान है, वह आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि बिना किसानों की नुमाइन्दगी के आपका आजकल का कैबिनेट है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिये और अगर साहस है तो फिर दोबारा कैबिनेट बनाना चाहिये जिसमें ८२ परसेंट किसानों के भी नुमाइन्दे हों। ८२ परसेंट जनता की बात को टालने का आपको कोई अख्तियार नहीं है।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

इन्होंने कहा है कि यहां पर ये सोधी-सादी जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं यह कहना गलत है।

श्री रियासत हुसैन—

अब मैं व्यूरोक्रेसी की क्या हालत है इस पर आना चाहता हूं। एक बी० के० नन्दा बरेली में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, मलेरिया जोन हैं। उन्होंने सरकारी जीप यू० एस० क्यू० ६८८३ लेकर अपनी पूरी फैमिली को उसमें बिठाया और एक साहब को और लिया जिनका नाम डाक्टर धवन है। वे सब पिकनिक करने के लिये गये। वह कहीं पास नहीं गये बल्कि पिथौरागढ़, अलमोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, काठगोदाम उसी जीप पर ६०० मील का टूर किया। इसको चैक किया जा सकता है। उसकी तारीख १७–६–६७ से १९–६–१९६७ है। उसकी पिथौरागढ़ टनकपुर के पुल पर एन्ट्री भी है। उसको देखा जा सकता है। क्या इस प्रकार से सरकारी जीप पर कोई टूर करना अपनी निजी मतलब के लिये उचित है?

दूसरी मिसाल में मुरादाबाद की देना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नन्दलाल कुरील थे, ओ० सी० साहब उनकी हैमरेज से मौत हो गई। उनके लड़के का मैनपुरी के अन्दर गोली से मर्डर कर दिया गया। उनकी फैमिली आज बहुत बुरी हालत में है। सरकार को इसमें जांच करानी चाहिये कि क्या इस घटना के पीछे किसी दूसरे बड़े अफसर का तो हाथ नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही हो। उस समय एक्जिक्यूटिव अफसर गर्ग साहब और कलेक्टर कटारा साहब थे। गुप्ता जी भी गये थे और तिवारी जी भी गये थे और उन्होंने कहा भी था। तो उसकी जांच करायें ताकि पता चल सके कि असल वाकया क्या है। आज उस फैमिली की हालत बहुत खराब है और उसको मुआविजा मिलना चाहिये।

इस बजट में पूर्वी जिलों व बुन्देलखंड के विकास बोर्ड के लिये कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब इसके अन्दर शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अन्दर सवा ६ एकड़ तक अनइकानामिक होल्डिंग से लगान हटाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये इसमें कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसके अन्दर फूड जोन को अबालिश करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अन्दर अनइम्पलायमेंट को दूर करने के लिये कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बजट को इस हाउस को पास नहीं करना चायिये।

श्री शान्तीचरन पिड़ारा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस थोड़े से समय में १०, १५ मिनट के अन्दर जो मुझे कहना है उसमें क्या मैं कह सकूंगा। विरोधीदल के माननीय नेता ने ५ घंटे का समय लिया किन्तु बजट के विषय में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा आखिर वह कौन सी बात थी जो वह ५ घंटे में कह

[श्री शान्तिचरन पिड़ारा –]

सकते थे । यह रिकार्ड टाइम है कि हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में या विधान मंडल में या संसद् में कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति इतने समय तक लगातार बोला हो । फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा । मैं बी० के० डी० के सदस्यों के द्वारा उनके नेता का ध्यान इस ओर दिलाना चहता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे अधिक उनका समर्थक टाइम्स आफ इंडिया पेपर है । उस पेपर को देखा जाय तो उसमें कल के अंक में एक शब्द भी उनके भाषण के बारे में नहीं लिखा है । उनका नाम भी नहीं लिया । मैं पूछता हूं उनसे कि आखिरकार क्या यह बात सच नहीं है कि ५ घंटे बोलने के बाद भी वह कुछ नहीं बोल पाये । अब मैं जिसको रेवेन्यु रिसीट्स या राजस्व प्राप्ति कहते हैं उसके बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वैसे तो इस बजट में १३ अरब रुपये की बात कही गयी है लेकिन जहां तक राजस्व प्राप्ति जो कि वास्तव इनकम कहा जाय उसका सवाल है, वह केवल ३ अरब, ९० करोड़ रुपया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि राज्य में रहता है, दिया जाये तो केवल ४०–५० रुपया प्रति व्यक्ति होता है ऐवरेज । मैं कहता हूं कि क्या किसी भी राज्य के लिये यह उचित है कि हम केवल इतने ही बड़े बजट से संतुष्ट हो जांय ? इस ३९० करोड़ के बजट में ६९ करोड़ का वह अनुदान है जो केन्द्रीय सरकार हम को देती है जोकि ३९० करोड़ का १७.७ परसेंट है । मैं समझ नहीं पाया कि आखिर इस बजट से हम कैसे अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं ? इसको निश्चित बढ़ाना ही चाहिये । मैं फिर आपका ध्यान दिलाता हूं कि जो बाकी रुपया है ३९० करोड़ में उसमें भी ७३ करोड़ ऐसा है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा हम को दिया जाता है दूसरे रूप में । २७ करोड़ इनकम टैक्स के रूप में, एक करोड़ रुपया एस्टेट ड्यूटी और ४५ करोड़ रुपया सेंट्रल एक्साइज से दिया जाता है । यह ठीक है कि हम मांग करते हैं केन्द्रीय सरकार से कि जो हमारा हिस्सा है वह बढ़ाया जाय इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिये । हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस तरह कि बात कहें, लेकिन क्या हमने इसके लिये उपयुक्त काम किया है । अभी पिछले दिनों एडीशनल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का सवाल उठा था । जिस वक्त कि तम्बाकू पर, कपड़े पर और चीनी पर सेल्स टैक्स कम किया गया था उस समय हमारी सरकार या सारे देश की जो राज्य सरकारें हैं वह चुपचाप इस बात को सहन करती रहीं और उन्होंने केन्द्र को अधिकार दे दिया कि हमारी एडीशनल सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी है उसको वसूल करें ।

मैं एक और बात कहता हूं । स्टेट ड्यूटी में जो रुपया खेती की एस्टेट से वसूल किया जाता है वह राज्य का माना जाता है । क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कुछ भी मेहनत करे तो एक करोड़ से कहीं ज्यादा खेती में जो हर साल स्टेट को एड मिलती है वह बढ़ा सकती है । अगर ६९ करोड़ या ७३ करोड़ को हटा दिया जाय तो २४३ करोड़ ऐसा रह जाता है जिसको हम वसूल कर सकते हैं । इसमें भी ३८ करोड़ रुपया तो केवल ब्याज की आमदनी है, उसको आप क्या जोड़ सकेंगे इसमें । क्योंकि ३८ करोड़ के स्थान पर ४२ करोड़ रुपया आपको दूसरों को ब्याज का देना पड़ता है । तो यह तो आमदनी नहीं हुई यह तो तरीका है फिगर्स को बढ़ाने का, ऊंचा करने का । अगर यह ३८ करोड़ रुपया निकाल दिया जाय तो यह २१० करोड़ ही रह जाता है ।

अब मान्यवर, मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । इस हाउस को इस तथ्य को समझ लेना चाहिये कि मालगुजारी से जो आमदनी है उसको हम बढ़ा सकते हैं या नहीं । मेरा ख्याल है कि कोई भी पार्टी की सरकार आये, वह मालगुजारी नहीं बढ़ा सकती क्योंकि खेती से आमदनी बहुत कम होती है । तो जब मालगुजारी बढ़ेगी नहीं तो आपको दूसरे साधनों को खोजना पड़ेगा ।

मैं अब सेल्स टैक्स की ओर आपको ले जाना चाहता हूं । बिक्री कर से लगभग ३८ करोड़ की आमदनी कूती गयी है इस बजट में । यह मखौल सा मालूम पड़ता है । हमारे देश

के और जितने भी राज्य है, जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, सभी राज्यों में बिक्री कर से आमदनी हमारे यहां से अधिक है। हमारे यहां ४ रुपये प्रति व्यक्ति बिक्री-कर से आय होती है। महाराष्ट्र में जब कि प्रति व्यक्ति साढ़े १९ रुपया लिया जाता है, बिहार में, जो यहां से भी गरीब समझा जाता है, यह आय ५.२१ है, मध्य प्रदेश में यह आय ७ रुपया है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री–कर की आय नहीं बढ़ पा रही है। कभी कोई एडवाइजरी कमेटी बैठती है, कभी कोई कमीशन बैठता है, मगर इस बात पर कभी कोई विचार नहीं करता कि इससे होने वाली आमदनी क्यों नहीं बढ़ती। जब हम लोग बिक्री कर की बात करते हैं तो हमारा दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। हम यही सोचते हैं कि यह ४०–५० करोड़ रुपया जो बकाया पड़ा हुआ है वह कैसे वसूल हो। क्या उसी से हमारा काम चल जायेगा? उसी से हमारे सब संकट टल जायेंगे? यह बात नहीं है। यह कहा जाता है कि हम कानून में परिवर्तन करेंगे। यह जरूरी है, यह आप करें। मगर जो मुख्य फैक्टर है उस पर भी तो आप विचार करें। मैं बड़े दुख के साथ इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों के समय से यह परम्परा चली आ रही है और हमारे दिमागों में बसी है कि आई० ए० एस० आफिसर हर काम कर सकता है, यह गलत है। वह बिक्री कर की टैक्नीकेलीटीज को नही समझ सकता। मुझे बताया गया कि पिछली संविद सरकार ने इस बिक्री-कर विभाग के एक बहुत बड़े हिस्से को एक पुलिस अधिकारी को सौप दिया था। जैसे कि पुलिस अधिकारी बिक्री-कर की बात समझते हों और बिक्री-कर के मामलों को वह ठीक कर सकते हों। मेरी प्रार्थना है कि आप यह समझें ह्यूमैन फैक्टर पर मैं एक कान्स्ट्रक्टिव सुझाव रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं और वह सुझाव यह है कि हमारी सरकार केन्द्र के इन्कम टैक्स विभाग से यह कहे कि वहां का कोई अनुभवी व्यक्ति यहां डैपुटेशन पर आवे और उसको यहां कमिश्नर सेल्स टैक्स या एडवाईजरी रोल दिया जाय। मैं इसी सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स विभाग में जब रिवीजन जज अपील्स जो रखे जाते हैं वे भी यह सोचकर नहीं रक्खे जाते हैं कि उनको किसी प्रकार का अकाउन्टैन्सी या अकाउन्ट्स के बारे में कोई ज्ञान होना चाहिये और उसका नतीजा यह होता है कि जहां वे काफ़ी छूट दे देते हैं कानूनी प्वाइन्ट्स पर या फ़ैक्ट्स के प्वाइन्ट्स हैं या बही खाते के प्वाइन्ट्स हैं उन पर वे कुछ नहीं कर पाते। मेरा यह अनुभव है बीस वर्ष की वकालत का कि जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है...

(बिजली फेल हो जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

समय भी आपका समाप्त हो गया है .....

श्री शान्तीचरन पिड़ारा––

तो मैं यह बता रहा था कि स्थिति यह है कि जैसे बिजनेस में किसी की बिक्री दस लाख रुपये रही, या दस लाख रुपये से और ज्यादा हो जाय पर वह दो लाख रुपये की ही बिक्री दिखाता है। जब असैसमैन्ट उसका होता है तब वह दो लाख की जगह तीन लाख का कर दिया जाता है और जब अपील और रिवीजन होती है तब वह सवा दो लाख का ही रह जाता है। तो दस लाख की बिक्री जिस बिजनेसमैन ने दिखाई है अगर वह सवा दो लाख पर असेस हो जाय तो उसे क्या परेशानी हो सकती है। यह मैं अपने अनुभव की चीज आपके सामने रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय हो गया है।

श्री शान्तीचरन पिड़ारा––

उपाध्यक्ष महोदय, कभी बिजली चली जाती है, कभी कुछ चला जाता है..... मैं इसी ह्यूमैन फैक्टर के बारे में जहां मैंने उच्च अधिकारी कमिश्नर जैसी बात कहीं वहां यह

[श्री शान्तीचरन पिड़ारा---]

भी कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स आफ़िसर का जो कैडर है उसे कुछ इम्प्रूव करें। इसमें वे लोग रख दिये गये हैं जो और विभागों के निकाले हुए कूड़ा करकट हैं। मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि यदि हम लोग ठीक प्रकार से इस ह्यूमैन फैक्टर को देखें, उत्तर प्रदेश का जो बिक्री कर विभाग में हैं उसमें ढ़ंग के अफसर रक्खें तो कोई वजह नहीं है कि जहां चार रुपये प्रति व्यक्ति सेल्स टैक्स लगता है वहीं दस और १५ रुपये सेल्स टैक्स हो सकता है,

(बिजली पुनः फेल हो जाने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। बिजली न हो मैं फिर भी कहूंगा। यह ह्यूमैन फैक्टर की बात इतनी जरूरी है कि यहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे यह नहीं जानते कि किस चीज के बारे में क्या कहा जा रहा है। एक बार की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। जब ये पहले मुख्य मंत्री थे। तब उस वक्त मैने यह कहा था कि एक चीज होती है सोरा कैमिकल की। मैंने उनसे कहा कि सोरा कैमिकल है। लेकिन जो विभागीय कर्मचारी हैं वे उसको कैमिकल न मानकर साधारण चीज मानते हैं। अगर उसे कैमिकल मान लिया जाय तो गवर्नमेन्ट का लाखों रुपयों का फ़ायदा हो सकता है। पर माननीय मुख्य मंत्री के दिलचस्पी लेने के बाद भी हुआ कुछ नहीं।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रूखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य बोल रहा होता है तो बिला आपकी इजाजत के बहुत से लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, इसमें आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब यहां लाल बत्ती जल जाती है और उसके बाद बुझ जाती है, तब लोग मेरी आंख को पकड़ने के लिये खड़े हो जाते है।

श्री शान्तीचरन पिड़ारा---

हमारे प्रदेश की एक मात्र राष्ट्रीय सेवा रोडवेज है। उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस रोडवेज में २२ करोड़ रुपया लगा हुआ है। लेकिन उससे लाभ कितना होता है? जीरो। और नुकसान कितना होता है? १२ लाख। हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, शुगर फ़ैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। जब २२ करोड़ रुपया लगा कर ही हम नुकसान दिखा रहे हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण करके कैसे फ़ायदा उठायेंगे। इसका कारण मैंने जानने की कोशिश की वह यह है कि सर्विसेज को आपने एक दम बढ़ा दिया है। साढ़े छः करोड़ रुपया आपका तनख्वाहों में ही निकल जाता है जो इसकी आमदनी का ३५ प्रतिशत हो जाता है। इस बात को आपको देखने की जरूरत है।

एक बात जरूर में कहूंगा। वह है प्रोफेशन टैक्स के बारे में। इसका नाम ही कुछ इतना लम्बी चौड़ा रखा गया है, जिसको मैं ले नहीं पाता हूं। यह टैक्स नौकरों पर, पेशा करने वालों पर लगाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस चीज को अच्छी तरह से समझा जाय। जो लोग सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं उनके लिये २५० रुपया सालाना देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो छोटे नौकर जिनको ३-४-५ सौ रुपया महीना मिलता है, उनकी जेब से २५० रुपया निकल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेरी प्रार्थना है कि उनसे इस चीज को हटा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज की ओर मैं सदन का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। इस समय प्रश्न यह नहीं है कि इस प्रदेश की हुकूमत को कौन करे। चाहे कांग्रेस करे अथवा विरोधी दलों में कोई दल करे या सब मिल कर करें। समस्या एक है, उसको आपको समझना होगा। २२ साल में डेमोक्रेसी के शासन के बाद एक समय ऐसा आया जब नौकरशाही

ने इस प्रदेश में राज्य किया। वह राज्य करना जान गये है, और हो सकता है वह फिर राज्य करना चाहते हों। इसलिये मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि जब हम अपनी कोई बात कहें तो इस चीज को समझ लें। आखिर नौकरशाही राज्य कैसा होगा यह तो हम लोग जान ही गये हैं। नौकरशाही के लोग भी अच्छे हो सकते हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनमें अच्छे लोग नहीं हैं लेकिन एक अधिकारी हैं मैं उन का नाम नहीं लूंगा। वह अभी एक जिले में पहुंचे और पहुंचते ही उन्हें वहां दूध की जरूरत हुई बच्चों के लिये। पास ही १५–२० भैंसों की एक डेरी थी वहीं से उन्होंने दूध मंगाना आरम्भ किया। एक दिन उन का चपरासी दूध लेने कुछ देर से पहुंचा तो डेरी के मालिक ने कहा कि अब तो दूध खत्म हो गया है, मैं दूध नहीं दे सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि उस डेरी का मालिक तत्काल उनके द्वारा बुलाया गया और उससे जो शब्द कहे गये–उन को आप सोच लें, समझ लें, दिल में रख लें कि उन की क्या मनोवृत्ति रही होगी। उन्होंने कहा कि इस शहर के बच्चे उस वक्त दूध पीयेंगे जब हमारे बच्चे दूध पी लेंगे। आप समझ लें कि किस तरह का व्यवहार नौकरशाही कर सकती है। जब आप विचार करें तो इस खतरे को भी आप सामने रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस आय-व्ययक का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

श्री ईश्वर दयाल (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूबे के उस कोने का प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में कर रहा हूं तो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की नाक के नीचे हैं। मेरे क्षेत्र के अधिकांश किसानों की जमीनें सरकार ने जबरदस्ती छीन-छीन कर फैक्टरी बनाने के लिये ले ली हैं। आज ऐसे २० हजार किसान अपनी जमीनों को देने के बाद बेकार पड़े हैं। यह ठीक है और मैं मानता हूं कि फैक्टरी खोलना बुरा नहीं है लेकिन जिन किसानों की जमीनें शासन ने जबरदस्ती छीन ली हैं और मुआवजा अपनी मर्जी से तय किया है वहां शासन का यह भी कर्त्तव्य है कि वह उनको उचित मुआवजा दिलवाये और जल्दी दिलाये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आज उस क्षेत्र के यह किसान किस के रहम पर हैं? ईश्वर उनकी सहायता करे, कौन सहायता करे यही वे नहीं समझ पा रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए मुख्य मंत्री जी मेरे उस क्षेत्र के उस हिस्से पर गये थे। वहां उन्होंने एक स्टूडियो के लिये ५, १० हजार एकड़ जमीन किसानों की ली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको उसका उचित मुआविजा मिलेगा लेकिन उनकी जमीन को मनमाने ढंग पर मुआविजा न देकर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और आज तक उनके लिये किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जब उनकी उपजाऊ जमीन जिसके द्वारा वह रोजी चलाते थे उनसे छीन ली है तो भी मुआविजा बाजार रेट का जो कि १०, १५ रुपया वहां पर है, वह उनको फ़ौरन मिलना चाहिये।

वहां के किसानों की दशा यह है कि उनका नुकसान तो हुआ ही साथ ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिर गयी है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि दूसरे भाई उन किसानों के बच्चों से शादी करना नहीं चाहते। वह कहते हैं लड़की देंगे तो खायेगी क्या? होना यह चाहिये था कि शासन या तो उनको बदले में जमीन देता या कुल मुआविजा एक मुश्त फौरन देता जिससे वह फौरन किसी रोजगार में लग जाते। सरकार ने बगैर दफा ६ व ९ के नोटिस के जमीनें अपने कब्जे में ले ली हैं। न मुआविजे का सवाल है और किसान अपनी जमीन से बेदखल होकर अपने घर है। श्रीमन्, मैं यह मांग करूंगा कि संबंधितमंत्री तुरन्त ही किसी अधिकारी को नियुक्त करें ताकि वह उन जमीनों के बारे में जांच करे जो ली भी नहीं गयी हैं लेकिन उनके कब्जे से लेकर सरकार के कब्जे में आ गयी है। मेरे क्षेत्र में ७–८ साल हो गये हवाई अड्डे के लिये कुछ जमीन ली गयी थी लेकिन आज तक उनको मुआविजा नहीं दिया गया है। हर साल सरकार का बजट बनता है और पास होता रहता है लेकिन समझ में नहीं आता कि वह कौन सा बजट होगा जिसमें इन किसानों को मुआविजा दिया जायगा।

जहां तक अदालतों का प्रश्न है सब लोगों ने रेफरेन्स किये हैं लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है और न ही कोई आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से

[श्री ईश्वर दयाल]

उन किसानों की बहबूदी के लिये, माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि तुरन्त कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे उनके मुआविजे का पूरा हिसाब हो सके ।

गाजियाबाद के पास ही मेरे क्षेत्र के पास ३०–४० हजार आबादी वाला एक क्षेत्र माधोपुरी, सुन्दरपुरी गोशाला, भूड़ भारतनगर व पंजाब यार्ड के नाम से जाना जाता है लेकिन वहां के निवासियों को गाजियाबाद आने के लिये २–३ मील का चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पर कोई भी रेलवे क्रासिंग नहीं है । सरकार से बार-बार प्रार्थना की गयी, डेपुटेशन भी मिला लेकिन अभी तक भी कोई उसका प्रबन्ध नहीं हो पाया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भारत सरकार से किसी प्रकार से भी उस क्षेत्र के निवासियों के लिये रास्ते का कोई प्रबन्ध करें क्योंकि रेलवे क्रासिंग न होने के कारण वहां आये दिन दुर्घटनायें होती रही हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन काल में एक निर्णय हुआ था कि मुरादनगर से सुराना को एक सड़क निकाली जायगी लेकिन इस दिशा में अभी तक भी कोई कार्य नहीं हुआ है । कम से कम जो निर्णय पहले लिये जा चुके हैं उनकी तो पाबन्दी की जानी चाहिये थी और वह सड़क अब जल्द से जल्द बनायी जाय । इसके साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में एक सड़क भीकनपुर से भदौली, रेवड़ी, हुसेनपुर, नेकपुर, सुराना, ग्यासपुर होती हुई पतला तक इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बना दी जाय तो पचासियों गांव जो मेरे क्षेत्र में पड़ते है वहां के कृषक पास की मंडियों में अपना माल ले जाकर बेच सकें । इस सड़क के न होने से वहां के किसान अपना गन्ना भी फैक्ट्रियों में नहीं ले जा सकते हैं । नतीजा यह होता है कि वे अपने माल को औने पौने दामों में बेचते है और खरीद फरोख्त करते हैं ।

दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि उस क्षेत्र में जो गाजियाबाद दिल्ली के पास पड़ता है, इतनी जमीन लिये जाने के बाद भी वहां पर एक भी डिस्पेंसरी नहीं है । चूंकि प्रदेश में ७०० डिस्पेंसरी ऐसी हैं जहां पर डाक्टर लोग नहीं हैं और इनमें से लगभग ४०० महिलाओं की डिस्पेंसरी हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि इस प्रदेश के लिये । इसलिये इन परेशानियों से बचने के लिये, प्रतीत होता है, कोई डिस्पेंसरी सरकार द्वारा इसमें नहीं खोली जा रही है । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उस क्षेत्र में जहां के किसान बेकार हो गये है, और जहां की आबादी ५,००० से ऊपर हो, उसमें कम से कम एक डिस्पेंसरी अवश्य खोली जाय जिससे वहां के निवासी फायदा उठा सकें और उन लोगों को कुछ राहत मिल सके ।

जहां तक नहरों की सफाई का प्रश्न है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी नहरों के हिस्से पड़ते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में तो उनकी सफाई हुआ करती थी लेकिन इस २०–२२ साल में आजादी के बाद कोई सफाई नहीं हुई है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि मेरे क्षेत्र में जो बहुत उम्दा जमीने थी, बहुत उपजाऊ थी, वे आज बन्जर के रुप में परिणत हो गयी है । जब पहले उनकी सफाई हुआ करती थी तो न मालूम अब क्यों नहीं हो पाती है । मैं संबंधित मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों, रजबहों और नालों की तुरन्त सफाई करा दें और समय पर पानी को जारी रखने का प्रबन्ध करें ताकि किसानों की फसल न सूख सके । आज जबकि सरकार यह कहती है कि अधिक अन्न उपजाओं, जहां अधिक अन्न उपजाया जाता है, वह जमीन जरा सी लापरवाही से बेकार पड़ी रहती है । इससे अधिक बे समझदारी की बात और क्या हो सकती है ?

मेरे क्षेत्र में एक समस्या यह है कि सबसे बड़ी गंगा नहर जिससे लाखों गैलन पानी निकलता है उसकी पटरी डिडौली ग्राम के पास कई साल से कटी हुई है और ५, ६ साल से पानी गांव की ओर बराबर बह रहा है लेकिन बावजूद अधिकारियों से मिलने के वह ठीक नहीं हुई है और एस० ई० ने कहा कि बजट में इसके लिये रुपया नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसे आवश्यक

कार्यों के लिये बजट में पैसा नहीं है तो फिर किस कार्य के लिये यह पैसा है और जो पैसा रखा जाता है बजट में वह कहां खर्च होगा ?

हमारी सरकार की एक स्कीम थी एग्रिकल्चरल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के जरिये ट्रैक्टर किसानों को सप्लाई किये जायेंगे । कुछ दिन हुये उन्होंने सप्लाई शुरू भी की है । लखनऊ आफिस से हजारों लैटर ऐसे गये कि तुम्हारा नम्बर ट्रैक्टर का आ गया है और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन आफिसर से बात कर लो । लेकिन जब किसान उसके पास गया तो किसान से कहा गया कि हम से वह अधिकार छीन लिया गया, हम तो केवल खाद बेचेंगे । तुम लोग लखनऊ जाओ । मेरे क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों के बहुत से किसान ऐसे एलाटमेंट लेटर लिये इधर उधर घूमते फिरते हैं. कोई सुनने वाला नहीं है । अगर किसानों को सही सूचना दे दी जाय कि उसका नम्बर कब आयेगा तो फिर वह दफ्तरों में इधर उधर मारा मारा न फिरे और भ्रष्टाचार का शिकार भी न हो जो कि दफ्तरों में फैला हुआ है ।

पहले यह आश्वासन दिया गया था कि उधार पर ट्रैक्टर दिया जायगा लेकिन इंडस्ट्रियल कारपोरेशन वाले अब कहते हैं कि उधार नहीं नकद रुपये पर दिया जायगा । यह योजना गरीब किसानों के लिये बनाई गयी थी, जो कि नकद रुपया नहीं दे सकता है । जहां तक सवाल लैण्ड डेवलपमेंट बैंक का या दूसरे बैंकों का है वह जमीन और ट्रैक्टर दोनों मार्गेज कर लेते हैं और साल भर में रुपया मांगते हैं । लिहाजा ऐसी प्रक्रिया सरकार बनाये जिससे किसान को वास्तव में सुविधा मिले और किसान भी महसूस करे कि उसे सरकार की ओर से सुविधा मिल रही है । लेकिन बरअसल सुविधाओं का ढोल तो पीटा जा रहा है लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है । मैं यह बजट किसान विरोधी समझता हूं और इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन एक रुपया भी इस बजट के लिये नहीं देगा ।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं देख रहा हूं कि बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है लेकिन सम्मानित मंत्री सभी गायब हैं सिवा एक माननीय मंत्राणी के यह क्या उचित है ? मेरा मतलब यह है कि अनेक विषयों पर सदस्य प्रकाश डाल रहे हैं इसलिये अधिकांश मंत्रियों का यहां रहना आवश्यक है परन्तु केवल एक मंत्राणी यहां पर विद्यमान है । तो क्या यह बहस चल सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

बहस चलने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्री यहां जरूर रहें या ऐसी व्यवस्था करें कि दो, एक मंत्री रहें जिससे सवालों का उत्तर दे सकें । यह औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न है । मान लीजिये मंत्री नहीं हैं और सदन में शासन के लोग कम सजग हैं तो यह विरोधी पक्ष के अनुकूल व्यवस्था है या प्रतिकूल ?

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग तो इस सदन में पहले पहल आये है लेकिन यहां जो कुछ वातावरण मैंने देखा उससे मुझे कुछ निराशा हुई इसलिये कि बजाय इसके कि जो बजट वित्तमंत्री जी ने रखा है उस पर कोई विशेष रूप से चर्चा कर सकें हमने पाया कि ज्यादातर यहां कीचड़ उछालने की कोशिश ही की गयी है जो इस हाउस की परम्परा और डिगनिटी के खिलाफ है । बड़ी लम्बी चौड़ी बातें भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरों की, इन-एफिशन्सी और गवर्नमेंट में धांधलेबाजी की कहीं गयीं । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि आज देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जिस एफिशेन्सी के साथ हमारी जन संस्थाओं को काम करना चाहिये उस एफिशेन्सी से वह नहीं कर रही है लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी केवल सरकारी पक्ष की ओर बैठे हुये विधायकों की ही है ? यह जिम्मेदारी इस देश के तमाम लोगों की है और उनका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के जीवन और मेंटल सेट-अप को ऊंचा करें ।

[श्री राजमंगल पांडेय]

अष्टाचार का नारा लगाते लगाते यह हालत हो गयी है कि आज उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। गांव के किसान आज हर तरह की कुरबानी करने को तैयार रहते हैं लेकिन जब उनको कुछ देने की बात होती है तो उसमें वह महरूम रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि देश में एक वर्ग संघर्ष पैदा हो गया है। हमने समाजवाद का नारा लगाया था और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी। वह बात तो दूर रही और आज एक सब क्लास का ऐसा वारफेयर शुरू हो गया है जिसको मिटाना मुश्किल हो गया है। यह यहीं की समस्या नहीं है, आज सारे विश्व में अवांछनीय तत्व सिर उठा रहे है और कानून का उल्लंघन करने में ही हर इन्सान फख्र समझता है। हम सभी का यह कर्त्तव्य है कि सबको समान अधिकार दिलायें और सभी को समान रोजी मिल सके। हाउस में तो लम्बी चौड़ी तकरीरें दी जाती है लेकिन वही सदस्य जब बाहर जाते हैं तो पार्टीबाजी के नारे लगाते हैं। मैं देवरिया का उदाहरण देता हूं। आज एक पार्टी जो आपोजीशन में बहुमत में है उसके देवरिया से काफी लोग इस बिना पर चुन कर आये क्योंकि वहां यह प्रचार किया गया कि जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो किसानों को १८ रुपये कुन्टल गन्ने का दाम दिलाया जायगा, वे अपनी पुंजियों को सुरक्षित रखे हुये हैं लेकिन इन ५ सालों में तो उनको १८ रुपये मिलने वाले नहीं है। इतना ही नहीं श्रीमन्, दुनिया के अन्य देशों में अराजकता के तत्व किस तरह से उभर रहे हैं। अमरीका जैसे सभ्य देश में भी जिसको डेमोक्रेसी पर बड़ा घमंड है वहां भी कैसी चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं कल मैंने अखबार में पढ़ा कि इंगलैण्ड में जब इंटेग्रिटी ऐक्ट पास हुआ तो इंगलैण्ड की महिलाओं ने लोगों को अपने देश में बसाने के लिये शादी की और बाद में उनको छोड़ दिया और ५०-५० स्टर्लिंग उन्होंने लिये इस तरह से दूसरे देशों में भी नैतिक स्तर गिर रहा है। इसके लिये केवल हिन्दुस्तान ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि यह सारे विश्व की समस्यायें हैं और इनको हमको और आपको मिलकर सोचना होगा।

विद्यार्थियों के असंतोष की समस्या विश्व के सारे देश जैसे इंडोनेशिया, मलाया, अमेरिका और जर्मनी वगैरह में भी है। इन समस्याओं को एक पार्टी से कनफाइन करने से काम नहीं चलेगा बल्कि देश के सारे नुमायन्दों को गहराई में जाना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जिससे देश का भला हो सके।

श्रीमन्, जिला परिषद् का ५-६ साल के अध्यक्ष होने के नाते मुझे अनुभव है कि प्लानिंग और कम्यूनिटी डेवलपमेंट के काम में आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अफसरों के मुकाबले में अन्य लोगों का परफार्मेंस अच्छा रहा। उनका प्रैक्टीकल फील्ड में काम करने का तरीका जनता से मिलने का था। लेकिन जब से आपके आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के डी०पी०ओ० और कमिश्नर वगैरा गये तो हमने महसूस किया कि वे अपनी साहबी भावना को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं उन प्रमुख लोगों से कहना चाहूंगा जिनके विचार से सरकार चलती है कि प्लानिंग में एक काडर बनायें जिसमें आई० ए० एस०, पी० सी० एस० न होकर ऐसे ईमानदार लोग हों जो नीचे से लेकर ऊपर तक जनता के बीच में जा सकें और उनकी समस्याओं को समझ सकें। इसमें जो काडर बनाया गया है उसमें तीन कैटेगरीज कर दी गई हैं। नतीजा यह है कि अगर किसी बी० डी० ओ० की दो एंट्री अच्छी है और एक किसी अफसर की नाराजगी की वजह से खराब हो गई तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। उनकी तरक्की इस पर निर्भर न हो किसी अफसर ने लिख दिया कि यह हमको इम्प्रेस नहीं कर सका। बल्कि इनकी तरक्की उनकी योग्यता और जन सम्पर्क पर होनी चाहिये।

इसमें दो रायें नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। जहां हमारी आमदनी बढ़ी है वहां जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ लाभ प्रतीत नहीं हुआ है। इस चीज को रोकने के लिये फेमिली प्लानिंग किया गया है। यह मानी हुई बात है कि दुनिया के अन्य देशों ने जहां अपनी पैदावार बढ़ाई है वहां जनसंख्या को रोकने के लिये फेमिली प्लानिंग का आधार लिया है।

लेकिन विरोधी दल के लोग इस पर अजीब अजीब बात कहते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हमको ऐसे काम करने हैं जिससे आमदनी बढ़े और आमदनी तभी बढ़ सकती है जब साधन बढ़ें और साधन तभी बढ़ सकते हैं जब काम करने के घंटे बढ़ें और योग्यता के अनुसार लोगों को काम पर लगाया जाय। साथ ही साथ अयोग्य लोगों की योग्यता की ट्रेनिंग दी जाय। आज विरोधी पक्ष के लोग हर किस्म की बात करते है लेकिन जब बाहर जाते है तो मंच से ऐसी ऐसी बातें करते है जिससे खाई पैदा होती है। विरोधी पक्ष को जब ऐडमिनिस्ट्रेशन का मौका मिला तो अपनी जाति के लोगों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर रखा दिया और विरोधी पक्ष में बैठ कर ऐसी बात करते है जैसे जाति वाद के नारे की सारी जिम्मेदारी माननीय चन्द्र भानु गुप्त और उनके साथियों पर हो।

मैं माननीय वित्त मंत्री का एक तरह से आदर करना चाहता हूं कि उन्होंने सीमित पूंजी में बजट को बढ़ा कर ९९१ करोड़ कर दिया। मैं गुप्ता जी का भी आदर करना चाहता हूं कि उनको डिवीजिबुल पूल से पैसा नहीं मिला, उन्होंने इनकम टैक्स के असेसीज से जितना मिला उसका ८० परसेंट खर्च करने के लिये तय किया और सेंट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड और फाइनेंस कमेटी ने भी मान लिया। ट्रांसफर के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गयीं, जब कि एस०बी०डी० की सरकार थी तो एक-एक आदमी का पांच पांच जगह ट्रांसफर होता था। वही इंसान दूसरी बेंचों पर बैठ कर ट्रांसफर की बात करते हैं। यह हास्यास्पद मालूम होता है।

ओल्ड एज पेंशन के बारे में पहले एक तरीके से विधेयक भी आया था। इसमें जो प्राविजन किया गया है वह बहुत कम है। इसकी रकम बढ़ा देनी चाहिये। वे तमाम व्यक्ति जिनकी ६५ वर्ष की आयु है और जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनके लिये कोई रकम निर्धारित करनी चाहिये।

फसल के लिये बीमा की बात कहना चाहता हूं। वह इस बजट में नहीं रखी गयी है। अगले बजट में फसल के बीमे की बात रखी जाय ताकि काश्तकार मुसीबतों से बच सके।

तीसरी चीज यह है कि इनकम पर सीलिंग हो। अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग इस बजट में नहीं है। आइन्दा आने वाले बजट में हो। जो कर देने वाले है वह कर दें ताकि समाजवादी व्यवस्था में ऊंच नीच की खाई पट सके।

अन्त में एक चीज और कहना चाहुंगा। कोई न कोई ऐसा प्राविजन किया जाय कि १८–२० लाख आदमी जो बेरोजगार है उनको सब्सिस्टेंस अलावेंस दिया जाय लेकिन इसके लिये जरूरी है कि हमारे विपक्ष के लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि जो आदमी कर दे रहे है उससे कर भार ज्यादा वहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब्सिस्टेंस अलावेंस दिया जा सके तो सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वित्त मंत्री ने सीमित साधनों के साथ जो-जो कदम उठाये है उनके लिये वह बधाई के पात्र है। सिंचाई और बिजली, खेती के ऊपर जो दो तिहाई बजट का हिस्सा खर्च किया है इसके लिये वह सराहना के पात्र है। पर्वतीय इलाके के लिये बोर्ड बनाया गया है। पूर्वी क्षेत्र जिसमें १५–१६ जिले आते है उनके लिय भी अगर कोई इस किस्म का बोर्ड बन जाता है और हम वहां की गरीबी को दूर कर सकते तो बहुत बड़ा जन कल्याण हो सकेगा। हमारे यहां पटेल आयोग आया। उसने हमारे यहां छोटी गंडक पर भटनी और नदावर घाट के दो पुलों को स्वीकार किया। लेकिन आज तक वे खटाई में पड़े हुये हैं। देवरिया जिले के एक तिहाई भाग में बरसात के महीने में कोई पहुंच नहीं सकता। उन पुलों का बजट में प्राविधान होना चाहिये। पूर्वी जिलों के लिये और खास कर देवरिया जिले के लिये जो सड़कों के लिये धन रखा गया है वह नहीं के बराबर है। वहां के सड़कों की हालत बहुत खराब है। इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय ताकि देवरिया जिला जो सबसे गरीब जिला है वह तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सके।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री भानुप्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

श्रीमन, सुबह से जनसंघ पार्टी के एक ही व्यक्ति को आपने बोलने का मौका दिया है। बी०के०डी० के बाद नम्बर जनसंघ का है, उसको मौका दिया जाना चाहिये, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं इसके बाद हमारे दल का नम्बर है। आप हमें मौका दें। आप शायद भूल से ऐसा कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वतन्त्र पार्टी का अभी कोई नहीं बोला है। इसलिए एक दल विशेष के सदस्य को मैंने मौका दिया। वैसे तो बी० के० डी० और जनसंघ बड़े दल हैं ही उनको तो जैसे उनके नाम आये हैं उन्हें समय मिलेगा। किन्तु माननीय सदस्य एक दल से सम्बद्ध रह ह तथा नता के, इसलिये मैंने उनको समय दे दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, एक व्यवस्था, एक नीति यहां पर तय हो चुकी है अध्यक्ष के समक्ष कि इस क्रम से लोग बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

वह व्यवस्था नहीं समझौता था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

दुर्भाग्य से उस समय आप उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस स्ट्रेन्थ के साथ यहां पर सदस्य मौजूद हैं, इसी प्रकार से उनको बोलने का समय मिलना चाहिये। इधर से यदि यह आप कटौती करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये किसी ने क्या कहा, क्या तय किया, इससे मैं अपने निर्णयों को बदलता नहीं। मैं जैसा समझता हूं वैसा करता हूं। मैं जैसा उचित समझ रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। मेरी कुछ अपनी धारणायें हैं, मेरा दृष्टिकोण है। शासक दल है उसके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में पुलिस है और उनके हाथ में डंडा है, फिर भी मैं उनके ऊपर बोलने के बारे में अपना नियंत्रण रखता हूं। विरोधी पक्ष की वाणी कभी कभी स्वच्छन्द भी हो सकती है, जिसे मैं निभाता हूं। साथ ही साथ प्रति पक्ष से कौन बोला कौन नहीं बोला इसको नहीं उठाना चाहिये। मैं एक दृष्टि के तहत न्याय करने के लिये यहां पर बैठा हूं और मैं समझ रहा हूं कि वह व्यवस्था उचित रूप से चल रही है। कौन किस दल का है और कौन व्यक्ति है, इसे मैं ध्यान में नहीं रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं आपके इस निर्णय का विरोध करता हूं और आपकी व्यवस्था के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ १० मिनट के लिये सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी अपने दल के साथ सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपने जो निर्णय दिया है वह सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। आपने यह कहा कि विरोधी पक्ष के लोग स्वच्छन्द हो सकते हैं, उनकी वाणी स्वच्छन्द हो सकती है, यह बात सदन और सदस्यों की मर्यादा को देखते हुये बरदाश्त करने के योग्य नहीं है। यह आपने अच्छा नहीं कहा है।

(व्यवधान)

यह सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी बात का आप से ज्यादा आप का समर्थक हूं। मैं अपने दृष्टिकोण का विश्लेषण कर रहा था। मैंने कहा था कि विरोध पक्ष के लोग अगर अधिक भी बोलते हैं, कुछ असंयत शब्दों में भी अपना विरोध प्रकट करते हैं तो निभाया जाता है। क्योंकि वे विरोध पक्ष के लोग हैं और उनको कहने का पूरा अधिकार है।

श्री रामधारी—

श्रीमन् की ओर से "स्वच्छन्द" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये मैंने ऐसा कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है, जो आप समझे हैं। मेरा कोई लांछन या आरोप नहीं है। मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं कि शासक दल को मैं बोलने के बारे में टोंकता हूं। देखिये, जब उन्होंने बी०के०डी० के नेता के ऊपर जरूरत से ज्यादा आपत्ति की तो तुरन्त ही मैंने रोका। मैंने कहा आप कह तो सकते हैं लेकिन आप बजट के ४ खूटों के अन्दर अपने को सीमित रखें। मैं कह रहा था कि शासक दल के ऊपर नियन्त्रण और आपका कोई बोल स्वच्छन्द भी हो तो मैं उसकी भी इजाजत देता हूं। इसीलिये कि आजादी के साथ भाषण करने के प्रति पक्ष की तरफ के हक को मैं मानता हूं। इसलिये आपको भ्रम है कि मैं आपके अधिकार में कुछ कमी कर रहा हूं असल में विस्तार हुआ है आपके अधिकार में।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही व्यापक विषय है और समय भी आप मुझे कम ही देंगे। इसलिये बजट के एक पहलू, कृषि और कृषकों से उसका क्या संबंध है और वह कैसा होना चाहिये इतने तक ही अपने को सीमित रखूंगा। यह जरूर है प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट का एक दिवालिया और कर्जदार हुकूमत के बजट जैसा स्वरूप है। दिवालिया मैं इसलिये कह रहा हूं कि ९२३ करोड़ रुपया इस उत्तर प्रदेश की सरकार पर कर्जा हो चुका है। यह कर्जे की रकम इस सरकार की जो सालाना आमदनी है उसके लगभग ३ गुने के बराबर हो चुका है। इस कर्जे की रकम पर ६९–७० करोड़ रुपया केवल व्याज और किश्तों की अदायगी में देना पड़ता है। यह रकम केवल शिक्षा पर होने वाले व्यय को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। इतनी कर्जदारी के बावजूद भी जो सरकार अपने आमदनी से खर्चे का बजट ज्यादा बनाये उसको गैर जिम्मेदार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। श्रीमन् कोई व्यक्ति विशेष होता जिसकी ३ साल की आमदनी के बराबर उस पर कर्जा हो गया होता, जिसने दैनिक मजदूरी या वेतन का ५वां हिस्सा कर्ज की सूद की अदायगी में लगाया होता तो वह कभी का दिवालिया घोषित कर दिया जाता और अगर फिर भी वह अपनी दैनिक आमदनी से खर्च का ज्यादा बजट बनाता है तो उसको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। सरकार के लिये सम्भव है कि यह बात न लागू हो। लेकिन हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से घाटे की अर्थ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

व्यवस्था का दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। कई बार केन्द्रीय सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने भी इस बात को माना कि घाटे की अर्थ व्यवस्था विशेषकर देश की गरीब जनता के लिये सबसे अहितकर सिद्ध हुई है और किस प्रकार से भाव इसके कारण बढ़े हैं इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

श्रीमन्, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बजट का आधार इस आशा पर निर्भर है कि कृषि के मामले में हमने और हमारे प्रदेश ने काफी उन्नति हासिल कर ली है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि सन् १९६८-६९ में, सन् १९६७-६८ की अपेक्षा अधिक पैदावार हुई है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि अकेले पांच वर्षों में चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में खाद्यान्न का उत्पादन औसतन ७ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ेगा। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दोनों बातें अपनी जगह पर गलत हैं। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो वह आशा व्यक्त भी कर सकते हैं लेकिन मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वह वक्तव्य उनका कि ६८-६९ के खाद्यान्नों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, गलत है और इस बात की तरफ जब वित्त मंत्री अपने भाषण में कहते हैं तो बाहर की दुनिया समझती है कि बढ़ा है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पैदावार का जो पिछले साल का रिकार्ड था उससे भी इस साल ज्यादे हुआ। आगे ७ परसेंट प्रतिवर्ष और हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैसे होगा। क्या माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने कृषि मंत्री से पूछा कि वास्तव में ६८-६९ में पैदावार बढ़ी है या नहीं और अगर नहीं बढ़ी है तो कम से कम एक वक्तव्य देकर इस भ्रम को दूर कर दें। जहां तक भविष्य की बात है, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५६-५७, ५७-५८, ५८-५९ इन तीन वर्षों के औसत की तुलना अगर ६६-६७, ६७-६८ और ६८-६९ के औसत से की जाय तो यह मालूम होगा कि उत्पादन वृद्धि ढाई प्रतिशत भी नहीं हुई है। जब पिछले १० वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन ढाई प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है तो किस तरह से एकाएक इस पंचवर्षीय योजना में ७ प्रतिशत वृद्धि की आशा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी नयी बात हुई कि जो आप पिछले १० वर्षों में नहीं कर सके थे यानी जिस तेजी से उत्तर प्रदेश पिछले १० वर्षों में अपना कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा सका, वह कौन सा नया आविष्कार आपने किया, कौन सा नया प्रोत्साहन किसानों को दिया है जिससे आप आशा करते हैं कि ७ प्रतिशत उत्पादन बढ़ जायेगा। सम्भव है कि आप उत्तर दें कि नये बीजों का आविष्कार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि नये बीज नये आविष्कार की जहां तक बात है उसकी वजह से होने वाले उत्पादन वृद्धि की आशा बहुत जल्दी निराशा में परिवर्तित होने वाली है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक नये बीज के आविष्कार की बात है, पहले भी ऐसे बीज थे जिनकी क्षमता थी कि वे ३०-४० मन प्रति एकड़ उत्पादन दे सकते थे परन्तु जिस समय ३०-४० मन प्रति एकड़ उत्पादन की क्षमता थी उस समय भी १०-१२ मन फी एकड़ यानी एक तिहाई से ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ी। जबतक वे कारण जिन कारणों से उत्पादन क्षमता एक तिहाई से अधिक पैदावार नहीं बढ़ी, वे कारण दूर नहीं होंगे तब तक यह आशा करना कि अच्छे बीजो की वजह से एकदम से आपके पैदावार की रफ़्तार बढ़ कर तिगुनी हो जायेगी, मैं समझता हूं कि यह गलत है।

श्रीमन्, कृषि क्रान्ति की बड़ी चर्चा है, सरकार की तरफ से बहुत प्रचार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि की उन्नति के लिये और कृषकों के लिये यह प्रचार एक बहुत बड़ा बाधक है। इसकी वजह से एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जो सिवा बकवास के कुछ नहीं मालूम होता है कि हर तरह के अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि सिवा गेहूं की पैदावार बढ़ने के और किसी अनाज की पैदावार नहीं बढ़ी है। मैं कहता हूं कि आप अपने सर्वोच्च अधिकारी से पूछ लें कि क्या ६८-६९ में पैदावार बढ़ी है?

श्रीमन्, दूसरा प्रचार जो सरकार की तरफ से होता है वह यह है कि कृषि को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता के संबंध में मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो जायेगा कि यह सरकार जो कुछ कहती है, व्यवहार ठीक उसके उल्टा ही

होता है। लाखों किसानों ने उत्तर प्रदेश में अपने नलकूप लगाये हैं जिनके लिये बिजली की जरुरत है। लेकिन बिजली की सप्लाई की क्या स्थिति है। पूरी बिजली जो उत्तर प्रदेश में प्रयोग में आती है उसमें किसानों का भाग निरन्तर घटता गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि टोटल में कमी हुई है लेकिन जितनी कुल बिजली खपत में आती है उत्तर प्रदेश में, उसमें सिंचाई के लिये जो प्रयोग में आती है उसका प्रतिशत निरन्तर साल व साल गिरता गया है। इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ६१–६२ में २०.९ प्रतिशत, ६२–६३ में १४.६ प्रतिशत, ६३–६४ में १३ प्रतिशत, ६४–६५ में १२.८ प्रतिशत और ६५–६६ में केवल १२ प्रतिशत बिजली सिंचाई के काम आ सकी है। यह पुस्तिका है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। उसके बाद के आंकड़े इसमें नहीं हैं। यदि यही गति रही होगी तो मेरा अनुमान है कि इस उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये ८ प्रतिशत से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती। जब यह हालत है तो प्राथमिकता किस प्रकार से किसानों को दी जाती है?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कृषि के ऊपर बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। मैंने उन धनराशियों को बजट के अन्दर देखने की कोशिश की। इसमें शक नहीं है कि कृषि के हैड के अन्दर बहुत सारी और चीजें हैं जिनको मैं वास्तविक कृषि से संबंधित नहीं समझता हूं। दो प्रकार के खर्चे अगर निकाल दिये जांय तो देखें कितनी धनराशि शेष रहती है। एक तो वह खर्चा है जो वाणिज्य योजनाओं के लिये हैं। जितनी बड़ी सिंचाई की योजनायें हुई हैं वे सब वाणिज्य योजनायें मानी जानी हैं। यदि सरकार का प्रशासन ठीक हो और भ्रष्टाचार न हो, जो ठेकेदार और बड़े अफसर खा जाते हैं वह न हो, जो किसानों को पानी न मिलने के कारण परेशानी होती है, उत्पीड़न किया जाता है वह न हो और उनको पानी मिलने लगे तो ये सारी योजनायें लाभप्रद हो सकती हैं। इन योजनाओं को लाभप्रद कहकर ही इंजीनियरों ने शुरु में पास कराया था। वे सब मुनाफे की योजनायें थीं लेकिन अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसान पानी नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग तो नदी से भी ५ रुपया घंटा पानी लेने के लिये तैयार हैं लेकिन इनकी योजनाओं से वे सब किसान २ रुपये घंटे पर भी तैयार नहीं ह। वे डरते हैं, पता नहीं कि कितना पैसा और देना होगा। एक गांव में सरकारी नलकूप है। उस नलकूप से गांव वाले पानी नहीं लेते हैं। मैंने पूछा कि तुम लोग इससे पानी क्यों नहीं लेते हो तो उन्होंने बताया कि साहब क्या बतायें इतना भ्रष्टाचार है कि हम सब डरते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वाणिज्य योजनायें जिनको लाभप्रद होना चाहिये था वह लाभप्रद नहीं है। उनके खर्चे को निकाल दिया जाय। फिर कुछ ऐसी योजनायें हैं शहरों के अन्दर मत्स्य पालन वगैरह की जो किसानों के हित में मैं नहीं समझता हूं। यह केवल इस तरह की योजनायें हैं जो गांवों से प्रोटीन की मात्रा निकाल कर शहरों तक पहुंचाने की योजना है। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट का खर्चा है, कोआपरेशन का है, पंचायतराज का है। इतने लोग यहां पर बैठे हैं उनमें से प्रत्येक इस बात को जानता है कि सारी सरकारी योजनायें विफल हो चुकी हैं।। उनसे जो वान्छित फल मिलने की आशा थी वह नहीं मिला है जिसको स्वीकार किया जा चुका है लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी धन राशि खर्च हो रही है लेकिन फल इतना ही हो रहा है कि भ्रष्टाचार का नया रूप लेकर वह गांवों में प्रवेश कर रही है और उससे आपसी कलह बढ़ रहा है। तो इन रकमों को निकाल दिया जाय तो कितनी रकम आती है यह देखने की बात है। कुल रकम कृषि पर २० करोड़ रखी गई है। अगर पूंजीगत व्यय को देखें तो यह पायेंगे कि खाद, यन्त्र और बीज पर १२ करोड़ रुपया सरकार को लाभ भी है। २० करोड़ में से अगर इस १२ करोड़ को दिया जाय तो ८ करोड़ रुपया कृषि के लिये बचा। फिर उसमें से २ करोड़ रुपया का फायदा और सरकार को होता है जो ये छोटी मोटी योजनायें हैं इनसे तो अन्त में केवल नेट ६ करोड़ रुपया ज्यादा नहीं आता है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सरकार यहां पर आई है तब से उद्योगपतियों के लिये कितनी रियायतें दी गई हैं। बिजली सस्ती दर पर, फैक्ट्री की इमारत बनाने के लिये जमीन सस्ती दर पर, कर्जा सस्ती दर पर, सेल्स टैक्स उनसे नहीं लिया जायगा जो माल वह

[श्री भानुप्रतापसिंह]

पैदा करेंगे। जो वह रा मैटीरियल इस्तेमाल करेंगे उससे भी एग्जम्पशन। एक पावर कमीशन बन रहा है जिससे उन चीनी और कपड़े के मिलों को सहायता की जायगी जो अलाभप्रद है। मैं नहीं समझता हूं कि एक समाजवादी सरकार को इन अलाभकारी चीनी मिलें को खड़ा करके रखने की क्या आवश्यकता है। और एक रियायत एक हाई पावर कमेटी बनी है जो कि उद्योग के क्षेत्र में जो कुछ भी कठिनाई आये उसका तुरन्त निराकरण करेगी। आज सहूलियतें उनको आपने दीं, मुझे एतराज नहीं है अगर उद्योग बढ़ता है। लेकिन कौन सी एक सहूलियत या रियायतें आपने किसानों के लिए की। यह जरूर है कि संविद सरकार ने कुछ बिजली के कनेक्शन में कड़ाई की थी तो पहले की हालत आपने रेस्टोर कर दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसी बात के अलावा इस सरकार ने किसानों को कौन सी सहूलियत पिछले ५ महीने में दी है जब कि ८-८ रियायतें उद्योगपतियों के लिये आपने दीं? तो व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिये और किसानों के लिये आपका भिन्न-भिन्न रवैया है और अब सीधा-साधा किसान भी पहिचान गया है इस सरकार को कि यह किस की सरकार है। अब किसानों को भूमिधर बनने के लिये १० गुने के बजाय २० गुना देना पड़ेगा और इस बात की भी तैयारियां हो रही हैं कि उनकी मालगुजारी पर बढ़ोत्तरी कर दी जाय, अधिभार लगा दिया जाय, २० से लेकर २०० फीसदी तक। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब समय बदल गया है, अब सरकार को काफी सोच-विचार कर साहस करना चाहिए, इससे अधिक इस अवसर पर नहीं कहूंगा।

अ[illegible] में निवेदन करूंगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में आज एक नयी स्थिति उत्पन्न हुई है और वह है व्याप्त भ्रष्टाचार। प्रशासन के ऊपर के तो आंकड़े बताये गये कि इतनी जिला मैजिस्ट्रेट को और इतनी बड़े बड़े अधिकारियों को को सजायें दी जा रही हैं, या जांच हो रही है, लेकिन मैं यह बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई दाखिल-खारिज का मुकदमा हो जो पूरा होता हो बिना घूस दिये हुए रेवेन्यू कर्मचारियों को, साथ ही कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में ली जाती हो बिना दीवान और मुंशी को रकम अदा किये हुए और कम से कम जो अनुदान यह सरकार स्वीकार करती है वह ब्लाक आफिसर से बिना प्रतिशत अदा किये हुए नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति, मंत्रियों समेत अपने दिल में जानता है कि यह सही है। हमारे, आपके लिए सबके लिये शर्म की बात है और हमारे इर्सेंसिटिव और कैलस होने का एक उदाहरण है कि आज जो लोग जनता का शासन कर रहें हैं, आपकी सरकार को बदनाम कर रहें हैं उनके ऊपर आप कोई कदम नहीं उठा रहें हैं। उदाहरण देकर बताना चाहता हूं (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

एक बी० डी० ओ० है। मैं न तो व्यक्तिगत सिफारिश करता हूं और न आलोचना, लेकिन आज एक बात कही कर्णपाल जी ने। उन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है, उनको नहीं मालूम है। उन्होंने, चौधरी चरण सिंह उधर से इधर आकर बैठतें हैं तो उसको भ्रष्टाचार कह दिया। अगर यह भ्रष्टाचार है, उचित या अनुचित है यह मैं चौधरी साहब को सक्षम समझता हूं बताने के लिये, मैं सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन इधर से जब उधर लोग जाते हैं तो उनको आप सहर्ष स्वागत क्यों देना चाहते हैं। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो उनका आपके यहां स्वागत किया जाता है।

एक बी०डी०ओ० की हिम्मत तो यहां तक बढ़ गयी कि उसने खुलेआम कह दिया कि ले आओ ५०० रुपया, तुमको ट्यूबवेल मिल जायेगा। इस तरह की शिकायतें सुनते-सुनते मैं थक गया। फिर एक दिन ब्लाक प्रमुख मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि उसने तो आज मुझे गुन्डा कह दिया और तमाम गालियां सरेआम दीं। फिर मैं उनको लेकर लखनऊ आया। वहां के जिला परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य ४ आदमी भी आये जो सब मुख्य मंत्री जी से मिले। मुख्य मंत्री ने कहा कि लिखकर शिकायत दो। लिखकर उनको एप्लीकेशन दी गयी, उस पर उन्होंने सही फैसला लिया। उन्होंने उस पर तुरन्त जांच

करने के लिए आदेश दिये और यह भी आदेश दिये कि जांच के बीच उसका ट्रांस्फर कर दिया जाय। उसका ट्रांस्फर तो कर दिया गया, मगर जांच आज तक नहीं हुई। दो महीने बाद उसके कागज मेरे यहां पहुंचे। आज भी वह बी० डी० ओ० छुट्टी लेकर मजे से वहीं अपने निवास स्थान पर रह रहा है। मैं उसको जानता तक नहीं हूं, न मेरी उससे कोई दुश्मनी है, मगर भ्रष्टाचार की बात कही गयी, इसलिये मैंने यह उदाहरण आपके सामने रखा।

एक बात मैं भूमिहीनों के संबंध में कहना चाहता हूं। गांव समाज की ८० फीसदी भूमि जो सीलिंग के बाद निकली, जो भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी, वह आज तक नहीं मिली। उसका सही रूप से वितरण नहीं किया गया। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भूमिहीनों को वह जमीन नहीं दी गयी। एस०बी०डी० के समय में भी मैंने इस चीज को कहा था। आज भी कहता हूं। यह कहा गया कि इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, कानून में परिवर्तन करना होगा। अगर ऐसा करना है तो उसे करिये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समाजवादी बजट को हमारे सामने पेश किया है। हम सब जानते हैं कि यह नियोजन का युग है। प्रजातंत्र में किसी भी समाजवाद की स्थापना बिना नियोजन नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार हमको व्यय करने का अधिकार मिला हुआ है। माननीय चौधरी साहब से २५ साल से मेरी घनिष्टता रही है। उनका ५ घंटे तक यहां भाषण हुआ। पहले अखबारों में पढ़ा था कि जफरुल्ला खां तथा मेनन ६ घंटे तक बोले। चौधरी साहब ५ घंटे बोले। वे योग्य व्यक्ति तो हैं ही लेकिन उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यह हाउस ट्रांसफर की एजेंसी नहीं हो सकता। ट्रांसफर करने के लिए नियत हैं अधिकारी, ट्रांसफर करने के लिए नियत कमीशन बना हुआ है वे देखेंगे और हर आदमी यह सोचे कि ट्रांसफर की ही बात लेकर कहे तो सदन का समय बरबाद करना है। अगर समस्यायें न हों तो फिर सरकार की जरूरत क्या रह जाती है? बड़े बड़े आचार्यों ने यह कहा है कि कोई न कोई समस्या गवर्नमेंट में जरूर रहती है। यह कैसे हो सकता है कि समस्यायें न रहें? क्या रूस में समस्यायें नहीं रह गई हैं, क्या चीन में समस्यायें नहीं हैं और क्या युगोस्लाविया में समस्यायें नहीं रह गई हैं? अगर नहीं हैं तब भी कोई न कोई समस्या बनी रहेगी। क्या चौधरी जी ने जब अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और कई पार्टियों से मिलकर बनाई थी तो क्या उसमें समस्यायें नहीं थीं? लेकिन एक चीज हमें सोचनी है कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा। पांच साल के लिये पिछले माननीय सदस्यों ने हमें जिम्मेदारी दे दी है। यह प्रदेश समस्याओं का प्रदेश है। साढ़े सात या पौने आठ करोड़ की इसकी आबादी है और इन्होंने चार अरब अस्सी करोड़ का बजट पास किया था। इससे काम नहीं चलने वाला है। तब आपका बहुत हित था उस समय। तो हमको और आपको इस जनतंत्र व्यवस्था में समाजवाद भी लाना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद लाठी वाला और गोली वाला समाज तो है नहीं, जैसा कि माउत्सेतुंग ने कर दिया, च्यांग काई शेक को निकाल दिया गया। यहां तो एक-एक आदमी को समझाना है। यह जो कानून बन रहे हैं वह इतनी आबादी के लिए बन रहे हैं। यह जो कुछ हो रहा है यह जनहित में हो रहा है। अगर आप बजट की कापी देखें तो उसमें जनहित की बातें बहुत सी आई हैं।

अभी तो मैं नहीं कहता कि हम परफेक्ट हो गये हैं, ब्रह्मा हो गये हैं और छू-मंतर कर दिया। लेकिन कृषि के मामले में देखें। संविद सरकार के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जिसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

कि कांग्रेस के बहुत से लोग हारे, वह महंगाई का कारण था । अधिक मंहगाई थी और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की अनुशासनहीनता थी । तो कांग्रेस सरकार इन दो कारणों से नहीं बनी थी । संविद के लोगों ने सरकार बनाई थी तो उनका भी नतीजा आपने देख लिया । तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम संतुलित भावना से इस सूबे को बनाने की कोशिश करेंगे । अब खुद जनता दल बदलुओं के मारे बहुत परेशान हो चुकी है। जो आज इस गवर्नमेंट को और कल उस गवर्नमेंट को गिरा देते हैं । ऐसे व्यक्ति पार्टियों में घुस आये हैं । एक बार आपने कहा भी था कि एक पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर दूसरी पार्टी वाले अपनी पार्टी को छोड़ें तो किस किस हालत में छोड़ें और उसका फिर क्या परिणाम हो । तो मान्यवर, मैं आपसे क्या कहूं कि ये सोशलिस्टिक बजट इसलिये कहत ह कि इन्होंने एक दूसरा काम यह कर दिया कि दस एकड़ तक वालों को एक ही मेन्शन किया, उससे कम वालों को और ज्यादा वालों को भी लो । मैं समझा उसका मतलब कि कम वालों को रिजर्व बैंक से कर्जा दे रहे हैं। मान्यवर, आप भी तो पुराने आदमी हैं। यह सोशलिज्म नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नहीं सोकाल्ड सोशलिज्म है, इतना कहकर उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई । क्या यह सोशलिज्म की तरफ कदम नहीं था? सीलिंग की गई हैं, मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है जिन्हें बड़े बड़े आदमी ही चला रहे थे, सारी उनकी मोनोपली थी । तो क्या जो राष्ट्रीयकरण किया गया यह सोशलिज्म नहीं है ? यह सोशलिज्म हिटलर और मास्रोत्सेतुंग की सोशलिज्म की तरह तो हो नहीं सकता कि कत्ले आम हो गया । वह सोशलिज्म यहां का तो है नहीं ।

मान्यवर, आप भी उसमें विश्वास करते हैं जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है । प्रजातांत्रिक समाजवाद की किस तरह स्थापना होती है । बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है इसको । यहां सदन के माननीय सदस्य बड़े योग्य व्यक्ति हैं वे सब जानते हैं कि धीरे धीरे जो कर रहे हैं यह आज के युग में नहीं है । आपको यह तो मालूम ही है कि हम लोगों को विरासत में क्या मिला है । आप तो जानते ही हैं कि आपको मूर्तियों को हटाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था । जब आप यह जानते हैं तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं ? मैं तो इस राय का हो गया हूं कि हम सब बैठकर गम्भीरता से इस बात पर विचार करें । चौधरी साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही, बजट का साहित्य बहुत क्लिष्ट कर दिया गया है । अंग्रेजी समझ में आ जाती है लेकिन हिन्दी समझ में नहीं आती है । डिक्शनरी ले गया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया । एक बात और है । एक काम बहुत बढ़िया हुआ है । पटेल आयोग ने पूर्वी जिलों के लिये कुछ काम किया लेकिन पहाड़ों में जो डिवीजनवाइज परिषदों की स्थापना की गयी है उस प्रकार की परिषदों की स्थापना यहां भी कर दी जाय तो बहुत लाभ होगा, बताइये और सोशलिज्म क्या होता है ? एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और ब्लाक के मेंबरों की राय ली जाती है, फिर सोशलिज्म और भला क्या होता है ? सोशलिस्टिक स्टेट और कम्युनिस्ट स्टेट में क्या समस्यायें नहीं होतीं ? अगर समस्यायें नहीं होंगी तो फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। एक तरफ तो आप अमेरिका को केपिटलिस्ट बताते हैं लेकिन दूसरी ओर वह चन्द्रमा तक पहुंच गया । इसलिये एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करने से काम नहीं चलेगा । मैं यह नहीं मानता कि कोई आफीसर बड़ा बेईमान है । मैं यह मानता हूं कि कहीं गड़बड़ी हो सकती है लेकिन यहां तो चारों तरफ भ्रष्टाचार या बेईमानी की बात कही जाती है, ट्रांसफर की बात कही जाती है । क्या इसी से सारा सुधार हो जायगा ? आप किसी को बेईमान कहते रहें तो अगर वह बेईमान नहीं भी होगा तो हो जायगा और किसी को कोई ईमानदार कहता रहे तो वह एक दिन ईमानदार ही हो जायगा । भाव से ही तो सब कुछ होता है । भावना को आप बिगाड़ देते हैं । आप कहते हैं कि इस बेईमान आफीसर का ट्रांसफर करो । वह जायगा तो दूसरा भला आयेगा । क्या वह फरिश्ता होगा । वह आयेगा तो सोचेगा इसने २७ हजार रुपये खाये तो मैं ९० हजार तो खा लूं । इसलिये इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा ।

एक बात हमारे भाई साहब ने कही । भानुप्रताप सिंह जी पहले तो स्वतंत्र पार्टी में थे, अब पता नहीं किस पार्टी में हैं । वह कहते हैं कि कृषि की कोई उन्नति ही नहीं हुई । सभी जानते हैं कि कृषि में कितनी उन्नति हुई है। एक बात यह है कि बड़े बड़े आफीसरों ने बड़ा फायदा उठाया है। उनके ऊपर बड़ा बकाया है । पी०ए०सी० में कोनार साहब ए०जी० थे। उन्होंने बताया कि आपके यहां के ऐसे-ऐसे बड़े आफीसर्स हैं, इनके ऊपर इतना रुपया बकाया है। ट्रैक्टरों के दाम, जमीन के दाम उन पर बकाया है। वित्त मंत्री जी इसके लिये हाई पावर कमेटी बैठायें जो इस प्रकार के आफीसरों को पकड़े । छोटे आफीसर पकड़े जाते हैं, बड़े रह जाते हैं ।

हमारे प्रदेश में सूखे का चार साल से प्रकोप रहा । लेकिन इस बीच बड़ा अच्छा काम हुआ चाहे वह सिंचाई विभाग का कार्य हो या लोकल सेल्फ का, लेकिन यह सब को पता है कि कोई काम बिना पानी के नहीं पड़ा रहा है। आप भी जानते हैं । आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े कर्मठ लोग हैं । चाहे हम किसी दल के हों, जब हम सदन में बैठें तो भूल जायं कि हम किस दल के हैं। हमें सरकार को मजबूत करना है, जितनी सरकार मजबूत होगी उतना ही प्रदेश आगे बढ़ेगा । आप क्यों भूल जाते हैं कि दूसरे सूबों में तरह तरह की सरकारें हैं, यहां कोई प्राब्लम नहीं है। बिहार में अभी हमारे साथ चुनाव हुआ था और वहां अभी तक ४ गवर्नमेंट बदल चुकी हैं और अब गवर्नर शासन चल रहा है। इस तरह से काम नहीं चलेगा । आप सबको मिलकर सदन में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देने चाहिये कि हम किस तरह से सूबे का सुधार करें। हमारा सूबा उद्योग में पिछड़ा है, हम अपने यहां उद्योग को कैसे आगे बढायें । सरकार ने इस कार्य के लिये रुपये दिये हैं लेकिन इतने रुपये से काम नहीं चलेगा । घरेलू उद्योगों पर काफी रुपया लगना चाहिये । कोआपरेटिव को भी प्रोत्साहन देना चाहिये इसके अलावा रोज जो डकैती और सरेआम हत्यायें होती हैं उन्हें भी रोकना चाहिये । इतनी पुलिस से काम नहीं चलेगा । उसको बढ़ाया जाय । इस काम के लिए रुपया खर्च करना ही होगा । १२ कांस्टेबिल डेढ़ लाख की आबादी पर कंट्रोल नहीं कर सकते । वह ब्रह्मा नहीं हैं कि जो कंट्रोल कर लेंगे । मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी के इस बजट का समर्थन करता हूं। और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बजट में कटमोशन न देकर इसका पूर्ण समर्थन करें। और दूसरे सूबों के लिये एक नजीर स्थापित करें कि विरोधी दल और ट्रेजरी बेंचेज एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं । जयहिन्द ।

(चौधरी रघुराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि चार बजने में २० मिनट बाकी हैं और अभी जनसंघ क केवल एक सदस्य बोले हैं और दूसरे दलों के दूसरे और तीसरे सदस्य को आप बुलवाने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जनसंघ के सदस्य को अवसर देना चाहता था और मुझे उम्मीद थी कि उनको अवसर मिलेगा लेकिन जिसका आपने नाम रखा था वह खड़े नहीं हुए । मैं स्वयं उनको अवसर देना चाहता था । उन्हीं से आप स्वयं पूछिये कि उन्होंने कोशिश की ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह सदन में उपस्थित हैं, आप नाम पुकारिये ।

एक सदस्य—

मैं खड़ा हुआ था ।

श्री हुकमसिंह (जिला आगरा)---

संसोपा को केवल १० मिनट मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आपसे और माननीय अध्यक्ष से बीच में कोई बात हुई है और मुझसे आपसे नहीं हुई है और मुझ से और मा० अध्यक्ष से भी नहीं हुई है तो जो पद्धति आप चाहते हैं कि अपनाई जाय, उसको अपनाने में मुझे कभी भी जरा भी किंचित मात्र हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन यह मुझे नहीं मालूम है कि समय के आबंटन के बारे में आप लोगों के बीच में कुछ मोटे तौर पर समझौता हुआ है। इसके अलावा अगर मान लीजिये किसी को आज समय नहीं मिलता है तो कल मिल जायेगा और आज का मुआवजा भी मिल जायेगा। यह दृष्टि हमारी रहेगी तो ज्यादे उचित होगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बोलने के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सीमित समय में सदन के सारे लोगों को संतुष्ट करके, कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में कोई आपको संतुष्ट करस के तो मैं उसके लिये यह पद छोड़ दूंगा। वह यहां बैठकर खुशी से सदन को चलायें क्योंकि सब एक ही समय में बोलना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अभिप्राय नहीं है, न हम किसी की तुलना करना चाहते हैं। हम केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपको मालूम नहीं था तो फिर जो कार्यक्रम चल रहा था उसके अनुरूप आप जनसंघ के सदस्य को बुलाते।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आपका इतना जोर है तो जो आपके नजदीक बैठे हैं, और जिनको मैंने समय दिया है वे अपना समय दे दें। वे इस समय इजाजत पा चुके हैं। मैंने चौधरी रघुराज सिंह को पुकारा है। अगर उनसे कोई सलाह मशिवरा आपका हुआ है तो मैं कैसे समझूं। इनके बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

श्रीमन, आपने अभी कहा कि जिनका नाम दिया गया था वे खड़े नहीं हुए। मेरा नाम उस सूची में है और मैं खड़ा भी हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सही है कि मैं सब को नाम से नहीं पहचानता हूं। माननीय त्रिवेणी सहाय जी को मैंने ढूंढा और खबर भी करायी लेकिन उसके बाद भी वे खड़े नहीं हुए।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

किसी भी दल को आप ऐसा अनुभव होने देते हैं तो. . . .

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन, अगर वे ही बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप उनको समय दे दीजिये।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है अगर उसके बारे में यह संज्ञा दी जाय कि यह पूरे समय का बजट नहीं है बल्कि एक खंडित बजट है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस समय लेखा अनुदान इस सदन में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो शब्द कहे थे वे इस प्रकार हैं :—

"चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं की समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप नयी नीतियों का समावेश अगले बजट में किया जायगा।"

यह बजट सदन के सामने आया और मुझे अध्ययन करने का मौका मिला पर कहीं भी इस बजट के अन्दर न तो किसी नयी नीति का समावेश पाया गया और न नयी दिशा का ही समावेश किया गया है और न ही नया दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है बल्कि ऐसा लगता है कि अफसरशाही के चक्कर में पड़कर वही पुरानी परम्परा के अनुसार हमारे माननीय वित्त मंत्री ने यह बजट बनाया है।

हमने पिछले २० सालों से इस कांग्रेस सरकार के जमाने में यह देखा है कि हमेशा उसने इस प्रकार की परम्परा बना रखी है कि घाटे का बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय। उसी प्रकार से उसी परम्परा को बनाये रखने के लिए इस वर्ष भी घाटे का बजट सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर कोई विशेष बात देखने को मिलती है तो वह केवल एक ही मिलती है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने पुनः उसी परम्परा को कायम करके दिखा दिया है। जो ४० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है, वह कैसे पूरा होगा, उसके लिए बजट में माननीय मंत्री जी ने कोई सुझाव नहीं रखा है। पहले तो यह कहा है कि कोई टैक्स न लगाकर भी हम काम चला लेंगे। मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार के वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो उत्तर प्रदेश को पैसा मिलने वाला है, ४० करोड़ रुपया, उसी पैसे के मिलने के आधार पर बजट में घाटा इसी लिये दिखाया गया है कि ४० करोड़ रुपया केंद्र से मिल जायगा। लेकिन २० साल के अन्दर हमने यह देखा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है और उत्तर प्रदेश को जितने धन की आवश्यकता रही है उसकी पूर्ति कभी नहीं की गयी। २० साल के अन्दर देश के कोने कोने में जितने प्रदेश हैं सबकी आर्थिक प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होती गयी और जहां २० साल पहले उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी अन्य प्रदेशों की औसत आमदनी से कहीं ज्यादा थी आज यह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि यहां की आमदनी प्रति व्यक्ति १० रुपये घट गयी है। घाटे का यह बजट आखिर क्या प्रदर्शित करता है ? २० साल हो गये फिर यह डेफिसिट फायनेंसिंग क्यों अपनाई जाती है ? संविद की सरकार को १० महीने का अवसर मिला और उसने लाभ का बजट प्रस्तुत कर दिया और ४० करोड़ रुपये की राहत जनता को दी। लेकिन २० साल बाद भी कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह लाभ का बजट प्रस्तुत कर सकती, टैक्सेशन न लगाती और जनता को राहत दे सकती।

आय-व्ययक को अगर गौर से देखा जाय तो आय और व्यय की मदों में सरकार जो अनुमान लगाती रही है वह कोरा अनुमान रहा है और ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। २० साल से अनुमान लगाने वाली सरकार आज भी अनुमान नहीं लगा पाती है। जो आंकड़े हमको मिलते हैं और उनको जब हम पढ़ते हैं तो आय और व्यय में जमीन व आसमान का अन्तर मिलता है। एक साल के अन्दर जब हम देखते हैं कि कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ तो होता यह है कि जो घाटे का बजट साल के शुरू में बनाया गया था वह साल के अन्त में लाभ का बजट बन जाता है। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाता तो शायद प्रदेश में काफी उन्नति होती और प्रदेश काफी आगे चला जाता। आप देखें कि बजट में ३८ करोड़ ५० लाख रुपये सेल्स टैक्स से वसूल होने का अन्दाज लगाया गया है जब कि संशोधित अनुमान ४० करोड़ तक हो चुका था। तो फिर यह डेढ़ करोड़ का घाटा इसमें क्यों दिखाया गया है ? इससे साफ जाहिर होता है कि बजट बनाते समय वित्त मंत्री ने पुरानी परम्पराओं को अपनाया है और उन्होंने जनता के कष्टों व दिक्कतों को समझने की कोशिश नहीं की है। ४० करोड़ रुपये के घाटे का बजट आखिर कैसे पूरा किया जायगा ? आपने लिख दिया है कि ४० करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिए कर नहीं लगाये जायेंगे,

[श्री त्रिवेणी सहाय]

उसे पूरा किया जायगा । लेकिन इस तरह से जनता को धोखे में रख कर विकास के नाम पर चुपचाप कर लगाये जायेंगे और जनता की खुशहाली बरबाद की जायगी ।

जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है उसमें इस बात की घोषणा की गयी है कि हम जनता के जीवन मूल्यों को उठाने के लिये सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे । यह बात सरकार पिछले बीस साल से लगातार कहती चली आ रही है लेकिन जो प्रयत्न कांग्रेस सरकार ने किये उससे जीवन मूल्यों में कोई तरक्की नहीं हो सकी। जीवन मूल्यों में तीन चीजें आती हैं रोटी, कपड़ा और मकान । मैं कपड़ा और मकान को छोड़ देता हूं केवल रोटी को लेता हूं । पिछले बीस सालों से हर साल सरकार घोषणा करती है कि अबकी बार अधिक पैदावार होगी लेकिन फल यह हुआ है कि जो गेहूं १९५१-५२ में एक रुपये का ६-७ किलो बिकता था वही गेहूं आज १९६९ में एक रुपये का एक किलो भी नहीं मिलता है । अगर इस प्रदेश में पैदावार बढ़ी है तो ऐसा क्यों है ? अगर वास्तविकता देखी जाय तो किसी मद में पैदावार नहीं बढ़ी है बल्कि हर साल हमें बाहर से अनाज मंगा कर खाना पड़ा है और १०० करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगाने के बाद इस प्रदेश की जनता अपनी भूख मिटा सकी है। और जब जीवन मूल्यों के लिए इस प्रदेश के ५ लाख सरकारी कर्मचारी आन्दोलन करना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम सरकारी कर्मचारी हो । इस तरह ५ लाख लोगों की आवाज सरकार ने दबाने की कोशिश की है । जिस समय राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा था उस समय हमारे प्रदेश के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति ने उनको सुचेता सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी । तब यह नहीं सोचा गया कि उसका क्या परिणाम होगा। अगले कुछ दिनों में यह आन्दोलन फिर चलने वाले हैं। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब चुनाव के दिन आते हैं उन दिनों मंत्री लोग चाहते हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी उनके लिए वोट मांगे । मैं गोंडे की बात कह सकता हूं। जिस समय रामरतन गुप्ता वहां से खड़े हुए थे तो एक चपरासी से लेकर जिलाधीश तक उनके लिए कोशिश कर रहे थे । आज क्या वजह है कि पी० एन० सुकुल और कल्याणी देवी जब खड़ी हो जाती हैं तो गुप्ता जी बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि उनको राजनीति के अखाड़े में नहीं आना चाहिये । सरकार को जीवन मूल्यों को समझना चाहिये लेकिन इस ओर विचार करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है ।

उद्योग के बारे में, कोआपरेशन के बारे में बजट में कोई ऐसा सुझाव नहीं है जिससे कोई सुधार हो सके या हरिजनों की स्थिति में कोई बदलाव हो सके । हरिजनों के बारे में बीस साल से सरकार कहती आ रही है कि हम उनकी स्थिति को ऊपर उठायेंगे लेकिन उनकी स्थिति जो पहले थी उससे और गिरी है । सविद सरकार ने एक फैसला लिया था कि नाजायज पट्टों को खारिज किया जायगा और भूमिहीन किसानों को जमीन पर कब्जा दिया जायगा । लेकिन हमारे जिले में बड़े-बड़े जमींदारों ने वह पट्टे खारिज हो जाने के बाद भी हरिजनों को कब्जा नहीं दिया है। कारण यह है कि उनकी हलवाही बन्द हो जायगी । पूरा गांव इस बात पर सहमत है कि अगर हरिजनों को खेती में हिस्सा दे दिया गया तो खेती कौन करेगा । पूरे जिले के हरिजनों को एक बीघा भी जमीन नहीं मिल सकी है। इतना ही नहीं, हरिजनों के उत्थान के लिए इस बजट में कहा गया है कि हम उनकी कोआपरेटिव्ज बनायेंगे । आज जो कोआपरेटिव्ज आपके प्रदेश में बनी हुई है क्या एक पैसे का लाभ भी उनसे आपके प्रदेश को होता है ? मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां कोआपरेटिव के आधार पर लाभ होता होगा । मैं जानता हूं कि डी०सी०डी० एफ० का ७० हजार रुपया वसूल नहीं हो सका है। वहां के एक भूतपूर्व कांग्रेसी नेता हैं उनकी जेब में ३०,००० रुपया चला गया जो आज तक वसूल नहीं हुआ । श्री लालबिहारी टंडन कोआपरेटिव कंज्यमर्स स्टोर्स के अध्यक्ष थे उसमें २० हजार रुपये का गबन निकला जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया । इसी तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सरकारी मशीनरी निष्क्रिय

होती चली जा रही है। जब कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो घाटे का बजट रख कर अव्यवस्था क्यों पैदा की जा रही है, इस तरह से जनता को क्यों धोखा दिया जाता है? पिछली बार जब संविद सरकार आई थी तो उसने लाभ का बजट प्रस्तुत किया था। जनता को ४० करोड़ का लाभ दिया था। यदि यह भी ऐसा ही करते तो हम समझते। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसमें हरिजनों, किसानों तथा मेहनतकशों के प्रति पूरा बल दिया है और अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की है। नेता विरोधी दल ने एक लम्बी चौड़ी तकरीर करीब ५ घंटे दी और मैं आशा करता था कि वे ऐसी बातें कहेंगे जिनकी तरफ सरकार जागरूक नहीं है। लेकिन उनके भाषण के बाद मेरी धारणा समाप्त हो गई। उन्होंने इस तरह की नुक्ताचीनी प्रारम्भ की जैसे कोई साधारण कार्यकर्ता ग्रामीण भोली-भाली जनता को ड्रामा दिखाकर अपने पक्ष में करता है। हमारे सदन के माननीय सदस्यों को नेता विरोधी दल इस तरह की बातों को कह कर गुमराह नहीं कर सकते हैं क्योंकि माननीय सदस्य जागरूक हैं। भानुप्रताप सिंह जी ने बजट के विरोध में भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ ग्रामीण तथ्यों को रखा था। लेकिन उनके जो तथ्य थे, जो उनकी धारणा थी वह सरकार की तरफ से दूषित थी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कम से कम पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। आज जो किसान या जो इस प्रकार के काम पर लगे हुए हैं। उनकी सफलता ही प्रदेश की सफलता है। आज के युग के वातावरण को दृष्टिगोचर करते हुए सदन के हर माननीय सदस्य को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। वह है किसानों और शिक्षित नवयुवकों की बेकारी। यह बेकारी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि आज नौजवानों की भावना प्रजातन्त्र की ओर दूषित हो गयी है। आज इस सदन का हर सदस्य चाहे वह इधर बैठा हो या उधर, उस पर प्रजातन्त्र की रक्षा करने की समान जिम्मेदारी है। इन तथ्यों के साथ आज बेरोजगारी का मुकाबला करना है, नौजवानों को काम में लगाना है। बहुत बड़े उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिये धन की व्यवस्था की है। यह इस बात का परिचय देता है कि जो बेकार, बेरोजगार लोग हैं उनकी समस्यायें उनके सामने हैं।

हमारे मित्र भानुप्रताप जी ने एक लम्बी तकरीर किसानों के बारे में की। उनका कहना था कि किसानों को सरकार से केवल साढ़े ६ करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है। मैं उनसे और उनके दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी व्यवस्था गांव के किसानों के लिये है। सहकारिता का बजट है, किन लोगों के लिये है? अगर बिजली का बजट है किसके लिये है? क्या वह किसानों के लिये नहीं है? हां उनकी इस बात से सहमत हूं कि यदि लघु सिंचाई की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम अच्छे न होंगे। मैं कृषि मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो बड़ी योजनायें हैं उनसे साधारण किसान को लाभ होने वाला नहीं है। सिंचाई के साधन जुटाने होंगे क्योंकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार जुताई बोवाई करता है। इसलिये यदि सिंचाई की छोटी योजनाएं बनायी जायं तो किसानों को इससे अधिक लाभ होगा। दूसरी बात जिसकी ओर उन्होंने किसानों का ध्यान आकर्षित किया मैं उनसे अपने को भी सम्बद्ध करता हूं कि अधिक अन्न उपजाओ योजना में जो फर्टिलाइजर पर अधिक जोर है यदि हमने कुछ दिनों तक फर्टिलाइजर पर अधिक जोर दिया तो भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जायगी। जिस प्रकार भोजन पचाने के लिये औषधि दी जाती है, फर्टिलाइजर देकर हम जमीन के तत्व खींच लेते हैं। यदि हम कम्पोस्ट खाद का व्यवहार नहीं करेंगे

[श्री गिरजा शंकर]

तो कुछ दिनों के बाद इस प्रदेश की जमीन ऊसर हो जायगी। कृषि मंत्री जी कम्पोस्ट खाद, और पशुपालन की तरफ विशेष जोर दें। अस्तु !

आज प्रदेश में बोरिंगों की रफ्तार बहुत तेज है। अनुमान लग रहा है कि बहुत जल्द समय आने वाला है कि अधिकांश बोरिंग कुछ समय बाद फेल हो जाया करेगी। मैं अपने जिले की बात कहता हूं, कि सारी बोरिंग फेल हो जायंगी यदि बोरिंगों पर नियंत्रण नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर के लोग बिना पानी की सतह की छान बीन किये हुए बोरिंग कर रहे हैं। अगर इस पर अभी से नियन्त्रण न हुआ तो हमारे प्रदेश में पानी एवं सिंचाई की नई समस्या सामने आयेगी।

मान्यवर, पिछली संविद की सरकार ने जिसके नेता हमारे चौधरी साहब थे वे हमारे कई साथी थे, जो आज किसानों, हरिजनों, बेकारों और मेहनतकशों की बातों को लेकर इस सदन में आवाज उठाते हैं और कहते है कि मैं सबसे बड़ा आपका हमदर्द हूं उन्हीं के शासन काल में हमारे देश में बिजली की ४ फर्लांग की जो छूट थी उसको चौधरी साहब ने समाप्त कर दिया था। क्या यह इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह किसानों का भला चाहते थे या नुकसान ? हरिजनों को जो विभिन्न अनुदानों से पैसा मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया था, क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि उनके दिमाग में हरिजनों के प्रति कोई आस्था नहीं है ? पिछली बार मैंने चौधरी साहब से प्रार्थना की थी कि चौकीदारों का वेतन बढ़ाया जाये, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे मौजूदा बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। मैं उनसे फिर प्रार्थना करूंगा कि जो भी धन की उन्होंने व्यवस्था की है वेतन की वह ठीक है, लेकिन कम से कम १०० रुपया उनका वेतन रखा जाये यह मैं आपसे चाहूंगा। इसके अलावा उनको प्रशिक्षण दिया जाये और उनकी ठीक देखभाल की जाये उनका कर्त्तव्य बहुत गम्भीर है, उन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, पिछली सरकार ने हमारे प्रदेश के कई हजार राज्य कर्मचारियों को निकाल दिया था। इस प्रदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को जो पैदा होता है उसको रोटी रोजी देने का उत्तरदायित्व हमारा हो जाता है। एक समय बिना कोई आरोप लगाये यह कह कर कि हमारे पास पैसा नहीं किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस सरकार ने उन कर्मचारियों के लिये सोचा, उनको काम पर लगाने की योजना बनाई।

मान्यवर, हमारे विरोधी दल के नता ने कुछ ऐसे आरोप सरकार के ऊपर लगाये हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मुख्य मंत्री ने उनके दल के साथ कुछ अन्याय किया है और प्रशासन के द्वारा उनको कुचल देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उनके, चौधरी साहब के मुख्यमंत्रित्व में बाराबंकी में मेरे साथ और एक जिला परिषद् के अध्यक्ष के साथ जो अन्याय हुआ वह बताना चाहता हूं। जिसकी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, डिपार्टमेंट और सी० आई० डी० के द्वारा इंक्वायरी कराई गई थी और न्यायालय में भी मामला गया था--

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया अब आप खत्म करें।

श्री गिरजाशंकर--

२० साल तक वह जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे। एक बार अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। और मेरा अपराध यह था कि मैं इस हाउस में उनसे १४ हजार से अधिक वोटों से जीतकर आया था। जनसंघ के सदस्य ने मेरे साथ यह अन्याय एवं दुर्व्यवहार इसलिये किया था।

श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि आचार्य जी दो साल तक गद्दी पर नहीं रहे और इस लंगड़े बहुमत में आने के बाद जब वह सरकार बनाते हैं तब कम से कम ऐसा बजट जरूर पेश करेंगे जिसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन की झलक होगी लेकिन बजट के पढ़ने के बाद हम लोगों

को ऐसा महसूस हुआ कि आपके ऊपर पिछली बातों का कोई असर नहीं हुआ है। कोई भी सरकार हो उसको काम से बोलना चाहिये और बोल कर काम नहीं लेना चाहिये लेकिन कांग्रेस सरकार पिछले २० सालों से बोल कर के काम करती रही और काम करके नहीं बोली। यह पद्धति कांग्रेस के अन्दर अब भी हम देखते हैं। बजट में आपने नियोजित समाजवादी अर्थ व्यवस्था की चर्चा की है। केवल बजट में कितना रुपया खर्च होगा और क्या आमदनी होगी इसके आंकड़े प्रस्तुत कर देने से नियोजित समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती। इस बजट के अन्दर समता तथा समानता की झलक भी होनी चाहिये लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में आपने आमदनी की कोई सीमा नहीं बांधी है। एक आदमी हमारे प्रान्त में ऐसा है जिसको खाने भर को भोजन नहीं मिलता, रहने के लिये मकान नहीं मिलता, पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता है और दूसरी ओर हमारे मंत्री, कलेक्टर और कमिश्नर अय्याशी का जीवन बिता रहे हैं। अगर बजट में आमदनी की सीमा होती तब तो हम समझते कि माननीय आचार्य जी समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिय अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे प्रदेश और देश के अन्दर सब लोगों की आमदनी में एक और दस का अन्तर हो। लेकिन यहां हमारे उत्तर प्रदेश में चौकीदार की तनख्वाह १० रुपये है तो एस० एस० पी० साहब की तनख्वाह २ हजार रुपये है। अगर चौकीदार को १० रुपये तनख्वाह देते ह तो एस० एस० पी० को १०० रुपये से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये और अगर एस० एस० पी० को २००० रुपये देते हैं तो चौकीदार को २०० रुपये मासिक देना चाहिये। अगर आप इस तरह से आमदनी का अन्तर लाकर के बजट लाये होते तब तो हम समझते कि आप सच्चा समाजवाद देश के अन्दर चाहते हैं लेकिन बजट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आमदनी में अलावा खर्च पर सीमा बांधने के लिये बजट में कोई चर्चा नहीं है। जैसा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बराबर कहती रही है कि हर एक व्यक्ति को डेढ़ हजार से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। अगर डेढ़ हजार रुपये सीमा बांध दी जाय खर्च की तो आज जो भ्रष्टाचार देश के अन्दर फैला हुआ है, बेईमानी हो रही है, अय्यासी हो रही है उस पर लगाम लग सकती है क्योंकि कोई उससे ज्यादा नहीं खर्च कर पायेगा तो वह गलत तरीके से धन संचय करने का प्रयत्न नहीं करेंगा लेकिन इसके लिये बजट में कोई सीमा बांधेंगे या नहीं।

यह कहा जा रहा है कि हम कृषि पर अधिक खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने इस बजट को पढ़ा तो कुल २५० नलकूप आप इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहे ह। जहां तक गल्ले की बात है, बराबर हल्ला हो रहा है कि हमारे प्रान्त में गल्ले की कमी है, लोग भूखों मर रहे हैं, उनको भर पेट भोजन नहीं मिलता। माननीय आचार्य जी, गुप्ता जी और इन्दिरा जी कहती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है और पैदावार कम है इसलिये लूप लगवाओ। सोशलिस्ट पार्टी उसके बदले में यह कहती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है इसलिये ज्यादा नलकूप लगवाओ। लेकिन माननीय आचार्य जी लूप लगवाने की बात ज्यादा करते है जबकि सोशलिस्ट पार्टी ज्यादा नलकूप लगवाने की बात कहती है। उस पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। भला बतलाइये कि एक साल में ३५० के हिसाब से प्रदेश के अन्दर नलकूप लगवाये जायेंगे तो एक साल में प्रदेश के अन्दर कितनी सिंचाई की व्यवस्था कर पायेंगे? माननीय आचार्य जी ने बजट पेश करते हुये कहा था कि अल्प विकसित देश के विकास के लिये कर लगाना जरूरी है। मैं इससे पूर्ण सहमत हूं कि कर लगाया जाय। अगर किसी देश को तरक्की करनी है और अनडेवलप्ड इकोनामी को डेवलप करना है तो कर लगाना चाहिये लेकिन करके द्वारा जो पैसा आपके पास आता है उसका उपयोग जो आप करते हैं उससे देश और प्रदेश की तरक्की किस तरह से होगी। अगर कर लगा करके, फिजूलखर्ची करते हैं, या आप ऐय्याशी में वह रुपया बर्बाद करते हैं तो अर्थ-व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इस बजट भाषण के पेज २२ पर दिया हुआ है—

"इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसे विषय का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे हम सब का सीधा सम्बन्ध है।" कांग्रेस के इशारे पर आचार्य जी विधायकों

[श्री श्याम सूरत]

की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बिक्री कर बढ़ा कर, किसानों से भूमिधरी के सिलसिले में २० गुना पैसा लेकर विधायकों में बांटने की बात सोचते हैं तो इससे अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं। अगर आप इस तरह के कर जनता से लेकर विधायकों की तनख्वाह और भत्ता बढ़ायेंगे तो हम लोग इसके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, आपका घेराव करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप धमकी न दीजिये, सदन में धमकी नहीं दी जाती।

अब आपका समय समाप्त।

श्री श्यामसूरत---

अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो मैं कुछ कह ही नहीं पाया। दो तीन बातें इलाहाबाद की कह दूं। चकबन्दी की बात मैं बतला देना चाहता हूं कि वहां किस तरह का भ्रष्टाचार है। इलाहाबाद के बिस महुआ गांव में एक काश्तकार जो कवल डेढ़ बीघे का है, उसने गांव सभा के के तालाब को फ़र्जीतौर पर अधिकारियों को मिलाजुला कर अपनी आराजी १० बीघे कर ली है। जब उसके खिलाफ़ दरख्वास्त दी गयी तो उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर इसकी खुली जांच होती तो कम से कम दो तीन अधिकारी और ये सज्जन जिन्होंने जमीन दबा रखी है, उनके खिलाफ़ कार्यवाही हो सकती थी।

इसके साथ ही साथ मैं परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में एक टी० एस० थे जिनका तबादला इसलिये हुआ कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ़ शिकायत थी, चुनाव के बाद उन्होंने जोर लगाया और वे फिर इलाहाबाद चले गये। इसके बा: जब फिर उनके खिलाफ शिकायत की गई तं उनका तबादला मिर्जापुर को कर दिया गया। आज ४ दिन से फिर वह आदमी परिवहन मंत्री जी को घेर रहा है। मेरा निवेदन है कि जिस आदमी के खिलाफ चुनाव के दौरान शिकायत हो, उसका फिर यदि इलाहाबाद को तबादला कर दिया जाय तो इस तरह से देश का सुधार नहीं हो सकेगा। इसके बाद मेरा यही निवेदन है कि सदन इस बजट को पास न करें।

*श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस बजट पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के लिये एक ऐसा प्रगतिशील और समाजवादी बजट प्रस्तुत किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा बजट और भी जन हितकारी और जन उपयोगी हो सकता था लेकिन कोई भी वित्त मन्त्री जब अपना बजट बनाते हैं तो उनके सामने यही समस्या रहती होगी कि हमारे साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों के अनुकूल ही कोई सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है। आज हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और विकास के पथ पर चलना चाहता है। तो कोई भी राष्ट्र, देश या प्रदेश जो विकासोन्मुख होता है तो उसके सामने बहुत सी समस्यायें होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिये जनता जब जागरूक हो जाती है तो उन सारी समस्याओं के निपटारे के लिये वह बैचेन हो जाती है जो स्वाभाविक है लेकिन साथ ही साथ यह भी स्वाभाविक है कि जितने भी साधन सीमित हैं उन साधनों के आधार पर ही अपना विकास करती है और विकास की योजनायें बनाती है। हमारी जितनी भी समस्यायें हैं उनको तुरन्त सुलझाया नहीं जा सकता। उनका समाधान और उनका निराकरण एक साथ इसलिये नहीं हो सकता है कि हमारे पास साधन सीमित हैं। उसके अन्दर ही हमको अपना काम करना पड़ता है। आज हमारे बजट में जितनी भी योजनायें रखी गई हैं मुझे पूर्ण विश्वास है उनसे किसानों का हित होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरह से भूमिहीनों को भूमि वितरण करने, साधन मुहैया करने, उनको व्यवस्थित करने की योजनायें बनाई गई हैं वह सब बहुत लाभप्रद हैं। किसानों को अधिक बिजली देने के लिये, भूमिहीनों को भूमि देने के लिये, हरिजनों के उत्थान के लिये जो व्यवस्था की गई है वह वास्तव में किसानों को प्रदेश में आगे ले जायगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि आज किसानों के अन्दर एक क्रान्ति पैदा हो गई है। आज गल्ले के दाम इतने बढ़े हैं जिससे वह नया बीज लेकर उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इस तरह से किसानों के अन्दर यह जागृति हुई है कि वह अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते है। उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज, खाद, सिंचाई और बिजली के साधन किसान चाहते हैं। जिस तरह से व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिये कुयें बनाने के सम्बन्ध में, ट्यूबवेल बनाने के सम्बन्ध में, वह वास्तव में हमारे कृषि जगत में एक क्रांति लायेगी और किसानों को आगे ले जायगी। मैं अपने साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दें।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हमारे यहां अस्पतालों की हालत बहुत चिन्ताजनक है। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये यहां पर मेडिकल कालेजों की स्थापना की गई है जिससे अधिक से अधिक लोक प्रशिक्षण के लिये आ सकें और जिससे डाक्टर उपलब्ध हो सकें। और गांव में जाकर लोगों की सेवा कर सकें। आज हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव के लड़के ही डाक्टर बन कर जब निकलते हैं तो वे गांव के हमारे अस्पतालों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये जनता की सेवा की भावना उनके अन्दर पैदा करनी चाहिये ताकि वह अधिक संख्या में देहातों की सेवा कर सकें। इस तरह की हमारे सामने समस्यायें हैं जिनका समाधान समय पर ही हो सकता है।

हमारे यहां यातायात की समस्या है पर हमारे यहां परिवहन विभाग ने जनता की बहुत सेवा की है। लम्बी यात्राओं पर बस चलाकर सरकार ने जनता की सेवा की है। सरलता से लम्बी यात्रा हो सकती है। परन्तु उसके अन्दर जो त्रुटि है उसको दूर किया जाना चाहिये। और इन साधनों से जो हमारे परिवहन विभाग में जनसेवा है उसके लिये मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्राइवेट बस मालिकों पर असर पड़ा है। आज इन बसों में भी समय पर गाड़ी छोड़ने, नियत समय परं पहुंचाने और यात्रियों को सुविधा देने का भाव जगा है और जिस तरह से परिवहन विभाग की सरकारी और प्राइवेट बसों में सुविधायें बढ़ी हैं, आज हमारी यात्रा बड़ी सरल और सुविधाजनक हो गयी है जितनी कभी नहीं थी। एक साहब कह रहे थे कि किसानों का कोई हित नहीं हुआ है इस प्रशासन काल में। वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं। वह जिस तेजी के साथ बोल रहे थे उससे स्पीकर की आवाज भी दब गयी थी। यह ज्वलंत उदाहरण है कि किसान की आज कितनी उन्नति हुई है, किसान का बेटा कितने जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने जजबात को, प्रदेश की जो समस्यायें हं उनको यहां पर रख सकता है। अगर यह २० साल के कांग्रेस शासन की देन नहीं है तो किसकी है? २० साल पहले किसान को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि यहां आकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके।

शिक्षा के क्षेत्र में भी जितनी प्रगति हुई है, पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक गुणात्मक रूप में भी वृद्धि हुई है और साथ ही हमारे समस्त शिक्षक वर्ग की जो मांग थी वेतन की, महंगाई भत्ते की आज उसका हमने संतोष जनक रूप से समाधान किया है और आज विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उससे शिक्षक वर्ग संतुष्ट है और आज वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा है। हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश में हुआ है हमारे बहुत से साथी, कल ही एक साहब कह रहे थे कि पूंजी इस तरह से खर्च होती है और गरीबी इस तरह से होती है और आज उन्हीं के दल वाले राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे मार्गों का विस्तार हो रहा है, जो हमारे अस्पताल बन रहे है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है, कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है,

[श्री शिववक्ष सिंह राठौर]

पाठशालाएं बढ़ रही हैं यह सारे का सारा कार्य समाजवादी है और यदि कोई समाजवादी व्यवस्था ऐसी आनी है जिसमें स्कूल न खुलें, वेतन वृद्धि न हो, कृषि की क्रान्ति न हो, अस्पतालन खुल सकें और राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार न हो सके तो ऐसी समाजवादी व्यवस्था इस प्रदेश को और देश को मान्य नहीं होगी। कमियों और खामियों के होते हुये भी जो साधनों के कारण है, जो बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह हमें समाजवाद की ओर ले जायेगा, उससे किसानों और जनता का हित परिलक्षित होता है, किसान और प्रदेश उससे आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को फिर एक बार बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

बजट पर विवाद का समय समाप्त होता है अब और कार्य होगा।

सतिया हत्याकाण्ड से सम्बन्धित एफ० आई० आर० की प्रति की मांग

श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष जी, कल इस सदन में मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री ने मिर्जापुर में जो सतिया हरिजन मार डाली गयी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं दी थी, आज के लिये उन्होंने वादा किया था कि सदन पटल पर वह एफ० आई० आर० रखेंगे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज न मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, न उपमुख्यमंत्री उपस्थित हैं।

श्रीमन, वह रिपोर्ट क्या अभी तक नहीं आयी है? यह आ नेवाली है या कहीं लिखी जा रही है? (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

हम लोग जल्दी से जल्दी उसे मंगा लेंगे। परसों तक आ जायेगी या एक दिन और लग जायेगा।

श्री विजयबहादुर सिंह--

उसको बदला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उसको बदला नहीं जा सकता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी की है विद्यार्थियों के बारे में कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षा का फल घोषित नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्दन स्वामी (जिला देहरादून)--

हमने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आपका भी है, माननीय कृष्णस्वरूप वैश्य, माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा का भी है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे।

बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक माननीय शम्भूनाथ चौधरी का है बलिया में जमींदारी समाप्त करने के बारे में, इसको मैंने स्वीकार किया है।

सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स, बरेली की बन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक और माननीय रामसिंह खन्ना का सिन्थेटिक फैक्टरी के बारे में है, यह भी २८ को होगा।

म्योर मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक माननीय मोतीलाल देहलवी का म्योर मिल के बारे में है। चूंकि उस दिन दो हो जायेंगे, यह २९ को लिया जायेगा।

मऊनाथ भंजन में साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक मऊनाथ भंजन में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में है। इस पर पहले कामरोको प्रस्ताव आया था। प्रश्न भी इस विषय पर थे, मगर वे आ नहीं पाये थे। उसके लिये उस दिन माननीय सदस्य आधा घंटा का समय चाहते थे। एक प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत आया है २ घंटे के विवाद के लिये। ऐसी अवस्था में मैंने यह निश्चय किया है कि आज प्रश्नोत्तर हो जायेंगे और उनको सुनने का सब लोगों को मौका मिल जायेगा तब मैं दो घंटे का समय दूंगा नियम ५२ के अन्तर्गत और इसके लिये तारीख तीस रख दी गई है। इसमें अगर माननीय मंत्री जी कोई तारीख बदलवाना चाहें तो मुझसे कह सकते हैं। मैंने तीस तारीख रक्खी है। अगर कोई अड़चन हो तो बता दें कि किस तारीख को मंत्री जी वक्तव्य दे सकते हैं। तीस तारीख के लिये इसमें दो घंटे की बहस होगी नियम ५२ के अन्तर्गत। दो घंटे की बहस जो कामरोको प्रस्ताव द्वारा हो सकती थी वह इसमें हो जायेगी।

अब जो कुछ अस्वीकृत प्रस्ताव हैं वह मैं आपको अगर सुनाना शुरू कर दूं तो वे कई हैं। शेष अस्वीकृत हैं। उसके बारे में मैंने इतना कह दिया कि वे भेज दिये हैं मंत्री जी के पास। लेकिन उसमें किसी को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछना हो तो वे दे सकते हैं।

शम्भूनाथ चौधरी जी के बलिया में जमीदारी खात्मे के बारे में राजस्व मंत्री बयान देंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट श्री बी० के० मित्तल के यहां हुई चोरी के सिलसिले में अनेकों स्त्री-पुरुषों को बुरी तरह से मारा गया और पुलिस के पीटने और मारने से एक स्त्री का गर्भपात भी हो गया तथा रामसेवक नाम के व्यक्ति ने तो थाने में ही दम तोड़ दिया। वहां धरना दिये हुए लोग पड़े हुए हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन में जो अव्यवस्था हो रही है उस पर मंत्री जी कोई अपना बयान दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह आज नहीं हो सकता। क्योंकि आज और अन्य स्वीकार कर लिये गये हैं। अगर इस विषय में आप जल्दी चाहते हैं तो उस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दें। ३० तारीख को साढ़े चार से साढ़ पांच तक प्रोग्राम है वह मैंने भेजे हैं वे लोक महत्व के प्रश्न हैं जो मैंने स्वीकार किये हैं। इनके उत्तर मिल जाना चाहिये, उसके बाद अगर....

श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक इलाहाबाद का मामला है जिसमें श्री नाथ पासी को गिरफ्तार किया पहले और बाद में दरोगा ने कत्ल कर दिया। श्री नाथ पासी और पहले ९ आदमियों को घेर लिया और उसके बाद जब जांच हुई तो उसमें चार आदमियों के ऊपर मुकदमे कायम किये और छः आदमियों को छोड़ दिया। श्री नाथ पासी का अब तक पता नहीं है। उसमें डी० वाई० एस० पी० जांच में गये थे। उसने रिपोर्ट की है कि श्री नाथ पासी का थाने में गिरफ्तार होकर आना सही है। इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय। और वहां सी० आई० डी० की जांच लिखने के बाद अब जांच हो रही है। लेकिन डी० आई० जी० ने यह आदेश दिया है कि वह दरोगा जब तक जांच होती है वहीं तैनात रहे। श्रीमन्, जब तक वह दरोगा वहां तैनात रहेगा जांच कैसे हो सकती है? तमाम ८० गवाहों को वह दारोगा पकड़ कर जबर्दस्ती हलफनामा दिलवा रहा है।....

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में जिनके नामन्जूर हो गये हैं उनके विषय में मैं क्या कह दूं। जो आज स्वीकार हुए हैं उनके बयान जरूर होने चाहिये।

श्री अनीसुर्रहमान--

अध्यक्ष महोदय, क्या अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मुझे दोबारा देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

एक नोटिस देकर आप मेरे पास भेज दें तो मैं भेज दूंगा।

श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)--

जो म्योर मिल का मामला रक्खा था उसे आपने पढ़कर सुनाया। उसे आपने मंजूर कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लोक महत्व का प्रश्न उठाया था। परसों मैंने उसकी अनुमति मांगी थी। आपके कमरे में उस पर वाद-विवाद हुआ था और आपने कहा था कि उसको ४ बजे पढ़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

उसके बाद में उसको पढ़ दूंगा।

बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त न करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय सदस्य ने जिन २० गांवों का हवाला दिया है वे सभी गांव ७ जुलाई, १९४९ को बलिया नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित थे, जिस कारण १ जुलाई, १९५२ की जो विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत जमींदारी विनाश के निमित्त जारी की गई थी उसके अन्तर्गत इन २० गांवों में से किसी में भी जमींदारी विनाश नहीं किया जा सका, क्योंकि जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) में स्पष्ट किया हुआ है, उक्त अधिनियम किसी भी ऐसे क्षेत्र पर जो ७ जुलाई, १ ४९ को किसी नागर-क्षेत्र में सम्मिलित था, लागू नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में जमींदारी विनाश की कार्यवाही उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत की जानी होती है। और उस अधिनियम के अन्तर्गत जमींदारी-विना केवल कृषि-क्षेत्रों में ही किया जाना सम्भव होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में जमींदारी-विनाश के पूर्व कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेदन कर लिया जाना आवश्यक होता है। माननीय सदस्य द्वारा सन्दर्भित २० ग्रामों में से रामेपुर, चननूपुर, एवं कंसपुर नामक तीन ग्रान सन् १९०९ से बलिया नगरपालिका की सीमा के भीतर आ गये थे। इसमें कृषि-क्षेत्र का परिच्छेदन का कार्य बहुत पहले आरम्भ कर दिया गया था, किन्तु इस कार्यवाही के विरुद्ध मुकदमेब जी आरम्भ होने के कारण परिच्छेदन की यह कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हो पाई है, जिस कारण यहां जमींदारी-विनाश की कार्यवाही की जा सकना सम्भव नहीं हो पाया है। इनके सम्बन्ध में दो अपीलें राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के समक्ष विचाराधीन हैं और उन पर राजस्व परिषद का फैसला हो जाने के बाद ही परिच्छेदन की कार्यवाही समाप्त होकर इन गांवों में जमींदारी-विनाश की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। इन तीन गांवों को छोड़ कर जिन शेष १७ गांवों का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है वे सन् १९३८ की एक विज्ञप्ति द्वारा बलिया नगरपालिका की सीमा के भीतर सम्मिलित मान लिये गये थे। इन गांवों में भी कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेदन का जो कार्य किया गया उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने आयुक्त, वाराणसी मण्डल के न्यायालय में आपतियां दाखिल कर दीं। इन आपत्तियों का आयुक्त द्वारा निपटारा हो चुका है। अब केवल जो दो अपीलें, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, राजस्व परिषद के विचाराधीन हैं उन्हीं के निपटारे की इन समस्त बीसों गांवों में जमींदारी-विनाश किया जाने के लिये प्रतीक्षा की जा रही है। एक स्मृतिपत्र प्रस्तुत कर राजस्व परिषद से इन अपीलों का शीध्र निपटारा कर दिया जाने की प्रार्थना की जा चुकी है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन १७ गांवों का उल्लेख किया गया है वे नागर क्षेत्र में हैं,फिर वहां गांव पंचायतें क्यों हैं? अगर नागर क्षेत्र में हैं तो क्या कभी इन १७ गांवों की आबादी नागर क्षेत्र में शुमार की गयी है या उनको नगर के चुनावों में वोट देने का हक मिला है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा मैंने अर्ज किया ये १७ गांव तो १९३८ से पहले से ही नगरपालिका में शामिल हैं। वहां म्युनिसिपैलिटी का क्या रूप है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वे वोट देते हैं या नहीं देते इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, यह मेरे सवाल का जबाव नहीं है। वहां एक झगड़ा हुआ और उसका निबटारा हो चुका है। राज्यपाल ने १७-२-५८ को गजट करके यह घोषित कर दिया है कि ये गांव

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हैं। तब भी हमारे मंत्री जी कहें कि उनको पता नहीं है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष--

यह तो स्वा ःत्त शासन मंत्री को पता होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

यह जो गांव हैं उनके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं तो बात साफ हो जायेगी। यह मामला इस लिये उलझा हुआ है कि चूंकि बलिया में एक मेला ददरी का लगता है। यह क्षेत्र नदी के कटान पर था उसके कट जाने पर नगरपालिका के गांवों की ओर लगने लगा। इस पर जिला परिषद् ने कहा कि यह मेला तो हमारे क्षेत्र में लग रहा है इसलिये इसकी आय का आधा भाग हमें मिलना चाहिये। इसलिये मेला परपज के लिये नगरपालिका ने कहा कि यह नगरपालिका क्षेत्र है। गो कि उसका शुमार उस क्षेत्र में नहीं है न वहां के लोगों को वोट का ही हक है केवल एक मास के लिये यह कहा कि हमारा हक है। लेकिन जब वहां के लोगों का प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल महोदय और सरकार से मिला तो राज्यपाल ने खुद १७-२-५८ के गजट में लिख दिया कि यह क्षेत्र नगरपालिका की परिधि के बाहर होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस क्षेत्र को झंझट में न डालें। इन गांवों में गांव पंचायतें, गांव सभायें और गांव समाज बने हैं। अगर नगरपालिका क्षेत्र में वह होगा तो वहां पंचायतों, गांव सभाओं और गांव समाज का अस्तित्व ही बेकार है।

श्री अध्यक्ष--

अब मंत्री जी बता दें कि उनको इसकी जानकारी है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि राज्यपाल महोदय ने क्या गजट कराया। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार सन ३८ से ये गांव म्युनिसिपैलिटी में शामिल हुं। म्युनिसिपल क्षेत्र में जमींदारी एबोलिशन कृषि की जमीन पर ही लागू होता है और आबादी की जमीन छोड़ दी जाती है। उसके परिच्छेदन का काम होता है। आपत्तियां हुईं और उनका निपटारा हुआ। और साफ जाहिर है कि लोगों ने मांग की कि वह म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी यह पता लगायेंगे कि इन २० गांवों में ग्राम पंचायतें स्थापित हैं और जिस विज्ञप्ति का हवाला दिया गया है उसके बाद दूसरी विज्ञप्ति के अनुसार उन गावों में पंचायतें कायम हुईं और वे काम कर रही हैं। गांव समाज की कमेटियां काम कर रही हैं। तो ऐसे गांवों में वह जमींदारी विनाश कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया कि उनको मालूम नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मंत्री जी इस बात का भी प्रबन्ध करेंगे कि उनके सचिव हृदय रोग के मरीज हैं और सारा रोग इस विभाग में मौजूद है। क्या वह ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि कोई समझदार अफ़सर इस विभाग में आये ताकि सही जानकारी विभाग आपको करा सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अगर कोई आवश्यकता समझी जायेगी तो इस बात की जांच करा ली जायेगी क्योंकि यह कोई नया मामला नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उसकी जानकारी करा दूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

हां, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि राजस्व विभाग के कागजात में वह नगरपालिका क्षेत्र में है, और माननीय सदस्य के कथनानुसार वह पंचायत के क्षेत्र में चला गया। तीसरा जिला परिषद के पास है। तो ऐसा मालूम होता है कि तीन विभागों के बीच का मामला है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायें कि उनके क्षेत्र में कोई गजट हुआ या राज्यपाल की विज्ञप्ति हुई जिससे कि वह बाहर चला गया और पंचायत मंत्री को भी सूचना देना चाहिये कि इन गांवों में पंचायतें हैं या नहीं? इस मामले का स्पष्टीकरण एक विभाग से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---

आज नहीं हो सकता तो किसी दूसरे दिन के लिये रख दें?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

श्रीमन्, सम्बन्धित मंत्रियों से आप कहें कि वे अपने विभागों से सूचना लेकर सही पोजीशन से सदन को अवगत करायें।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आप दफ़ा ५२ के अन्तर्गत इस पर विवाद करा दें ताकि माननीय मंत्री जी भी विस्तृत सूचना दे सकें।

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल कर सकते हैं। इसके लिये तो आपको अलग से नोटिस देना होगा।

यह २ मंत्रियों के बीच का सवाल है। वे हैं स्वायत्त शासन मंत्री और माल मंत्री। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को मालूम होगा। मैं उनसे भी कहूंगा कि उन्हें चाहिये कि वे भी जानकारी हासिल कर लें।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

यह बहस का सवाल नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, इसमें एक और मंत्री भी हो सकते हैं। चौकीदार के पास कुछ रजिस्टर होते हैं। तो पुलिस विभाग के मंत्री से भी जानकारी प्राप्त की जाय।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के अज्ञान का क्या कारण है? जानकारी करके वांछित सूचना पेश कर दें?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

व ा माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों का इसमें जिक्र किया गया है आज उन गांवों की मालगुजारी नगरपालिका वसूल करता है या सरकार वसूल करती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका है उसी प्रकार से वसूल की जाती है। जहां जमींदार होंगे, वे वसूल करते होंगे और जहां पर काश्तकार हैं उनसे उसी तरीके से वसूल की जाती है। मालगुजारी रेवेन्यू विभाग से भी वसूल होती है।

श्री अध्यक्ष---

अंधेरे में लठ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसके बारे में जानकारी हासिल करके सूचना दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जिन दो अपीलों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है उन का भी मार्च में निस्तारण हो चुका है तो अब आप पता लगायें तो इनके बारे में भी पूछ लें ?

श्री अध्यक्ष---

आप एक काम करें, जितनी भी आपके पास सूचना है वह मंत्री जी के पास भेज दें और वे सब सूचना आपको जानकारी करके सोमवार को दे देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, इस मामले में तीनों विभागों को सक्रिय किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह तो होगा।

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)†

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

श्रीमन्, सतिया के बारे में मैंने एफ़० आई० आर० की रिपोर्ट मंगायी थी, वह मेरे पास आ गयी है। वह इस प्रकार है:---

अपराध सं० ७२ धारा ३०२ भा० दं० वि० थाना मड़िहान, जिला मिरजापुर

ता० प्रथम सूचना की रिपोर्ट २२-६-६९ ता० घटना २२-६-६९ १० बजे दिन व सूचना ता० २२-६-६९ को १४/३५ बजे।

जबानी वादी

हमार नाम मुन्नी लाल बाप का नाम मंगरु कोल घर जुड़िया मुतलके गोपालपुर जबन यही थाना में है आज हम आपन मड़ई के ठाठ करते रहे हमरे साथ नाथे बाप का नाव जंगी, दुखी बाप के नाव नन्द लाल कोल कयर बाप का नाव सुखू कोल जवन हमरे गांव के और बागी रथी बाप का नाव बन्धू कोल घर नकटी थाना मड़िहान जबन हमार बहनोई हवें रहले आज करीब १० बजे दिन में राम बहादुर सिंह जवन राम नारायण सिंह कटहवा फ़ार्म गोपालपुर के नौकर हवे बन्दूक इलहले अइलें हम चारपाई अपने बाहरवाले मड़हा में बिछा देहली वह पर बैठ गैलें और कहलें कि तू हमारे यहां हरवाई कर यह पर हम कहली कि हमसे हरवाही न सपरी तबले हमार लड़की सतिया भी चल आइस बके गारी देत कहलें कि तू हमरे यहां काम करे काहे नहीं गैली यह पर कहलेस कि घरे कुछ काम रहल

---

†२५ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एसे न गैली तू हमहन का मजदूरी कम देला यह पर गुस्सा हो के रामबहादुर सिंह बन्दूक से हमरे लड़की सतिया के मार देहले गोली बकरे दहने तरफ़ बगल में सीना के नीचे लगल सतिया गिर गइल और तुरन्त मर गइल खून वहे लागल राम बहादुर सिंह अपन बन्दूक लेहले उत्तर की ओर अपने जिला पर भाग गइले हमने मारे डर के उनके न पकड़ली का हे कि बन्दूक लेहले रहले इ बात गवाह लोग जो वहां रहले देखलें हवें हम लाश के अपने मेरारु के सौप के इत्तला वदे आइल है यी रपट लिख के जांच कैल जाय जवन लिखैली पढ़वा के सुनली ठीक हो नि० अंगूठा बनावत हैइ नि० अं० मुन्नी लाल लेखक गंगाप्रसाद सिनहा हे० का० ता० २२-६-६९

जी० पी० सिंह

२५-७-६९

सत्य प्रतिलिपि
ह० अस्पष्ट
२५-७-६९
पुलिस अधीक्षक,
मिर्जापुर

श्री अध्यक्ष--

यह एफ० आई० आर० मिल गयी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

इस एफ० आई० आर० का लिखने वाला कौन है ?

श्री अनन्तराम जयसवाल (जिला बाराबंकी)--

इस विषय की चर्चा नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी । अब गुप्ता जी द्वारा वक्तव्य पढ़ने के बाद हम लोगों को सवाल जवाब का मौका दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

आज समय नहीं मिलेगा । दूसरे सवाल आज के लिये स्वीकृत हैं। पहले से इसकी सूचना नहीं थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल --

उनसे पूछ लीजिये । वह कोई तारीख निर्धारित कर दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

हम इस समय भी तैयार हैं।

एक सदस्य--

यह जो रिपोर्ट पढ़ी गयी है इसे सदन के पटल पर रखवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

साइक्लोस्टाइल्ड है इसे वितरित कर दिया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

व्यवस्था का प्रश्न है। गुप्ता जी को आप संबोधित कर रहे हैं और गुप्ता जी अपनी जगह पर बैठे-बैठे जवाब दे रहे हैं। यह क्या नियमों के अनुसार उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि वह भी कमजोर आदमी हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अगर बैठे बैठे कोई जवाब निकल गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं लेकिन जैसे आप बात करते जा रहे थे वैसे ही मैं उत्तर देता जा रहा था। सवाल जवाब करना है तो उसके लिये मैं हाजिर हूं।

श्री अध्यक्ष---

आज जो प्रश्न हमने लिये हैं उनके ऊपर समाप्त करना चाहिय या आपने जो दिया है उसके ऊपर प्रश्न हों ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इसको आज ले लें और दूसरे प्रश्न को अगले दिन के लिये कर दें।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर एक तो खत्म हुआ। अब आप इसके ऊपर प्रश्न पूछिये।

श्री मैनेजर्रासिह--

मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि लेखक कौन हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

लेखक गंगा प्रसाद सिन्हा, हेड कांस्टेबिल।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कल माननीय गुप्ता जी ने यहां बताया था कि गोपालपुर फार्म के एक पार्टनर रामनारायण सिह का नौकर रामबहादुर इस मुकदमे में मुल्जिम है। मैं जानना चाहूंगा कि उस फार्म में उप मुख्य मंत्री जी के लड़के लोकपति जी और उनके भाई करुणानिधि जी भी पार्टनर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वैसे तो मैंने जानकारी हासिल नहीं की लेकिन जो कल कमलापति जी बातें कर रहे थे उससे तो यह विदित है कि उनके लड़के उसमें कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्य हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) --

एक बात तो यह स्पष्ट हो गयी कि बहां पर हत्या हुई, यह भी स्पष्ट हो गया कि एक गोली से वह हत्या हुई, यह भी स्पष्ट है कि वह किसी एक ऐसे फार्म के ऊपर हुई जिसके मालिकान का और पार्टनर्स का नाम मालूम है, यह भी स्पष्ट है कि जो नौकर था वह उस फार्म का नौकर था। तो घटना की तिथि से लेकर आजतक वह नौकर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उसका पता क्यों नहीं मालूम हुआ ? मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उसका पता नहीं मालूम हुआ इसलिये उसके खिलाफ ८७-८८ की कार्यवाही नहीं हो सकी। दूसरे जो बंदूक थी उसका कोई लायसेंसदार होगा। तो वह बंदूक क्यों नहीं पकड़ी गयी और उस लायसेंसदार के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? हम नहीं चाहते कि यहां पर कोई कैरेक्टर असासिनेशन हो लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस मामले पर कोई पर्दा न पड़ जाय इसलिये आप जुडिशियल इन्क्वायरी को स्वीकार कर लीजिये, सब तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वैसे तो अभी जांच जारी है। उस जांच के अन्तर्गत आगे बहुत सी जानकारियां हो सकती हैं। उन जानकारियों के उपरान्त यदि यह बात सामने आये कि अब यह मुकमदा दाखिल दफ्तर किया जाय क्योंकि उन दोनों का पता नहीं चलता तो वह समय होगा जबकि मैं

आदेश दूंगा कि नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिये और फिर सी०आई०डी० के जरिये से उसकी जानकारी करने की जरूरत है तो वह करायी जाय। और जैसा कि कल उप मुख्य मंत्री ने स्वतः कहा कि अगर सदन यही चाहता है कि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और उपमुख्य मंत्री को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी करा सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या यह सही है कि माननीय उप मुख्य मंत्री के २६ जून को गोपालपुर फार्म जाने के बाद इस मुकदमे के तफतीश कुनिन्दा दरोगा हरिश्चन्द्र शर्मा को उस थाने से हटा कर उनकी जगह पर गुलजारसिंह को तनात किया गया जो वाराणसी में ज्ञानपुर थाने में पहले तनात थे

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कल अपने बयान में कहा था कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो समय के बीच में आ जाने से समाप्त हो सकते हैं। जैसे एक ऐसी बात की गई कि गवाह के बयान कोर्ट में करा दिये गये। यह एक ऐसा कार्य है जो नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वे उसमें इन्वाल्व न हों। इसलिये आप चीफ जस्टिस से बात करके घोषणा करें कि दो एक दिन में जुडीशियल इंक्वायरी के लिये इसको दे दिया जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था वह मामूली महत्व का नहीं है। उपमुख्य मंत्री के २६ जून को गोपालपुर फाम जाने के बाद वहां के दरोगा को जो कस की तफतीश कर रहा था, दूसरे थाने में भेज दिया गया और उसकी जगह पर वाराणसी के ज्ञानपुर के दरोगा को वहां का इंचार्ज बनाया गया है। वे कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिये कोई तारीख निश्चित कर दी जाय कि उस दिन वह सदन को जानकारी करा दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने नई जानकारी दी है कि उसका ट्रांसफर कर दिया है। इसलिये आपके पास जो जानकारी है वह मुख्य मंत्री जी को दे दें और यह सत्य है या नहीं और इसके लिये एक रोज मुकर्रर कर दें तो ठीक रहेगा। लेकिन यदि उस दिन भी कोई नई जानकारी दे दी गई तो यह कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिये सवाल कीजिये। अगर उनको जानकारी न हो तो एक दिन मुकर्रर कर लें और आप भी जानकारी दे द।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, वहां के आई०जी० और डी० आई० जी० को तो जानकारी होगी और इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है सदन में लेकिन इसके बावजूद जानकारी नहीं दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष--

एक सवाल मैं यह कहता हूं कि अगर तथ्य को निकालना है तो मन्थन करके निकलता है। आप उनको जानकारी देकर कहिये कि इसकी जांच कीजिये। उन पर विश्वास रखिये जब आप इंक्वायरी कराने की बात कह रहे ह तो वे आप को जवाब देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री जी इस घटना को असाधारण नहीं मानते हैं कि सतिया के बाप ने थाने पर नामजद मुलजिम की रिपोर्ट लिखाई लेकिन बाद में कहता है कि हमारी पहली रिपोर्ट झूठी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह बात अवश्य असाधारण लगती है कि एक व्यक्ति पहले एक बयान दे और फिर उसको बदल दे। यही वजह है कि जांच बन्द नहीं की गई है। अब जो तथ्य मेरी नजर के सामने आये हैं मैं उन पर स्वत: अधिक प्रकाश प्राप्त करूं और जानकारी हासिल करूं इसके सिलसिले में मैं प्रबन्ध कर रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि एफ० आई० आर० से यह स्पष्ट होता है कि रामबहादुर सिंह ने गोली मारी तो जो बंदूक उसके पास थी उसका लाइसेंस होल्डर वही था या कोई दूसरा व्यक्ति ? तहसील और पुलिस से जो सिफारिश आती है तो उसको देखकर लाइसेंस दिया जाता है तो किस की सिफारिश पर उसको बंदूक मिली थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यही विषय है जिनके ऊपर जांच होनी है और जिनके ऊपर मुझे अधिक रोशनी मिलनी चाहिये । अभी मेरे पास जो कागजात आये हैं, जो जानकारियां अब तक उपलब्ध हैं उनसे यह अवश्य मैं जानना चाहता हूं कि यह जो दूसरा बयान सतिया के पिता ने अदालत में दिया है, वह किन वजहों से दिया है और जो राम बहादुर की बंदूक से मारने की बात कही गई है वह किसकी बन्दूक है और उसे बंदूक कैसे मिली। यह सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अधिक जांच की आवश्यकता है और अधिक जानकारी को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि जो मुन्नीलाल है जिसने हलफिया बयान दिया उसने यह भी कहा कि मुझ से पुलिस ने जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाई, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, डी०आई० जी०, एस०एस० पी० और अन्य पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कीगई, जिन्होंने उनके कथनानुसार मुन्नीलाल से जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

एक व्यक्ति की रिपोर्ट है, वह तो आंकी जायगी, तौली जायगी। उसके ऊपर राय बनायेंगे, अधिकारी भी राय बनायेंगें, अगर झूठी रिपोर्ट है तो कैसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। मामला सब जांच में है। जांच अभी खत्म नहीं हुई है तो किसी अधिकारी या व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया जाय यह सही दृष्टिकोण जांच करने के सिलसिले में नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---

श्री जायसवाल जी ने आपके निर्देश के अनुसार सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की भी छानबीन कर लें। क्या गोपालपुर फार्म नैपाल और भारत के बीच तस्कर व्यापार का अड्डा है, आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आप इनके वकील हैं ? इसके लिये तो इसे आप मुख्य मंत्री के पास इन्क्वायरी के लिए भेज दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मुख्य मंत्री जी की सूचना के अनुसार राम बहादुर भाग गया है, वह नेपाल की ओरिजन का है। तो उसकी तरफ से इतनी जोरदार और जबरदस्त वकालत और कोशिश कौन कर रहा है जो उसके बाप से और अन्य गवाहों से हलफनामा लगवाता है?

श्री अध्यक्ष---

आप बतायें कि कौन करवाता है, तो वह पता लगायेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस मामले में डी०आई० जी० और एस०एस० पी० का नाम लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

यह आप ले रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसमें दो अधिकारियों का नाम खास कर आ रहा है, तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सही जांच के लिये इन दो अधिकारियों का वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जब तक सरकार किसी भी अधिकारी के बारे में यह संतुष्ट नहीं होती कि इस अधिकारी का किसी मामले में रवैया या कांडक्ट ऐसा है जो संदिग्ध है, तब तक सरकार किसी को इधर से उधर बदलती नहीं है। और श्री राधेश्याम शर्मा जिनकी चर्चा आपने की है वह तो यहां के एक बहुत होशियार अफसर पुलिस विभाग के माने जाते हैं। इस प्रकार से किसी अधिकारी के खिलाफ लांछन लगा दिया जाये और उसके तबादले की बात की जाये तो यह बात न्यायसंगत नहीं होगी। इस बात से यदि मैं कंविंस्ड हो जाऊंगा कि अधिकारी ने गलती की है तो मैं अवश्य उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए कि इसमें एक माननीय सदस्य ने डी० आई० जी० के लड़के के खिलाफ आरोप लगाया है (हंसी) इस मामले की मुडीशियल इंक्वायरी कराने को तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जितने आरोप इस सदन के सदस्य, जो इधर बैठे हैं, इस कांड के विषय में लगा रहे हैं और जिनके विषय में उनके पास जानकारी है उन सब सदस्यों से आप यह निवेदन करें कि वह सब चीज लिखित रूप में हमें दे दें। मैं उन सारी चीजों की जांच एक निष्पक्ष अधिकारी से कराने की कोशिश करूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन, इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---

उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

२५ जून को जो लाइन-मैन को गोली मार कर जख्मी किया गया था, उसके बारे में बतया गया कि वह ईश्वर सिंह था। तो क्या यह ईश्वर सिंह जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के जनरल सेक्रेटरी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यहां जो कागजात मैंने देखे हैं, उनमें लिखा है कि ईश्वर सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी के एक मंत्री हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जैसा कि आपने बताया, वह कांग्रेस कमेटी के एक बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा यह भी बात आपके और सदन के सामने स्पष्ट है कि जिनके खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं वे बड़ प्रभावशाली आदमी हैं जिससे संदेह है कि वह साधारण इंक्वायरी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिये यह सदन आपसे मांग करता है कि तुरन्त इसकी जांच कराई जाये नहीं तो सारे घटनाक्रम संबंधित तथ्य छिपा दिये जायेंगे। इस बात को देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि केस की जुडीशियल इंक्वायरी कराई जायेगी?

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये जवाब अभी हो चुका है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मुझे संदेह नहीं है कि मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि डी०आई० जी० और एस० एस० पी० दोनों मौके पर गये और माननीय सदस्यों ने उनके विरुद्ध शिकायतें कीं। यह भी बताया जाता है कि एस० एस० पी० के लड़के भी वहां पर गये थे। जब इतनी शिकायतें बड़े-बड़े अधिकारियों क विरुद्ध हैं तब उनको जुडीशियल इन्क्वायरी कराने में क्या कठिनाई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जुडिशियल इंक्वायरी कराने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर विचार करने की बात है। जुडिशियल इन्क्वायरी हर मसले पर तो नहीं कराई जाती है लेकिन चूंकि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का नाम इसमें घसीटा गया तो उन्होंने खुद सदन के सामने यह बात कही। मैंने अभी आपसे कह दिया कि मैं इंक्वायरी कराने के लिए भी उद्यत हूं परन्तु इस समय अभी जो तथ्य बतलाये गये हैं उनको जब तक न जान लूं तब तक मैं क्या कर सकता हूं। जब वे तथ्य मेरे सामने आ जायेंगे तब उनको देखकर अगर यह समझूंगा कि हां यह ऐसा मामला है कि जिसमें और अधिक जानकारी की जरूरत है और जनता को संतोष दिलाने के लिए वह करना चाहिये तो जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिए भी आर्डर्स दे दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जहां तक अदालत में मुकदमे की कामयाबी का सवाल है तो जिस तरह से इसमें घटनायें घटीं हैं कि रिपोर्ट कुछ और उसके बाद हलफनामा कुछ और तो उससे तो मुकदमा बिलकुल खराब हो चुका है। लेकिन जिस संदर्भ में यह प्रश्न यहां पर उपस्थित है उसकी भी पूरी जानकारी कराने में मैं जानना चाहूंगा कि माननीय गुप्ता जी को हाई कोर्ट के जज द्वारा इस मामले की तहकीकात कराने में क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो इसका जवाब दे दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री को डर है कि जुडीशियल इन्क्वारी कराने से मंत्रिमंडल के अन्दर कोई विस्फोट हो जायगा?

श्री अध्यक्ष---

यह अनुचित है जो उन्होंने कह दिया कि वह तो तैयार हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तैयार नहीं हैं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह करा सकते हैं, उसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री जी उप मुख्य मंत्री और सतिया के पिता दोनों के हित में यह उचित नहीं समझते हैं कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो फिर वही बात हुई ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्री शर्मा, वाराणसी जनपद के एस० एस० पी० हैं और यह घटना मिर्जापुर क्षेत्र की है। तो मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे क्यों वहां तशरीफ ले गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अध्यक्ष जी, ज यह बातें कही जा रही हैं उनके बारे में मैं यह नहीं समझ पाता कि यह जो आरोप लगाये जा रहे है वह क्या यह समझ कर लगाये जा रहे है कि मैंने यह मान लिया है कि एस० पी० वहां गये थे और डी० आई० जी० गये थे ? मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि वह लोग गये थे ।

श्री अध्यक्ष---

मैं अब इसको इस वक्त समाप्त करता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक आखिरी सवाल अध्यक्ष महोदय और करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है कर लीजिये लेकिन अब दूसरा सवाल कोई और नहीं करेगा ।

एक बात और भी आपसे कह देना चाहता हूं । पहले भी कह चुका हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाद में यह बात कही कि जो आपके पास जानकारी हो वह पहले उन्हें दे दें। उस रोज जब नियम ५१ के अनुसार इस पर विचार प्रकट किया जा रहा था तो आपने चाहा था कि पहले एफ० आई० आर० आ जाय फिर कोई प्रश्न करें । उसकी रिपोर्ट आज आ गयी और उस पर विचार भी होने लगा । तो प्रश्न यह है कि कम से कम सब को यह समझ लेना चाहिये कि जो उनके पास जानकारी हो वह उनको दे दें । डी० आई० जी० या एस० एस० पी० वहां गये थे, इसको क्या वे इसी तरह से समझ लें कि वे गये थे ? वह तो जानकारी आपको देनी पड़ेगी । अपने विरुद्ध तो को आदमी जानकारी देता नहीं है कि वह कहें कि हम उस जगह रात में मौजूद रहे । हम सब को समझ लेना चाहिये कि इस तरह की बात तो नहीं कह सकता है । लिहाजा जो भी जानकारी इंडिपेंडेंटली आपके पास हो, उनके पास भेज दें, वे जानकारी उस पर प्राप्त कर लें तब उस पर फिर प्रश्न करें तो वे जबाव देंगे । लेकिन एक एक करके अगर आप रोज नयी जानकारी प्राप्त करते जायं और फिर उनसे पूछने चले तो वह उनको कैसे मालूम होगा । यह उनकी तकलीफ है । उनके पास जो सामग्री है, जो सूचना है वह उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

दे दी। प्रश्न का मतलब यह है कि जो सत्य हो वह सामने आवे। जो आपके पास जानकारी हो वह उनके पास भेज दें, वे जांच करके बतला देंगे। लेकिन अगर सब लोग कहें, सभी प्रश्न करने लगें तो सब के दिल की बात की सूचना उनको कसे हो सकती है ? इसलिये आप कृपा करके अपनी जानकारी की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें। हो सकता है कि जांच करने के बाद वे इस बात के लिये तयार हो जायं कि इसकी जुडीशियल इनक्वायरी करायी जाय। लेकिन यह कि जानकारी न हो और एक दम से आर्डर हो जाय, यह नहीं हो सकता है। यह उनका मतलब है, मैंने आपको बतला दिया। अब दूसरे रोज यह प्रश्न हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। मैं पुलिस मंत्री भी हूं और इस प्रदेश की एक बड़ी पार्टी ने मुझ में विश्वास प्रकट किया है उसके नाते सदन का नेता भी हूं तो इस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाय उसका निर्णय मुझे ही लेना पड़ता है। उसका फैसला तो मुझे ही करना पड़ता है। रोजमर्रा ऐसी घटनायें होती हैं पुलिस की और पुलिस के खिलाफ भी जिस पर मुझे निर्णय लेने पड़त हैं। तो यह जरूर है कि हमारे उप मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि जुडीशिल इन्क्वायरी भी करायी जाय तो वह हो जाय लेकिन यह तो एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में जब तक कि सरकार स्वत: संतुष्ट न हो जाय जब तक सरकार को दुविधा हो या शक हो या एक ऐसा प्रश्न हो जिसमें कोई झूठे चार्ज लगा दे उप मख्य मंत्री के ऊपर तो मैं अवश्य उन व्यक्तियों में नहीं हूं कि जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं उसके विपरीत अपनी कार्यवाही करूं। मैं जुडीशियल इन्क्वायरी से भागता नहीं हूं लेकिन पहले तथ्य तो मालूम पड़ जायं। आप नई-नई बातें पेश करते हैं जिनकी चर्चा कल या परसों नहीं हुई। अगर वे नई बातें मुझे लिख कर दे दें तो मैं उनकी जानकारी करा लूंगा और यदि मैं उसके बाद समझूंगा कि यह ऐसा मामला है कि जिससे लोगों के दिल में सन्देह पैदा हो सकता है तब मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि जुडीशिवल इन्क्वायरी इसकी की जाय।

श्री अध्यक्ष--

जो भी इस विषय में तथ्य समझते हैं वह लिख कर भेज दें।

(कुछ रुक कर)

अब हम उठते हैं और परसों १० ।। बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३१ मिनट पर सोमवार, २८ जुलाई, १९६९ के १०.३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ जुलाई, १९६९।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ४० एल० ए०-१९६९-८७०।